प्रथम भाग

कहानी-लेखन

विषय-सूची

पहला भाग

कहानी-लेखन

दूसरा भाग

पत्र-रचना

तीसरा भाग

निबन्ध-रचना

रचना-विधि

कहानी-लेखन

पहला अध्याय

निबंध लिखाने के पूर्व अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का अभ्यास करावें। स्वभाव से ही बालकों को कहानियाँ प्रिय होती हैं, इसलिए उनसे कुछ लिखने के लिए उत्साहित करने का कहानी सर्वोत्तम साधन है।

प्रारंभ में कहानी-लेखन तीन अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है।

(१) कहानी सुन कर अध्यापक की सहायता से उसका ढाँचा बनाना और कहानी लिखना।

(२) अध्यापक द्वारा दिए हुए ढाँचे की सहायता से कहानी लिखना।

(३) अधूरी कहानियाँ पूरी करना।

अध्यापक को चाहिए कि एक छोटी कहानी स्वयं कह कर विद्यार्थियों को सुनावें। फिर विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तर द्वारा कहानी का ढाँचा तैयार करावें। तैयार किए हुए ढाँचे को श्यामपट पर लिख दें और फिर बालकों से वह कहानी लिखावें।

अध्यापक निम्नलिखित कहानी पढ़ें।

(१) एक लोमडी वन मे जा रही थी। उसने देखा कि अंगूर की वेल मे पके हुए अंगूरों का एक गुच्छा लटक रहा है। उन्हें देखकर उसके मुँह मे पानी भर आया और वह उन्हें पाने के लिए वार वार उछलने लगी। परन्तु सब परिश्रम व्यर्थ हुआ क्योंकि वह गुच्छा वहुत ऊँचा था। अंत मे लोमडी निराश हो गई और यह कह कर चल दी कि "ये अंगूर तो खट्टे हैं"।

अब अध्यापक को बच्चों से निम्नलिखित प्रश्न करने चाहिए और उनके उत्तर श्यामपट पर लिखते जाना चाहिए।

प्रश्न

१—लोमडी ने क्या देखा ?

२—उसने क्या किया ?

३—क्या वह अपने कार्य मे सफल हुई ?

४—विफल होने पर उसने क्या कहा ?

इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार होगा।

१—वन मे अंगूरों का गुच्छा।

२—उन्हें पाने के लिए उछलने लगी।

३—सफल नहीं हुई।

४—"अंगूर खट्टे" है।

ढाँचा तैयार हो जाने पर वालकों को कहानी लिखने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

(२) एक कौआ बहुत प्यासा था। परन्तु उसे कहीं पीने के लिए पानी न मिलता था। बहुत ढूँढने पर उसे पानी का एक घडा दिखलाई पडा। मगर उसमे पानी बहुत कम था और उसकी चोंच वहाँ तक न पहुँचती थी।

कौए ने एक कंकडी अपनी चोंच मे उठाकर घडे मे डाली।

कंकड़ डालने मे पानी कुछ ऊँचा हुआ, परन्तु फिर भी उसकी चोंच वहाँ तक न पहुँची। उसने दस बारह कंकड उठाकर घड़े मे डाल दिए। अब घड़े का पानी इतना ऊँचा हो गया कि कौए की चोंच वहाँ तक पहुँच गई और उसने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई।

प्रश्न

(१) कौआ क्या ढूँढता था ?
(२) उसे पानी कहाँ मिला ?
(३) उसकी चोंच पानी तक कैसे पहुँची ?

ढाँचा

(१) कौआ पीने के लिए पानी ढूँढता था।
(२) उसे एक घड़े मे पानी मिला। पर पानी बहुत नीचे था।
(३) उसने कुछ कंकड़ उठाकर घड़े मे डाले। पानी ऊपर उठ आया।

अभ्यास

नीचे कुछ कहानियाँ दी जाती है। अध्यापक को चाहिए कि इन्हें पढ कर बच्चो को सुनावे। श्यामपट पर कहानी के संकेत लिखे और पुन बालको द्वारा उस कहानी की रचना करावे।

(१)

एक हाथी रोज तालाब मे पानी पीने जाता था। रास्ते मे एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को रोज रोटी और फल देता था। हाथी भी खिड़की मे सूँड डाल कर उन चीजों को ले लिया करता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को रोटी न देकर

उसके सूँड़ में सूई चुभा दी। उस समय तो हाथी ने अपना सूँड खिड़की के बाहर निकाल लिया, परंतु लौटती बार वह अपने सूँड़ में कीचड भर लाया और चुपचाप खिड़की में सूँड डाल कर उसे सब कपडो पर उँड़ेल दिया।

(२)

एक सेठ जी बीमार थे। वैद्य ने उन्हे पीने के लिए एक दवा दी जो स्याही की तरह काली थी। एक दिन उनके नौकर ने दवा के स्थान पर स्याही की एक खुराक दे दी। जब सेठ जी स्याही पी चुके, तब नौकर को अपनी भूल मालूम हुई। वह दौडा हुआ सेठजी के पास आया और डरता डरता बोला-"सरकार, मैंने भूल से आपको दवा के बदले स्याही दे दी है। अब क्या किया जाय?" सेठ जी बोले--"अच्छा अब दौड़कर थोड़ा सा स्याही-सोख ले आओ। उसे निगल लेने पर स्याही सूख जायगी।"

(३)

एक दिन एक भेड़िया पहाड के झरने पर जल पी रहा था। नीचे की ओर एक मेमना भी अपनी प्यास बुझा रहा था। भेडिये की इच्छा हुई कि मेमने को खा जाय। वह मेमने के पास जाकर बोला—"क्यों रे, तू मेरे पीने का पानी क्यों गंदा करता है?" मेमना गिडगिडाकर बोला—"भला मैं आपके पानी को कैसे गँदला कर सकता हूँ?" भेडिया चिढ़कर बोला--"तो फिर तूने मुझे परसाल गाली क्यों दी थी?" मेमने ने कहा-"परसाल तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था।" भेडिया गुर्रा कर बोला—"तो फिर तेरा बाप होगा" और इतना कहते ही वह मेमने पर झपट पडा और उसे फाड़ कर खा गया।

(४)

किसी मनुष्य के पास एक गधा था। वह बड़ा निर्दयी था और गधे के ऊपर बड़े भारी-भारी बोझ लादा करता था। एक दिन उसने गधे पर नमक के बोरे लादे। बेचारा गधा उस भारी बोझ को लेकर धीरे धीरे चलने लगा। परन्तु इससे उस निर्दय को सन्तोष न हुआ और उसने गधे को खूब पीटा। इससे गधे को भी क्रोध आ गया और जब वह एक पुल पर पहुँचा तो इस प्रकार उछला कि नमक के बोरे नाले के पानी में जा गिरे और सारा नमक घुल गया।

(५)

एक काजी जी रात को बैठे हुये एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था जिसका माथा छोटा और दाढ़ी लम्बी होती है, वह मूर्ख होता है। काजी जी का माथा छोटा और दाढ़ी लम्बी थी। इससे वे भी मूर्ख साबित होते थे। उन्होंने सोचा कि माथा तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पर दाढ़ी जरूर छोटी की जा सकती है। अतएव वे दाढ़ी काटने के लिये कैंची ढूँढने लगे, परन्तु कैंची न मिली। तब आधी दाढ़ी हाथ में पकड़ कर वे चिराग के सामने ले गए। चिराग की लपट लगते ही दाढ़ी के बाल जलने लगे जिससे उनका हाथ भी झुलसने लगा। यह देखकर उन्होंने आधी दाढ़ी भी छोड़ दी। एक ही मिनट में उनकी पूरी दाढ़ी साफ हो गई। उन्होंने किताब में लिखी हुई बात को प्रमाणित कर दिया।

(६)

दो माताएँ अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा कर रही थीं। उनमें से एक बोली—"मेरा बेटा तो सूरज जैसा सुन्दर है"। दूसरी

उसके सूँड मे सूई चुभा दी। उस समय तो हाथी ने अपन
सूँड खिडकी के बाहर निकाल लिया, परंतु लौटती बार वा
अपने सूँड़ मे कीचड भर लाया और चुपचाप खिडकी मे सूँ
डाल कर उसे सब कपडों पर उँडेल दिया।

(२)

एक सेठ जी बीमार थे। वैद्य ने उन्हे पीने के लिए एव
दवा दी जो स्याही की तरह काली थी। एक दिन उनके नौक
ने दवा के स्थान पर स्याही की एक खूराक दे दी। जब से
जी स्याही पी चुके, तब नौकर को अपनी भूल मालूम हुई
वह दौडा हुआ सेठजी के पास आया और डरता डरता बोला-
''सरकार, मैंने भूल से आपको दवा के बदले स्याही दे दी है।
अब क्या किया जाय ?'' सेठ जी बोले--"अच्छा अब दौडकर
थोड़ा सा स्याही-सोख ले आओ। उसे निगल लेने पर स्याही
सूख जायगी।"

(३)

एक दिन एक भेडिया पहाड के झरने पर जल पी रहा
था। नीचे की ओर एक मेमना भी अपनी प्यास बुझा रहा था।
भेड़िये की इच्छा हुई कि मेमने को खा जाय। वह मेमने के पास
जाकर बोला—"क्यो रे, तू मेरे पीने का पानी क्यों गंदा करता
है ?" मेमना गिडगिडाकर बोला—"भला मै आपके पानी को
कैसे गँदला कर सकता हूँ ?" भेडिया चिढकर बोला—तो
फिर तूने मुझे परसाल गाली क्यों दी थी ?" मेमने ने कहा-
"परसाल तो मै पैदा भी नही हुआ था।" भेडिया गुर्रा कर
बोला—"तो फिर तेरा बाप होगा" और इतना कहते ही वह
मेमने पर झपट पडा और उसे फाड कर खा गया।

(४)

किसी मनुष्य के पास एक गधा था। वह बड़ा निर्दयी था और गधे के ऊपर बड़े भारी-भारी बोझ लादा करता था। एक दिन उसने गधे पर नमक के बोरे लादे। बेचारा गधा उस भारी बोझ को लेकर धीरे धीरे चलने लगा। परन्तु इससे उस निर्दय को सन्तोष न हुआ और उसने गधे को खूब पीटा। इससे गधे को भी क्रोध आ गया और जब वह एक पुल पर पहुँचा तो इस प्रकार उछला कि नमक के बोरे नाले के पानी में जा गिरे और सारा नमक घुल गया।

(५)

एक काजी जी रात को बैठे हुये एक पुस्तक पढ़ रहे थे। उसमें लिखा था जिसका माथा छोटा और दाढ़ी लम्बी होती है, वह मूर्ख होता है। काजी जी का माथा छोटा और दाढ़ी लम्बी थी। इससे वे भी मूर्ख साबित होते थे। उन्होंने सोचा कि माथा तो बढ़ाया नहीं जा सकता, पर दाढ़ी जरूर छोटी की जा सकती है। अतएव वे दाढ़ी काटने के लिये कैंची ढूँढने लगे, परन्तु कैंची न मिली। तब आधी दाढ़ी हाथ में पकड़ कर वे चिराग के सामने ले गए। चिराग की लपट लगते ही दाढ़ी के बाल जलने लगे जिससे उनका हाथ भी झुलसने लगा। यह देखकर उन्होंने आधी दाढ़ी भी छोड़ दी। एक ही मिनट में उनकी पूरी दाढ़ी साफ हो गई। उन्होंने किताब में लिखी हुई बात को प्रमाणित कर दिया।

(६)

दो माताएँ अपने अपने पुत्रों की प्रशंसा कर रही थीं। उनमें से एक बोली—"मेरा बेटा तो सूरज जैसा सुन्दर है"। दूसरी

बोली—"मेरा बेटा चॉद जैसा है।" अब दोनों मे यह झगड़ा उठा कि "चॉद सुन्दर है या सूरज ?" जिसने कहा था—"मेरा बेटा सूरज के समान है।" वह बोली—"सूरज बड़ा होता है और सारे संसार को प्रकाश देता है।" दूसरी बोली—"सूरज तो दिन मे निकलता है, जब खूब प्रकाश होता है और चॉद अपना प्रकाश रात मे फैलाता है जब संसार को प्रकाश की बडी आवश्यकता होती है।"

(७)

एक बार एक मजिस्ट्रेट की अदालत मे बन्दूक की चोरी का एक मामला उपस्थित हुआ। बन्दूक के मालिक ने यह साबित करने के लिये कि बन्दूक उसकी है, बन्दूक पर खुदा हुआ नाम दिखलाया। अब चोर ने अपने पक्ष मे एक गवाह उपस्थित किया जिसने कहा—हुजूर मै इस बात की गवाही देता हूँ कि यह बन्दूक इन्ही की है, क्योंकि मै इनको और बन्दूक दोनों को ही उस समय से जानता हूँ जब ये एक छोटे से बच्चे थे और यह बन्दूक एक छोटी सी पिस्तौल थी।"

(८)

किसी पहाडी नदी के ऊपर एक बहुत सॅकरा पुल था। एक दिन दो बकरियॉ आमने-सामने से आकर मिलीं। बकरियों ने कहा—"हम दोनों एक साथ तो इस रास्ते से निकल ही नहीं सकती, इसलिये आओ हम दोनों लड़ें और हममे से जो जीते वही पार जाय।" वह दोनों लडने लगीं और थोडी देर में दोनों ही नीचे जा गिरीं।

दूसरे दिन उसी राह से दो गधे निकले। उन्होंने कहा—"राह बडी सॅकरी है, इसलिये घर को उलटे लौट जाना चाहिये।" यह कहकर दोनों चले गये।

अगले दिन उसी सँकरे रास्ते से दो भेड़ें निकलीं। उनमें से एक ने कहा—"रास्ता बड़ा सँकरा है। तुम लेट जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर से निकल जाऊँ। जब दूसरी बार हम फिर मिलेंगी, तब तुम मेरे ऊपर से निकल जाना।" दूसरी "हाँ ठीक है" कह कर लेट गई और दोनों मजे से अपनी अपनी राह चली गई।

(९)

एक कुत्ता मुँह में माँस का टुकड़ा लिये नदी पार कर रहा था। नदी के निर्मल जल में उसकी परछाईं पड़ी। अपनी परछाईं को दूसरा कुत्ता समझ कर उसने उसका टुकड़ा छीनने का विचार किया। उस टुकड़े को लेने के लिये ज्योंही उसने अपना मुँह फैलाया कि उसके मुँह का टुकड़ा भी नदी में जा गिरा।

(१०)

एक दिन एक निर्धन आदमी एक हलवाई से मिठाई खरीद रहा था। हलवाई बेईमान था, उसने मिठाई कम तौली। यह देखकर निर्धन बोला—तुम मिठाई कम क्यों तौलते हो? इस पर हलवाई ने हँसकर जवाब दिया—कोई हर्ज नहीं तुम्हें कम मिठाई खानी पड़ेगी। जब पैसे देने की बारी आई तो निर्धन ने कुछ कम पैसे दिये। यह देखकर हलवाई बहुत बिगड़ा। निर्धन ने हँसते हुए जवाब दिया—कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें कम पैसे गिनने पड़ेंगे।

(११)

एक दिन कोई आदमी किसी माली की दूकान की तरफ से निकला। फूल खूब महक रहे थे। उसने कहा—अहा. कैसी मीठी सुगन्ध है। माली झगड़ालू आदमी था। उसने

पथिक को पकड कर कहा—तुमने हमारे फूल सूँघे है, पैसे देते जाओ। वह पथिक बड़ा हँसोड़ था। उसने जेब मे पैसे खनका कर कहा—लो, जिस तरह मैने तुम्हारे फूल सूँघे है, उसी तरह तुम भी पैसों की खनक सुन लो। यह सुन कर माली बहुत लज्जित हुआ।

(१२)

एक सेठजी बडे दयालु हृदय के थे। नित्य सवेरे उठकर वे बन्दरों को चने खिलाया करते थे। बन्दर उनसे बहुत हिल मिल गये थे। एक दिन वे उसी रास्ते से निकले जहॉ पर बन्दर रहते थे। सेठ जी को देखकर, चने पाने की आशा से सब बन्दर उनकी ओर दौड आए, परन्तु उस दिन वे अपने साथ चने न ले गये थे, अतएव आपने जेब से एक रुपया निकाल कर उन बन्दरों के सामने फेंक दिया।

(१३)

किसी धर्मशाला मे, वहॉ पर ठहरने की इच्छा से एक यात्री पहुँचा, परन्तु धर्मशाला का नौकर बड़ा लोभी था। उसने अन्दर से किवाडे न खोले और कहने लगा—बाबू जी, धर्मशाला के ताले की चॉदी की चाभी खो गई है। यात्री इसका मतलब समझ गया और किवाडों की दराज मे चुपचाप एक रुपया सरका दिया।

जब यात्री धर्मशाला के अंदर पहुँच गया, तब नौकर से बोला, बाहर मेरा सामान पड़ा है—उसे तो उठा लाओ। ज्योंही नौकर बाहर गया, यात्री ने किवाड बन्द कर लिए, और जब तक नौकर ने रुपया लौटा न दिया, उसे बाहर ही खडा रक्खा।

(१४)

एक आदमी की यह बान थी कि वह सभी बातों में कुछ न कुछ भलाई देखा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी टॉग पर से एक गाडी निकल गई, और अंत में डाक्टरों की सलाह से उसकी वह टॉग काट दी गई।

जब उसके मित्रों ने यह बात सुनी, तब वे उससे सहानुभूति प्रकट करने आये। इसके उत्तर में उसने कहा-भाई, इसमें दु:खी होने की कौन बात है। अब भविष्य में मुझे एक ही जूता खरीदना पडेगा, और इस तरह मेरा कम खर्च होगा।

(१५)

किसी देहाती ने शहर की सडकों पर पानी छिडकनेवाली गाडी देखी। उसे देखते ही वह ठठाकर हँस पडा। इस पर उसके एक शहराती मित्र ने पूछा—क्यों भाई किस बात पर हँसे ? देहाती ने हँसते हँसते उत्तर दिया-भाई मैं तो समझता था कि देहातवाले ही बडे मूर्ख होते हैं। परन्तु शहरवाले उनसे भी बाजी मार ले गए। भला बताओ तो कि इस फूटी गाडी में पानी लेकर चलना कहाँ की बुद्धिमानी है। यह पानी तो सब रास्ते में ही गिर जायगा।

नोट—इसी प्रकार अध्यापक अन्य कहानियाँ अपनी ओर से कह सकते हैं।

दूसरा अध्याय

ढाँचे से कहानी बनाना

जब लड़कों को कहानी सुनकर उनके ढाँचे बनाना आर ढाँचे से पुनः कहानी बनाना आ जाय, तो अध्यापक को उन्हे दूसरी अवस्था का अभ्यास कराना चाहिए।

अध्यापक को चाहिए कि पहले दो चार अभ्यास (मश्क) तक जबानी अभ्यास करावे। क्योंकि पहले पहल ढाँचे से कहानी बनाने मे बालकों को कुछ कठिनता प्रतीत होगी, परंतु अभ्यास और अध्यापक के सहयोग से यह कठिनता शीघ्र ही दूर हो जायगी। इस विधि से बालकों की न केवल लेखन-शक्ति की वृद्धि होगी, वरन् उनकी कल्पना शक्ति का भी पर्य्याप्त विकास होगा। सुन्दर रचना करने के हेतु ये दोनों ही गुण अत्यन्त आवश्यक है।

जब बालक जबानी अभ्यास भली भाँति करने लगें तो उन्हें लिखित अभ्यास देने चाहिएँ। उदाहरणार्थ—

ढाँचा

१-मल्लाह बोला-"मेरे सभी संबधी समुद्र पर मरे है।"
२-मित्र ने कहा-"समुद्र पर मत जाओ।"
३-मल्लाह पूछता है-"तुम्हारे संबंधियों की मृत्यु कहाँ हुई?"
४-उत्तर मिला-"चारपाई पर।"
५-मल्लाह बोला-"तुम चारपाई पर मत जाना।"

कहानी

किसी समय एक मल्लाह अपनी प्रशंसा कर रहा था। वह यहाँ तक कह गया कि, "मेरे बाप, चाचा, भाई सभी की मृत्यु समुद्र पर हुई है।" इस पर उस मल्लाह के मित्रों में से एक सज्जन बड़े ही सहानुभूतिसूचक शब्दों में बोल उठे— "तो मित्र, तुम समुद्र पर कदापि न जाना।" यह सुनकर मल्लाह ने बड़े आग्रह से पूछा "क्यों मित्र तुम्हारे संबंधी कहाँ मरे थे?" मित्र ने बड़ी शान से उत्तर दिया "अजी वे सभी बिस्तर पर पड़े पड़े मरे हैं। मल्लाह ने कहा "तब तो चारपाई बड़ा भयंकर स्थान प्रतीत होता है। मेरी तो सलाह है कि तुम चारपाई पर कभी मत सोना।

यह सुनकर वे महाशय लज्जित हो गए।

अभ्यास

अध्यापक को चाहिए कि निम्नलिखित ढाँचों के आधार पर लड़कों से कहानियाँ लिखावे, और जब आवश्यक समझे तो उनसे उस कहानी से मिलनेवाली शिक्षा का उल्लेख करने को भी कहे।

(१)

(क) स्यार और ऊँट बड़े दोस्त थे।

(ख) दोनों नदी पार कर खरबूजे खाने गये।

(ग) खेत में स्यार ने शोर मचाया।

(घ) ऊँट पिटा।

(च) ऊँट ने स्यार को नदी में डुबाकर बदला लिया।

(२)

(क) कुम्हार और काछी मित्र थे।

(ख) साझे में ऊँट पाला।

(ग) एक ओर घडे और दूसरी ओर सब्जी लाद कर बाजार चले।
(घ) ऊँट सब्जी खाता था और कुम्हार हँसता था।
(च) बोझ हल्का होने से घडे गिर पड़े।

(३)

(क) दो भिखारी थे एक अंधा और दूसरा लॅंगडा।
(ख) दोनों अपना काम करने मे असमर्थ थे।
(ग) मित्रता- अंधा लॅंगड़े को अपने कंधे पर लेना है।
(घ) एक अपनी आँखों से दूसरे को लाभ पहुँचाना है और दूसरा टाँगों से।

(४)

(क) सेठ जी मोटे-नौकर मूर्ख।
(ख) थियेटर मे अपने लिए दो स्थान सुरक्षित कराते हैं।
(ग) नौकर एक स्थान पहली लाइन मे और दूसरा तीसरी मे सुरक्षित करा आता है।

(५)

(क) मुनीम जी सुस्त है।
(ख) रोज देर करके आते है।
(ग) पूछने पर कहते हैं—"घड़ी खराब है।"
(घ) सेठजी "नई घडी या नया मुनीम"।

(६)

(क) राम और भरत दो सौतेले भाई हैं।
(ख) राम युवराज है। अभिषेक होनेवाला है।
(ग) कैकेयी, सौतेली माँ, राम को वनवास देती है और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी माँगती है।

(घ) राजा दशरथ वचन-बद्ध हैं—विवश हैं।
(च) राम का वन जाना और राजा की मृत्यु।

(७)

(क) सिंह के अत्याचारों से पीडित पशुओं की सभा।
(ख) निश्चय--एक पशु प्रति दिन भेजा जाय।
(ग) लोमड़ी की बारी—उसका देर से पहुँचना।
(घ) दूसरे शेर का बहाना।
(च) शेर का कुएँ मे गिरना।

(८)

(क) गडेरिया रोज झूठमूठ "भेडिया भेडिया चिल्लाता था।
(ख) पडोसी व्यर्थ परेशान होते थे।
(ग) विश्वास करना छोड दिया।
(घ) फल--भेड को भेडिया सचमुच उठा ले गया।

(९)

(क) सूअर का दाँत तेज करना।
(ख) लोमडी का शिकारियों के न होने पर भी दाँत तेज करने का कारण पूछना।
(ग) सूअर का उत्तर—"सदैव तैयार रहो।

(१०)

(क) सिपाही का मोटर के नीचे दबना।
(ख) टाँग का टूट जाना।
(ग) मोटर के मालिक का सिपाही को अस्पताल ले जाने का प्रयत्न।
(घ) सिपाही-"मुझे दर्जी की जरूरत है न कि डाक्टर की
(च) सबका हँसना।

(११)

(क) घमंडी खरगोश।

(ख) कछुए की धीमी चाल की हँसी उडाना।

(ग) दोनों मे होड लगना।

(घ) खरगोश का रास्ते मे सोना।

(च) कछुए का खरगोश से पहले नियत स्थान पर पहुँचना।

(छ) खरगोश का लज्जित होना—उपदेश।

(१२)

(क) मल्लाह ने मछली पकडी।

(ख) मछली छोटी थी।

(ग) मछली बोली—"बडे होने पर पकड़ ले जाना।"

(घ) मल्लाह का उत्तर—"नौ नगद न तेरह उधार।"

(च) उपदेश।

(१३)

(क) तीन मित्र वन मे जाते थे।

(ख) जगल मे तोड़ा मिला।

(ग) भोजन लेने जानेवाले की इच्छा सब धन लेने की हुई। उसने भोजन मे विष मिला दिया।

(घ) दो मित्रों ने तीसरे का हिस्सा लेना चाहा, उसको आते ही मार डाला।

(च) दोनों भोजन खाकर स्वयं मर गए।

(१४)

(क) जाड़े का स्वप्न देखना।

(ख) स्वप्न मे भूत से भेंट।

(ग) मृत की दाढ़ी पकड़ना और चपत मारना।
(घ) जाग जाना और अपनी दाढ़ी अपने हाथ में देखना।

(१५)

(क) बढ़ई के तेल की चोरी।
(ख) सूराख में झाँकना।
(ग) चूहे का तेल पीना।

(१६)

(क) देहाती को इनाम में घड़ी मिलना।
(ख) उसका उसे बहुत पसंद करना।
(ग) घड़ी का बन्द हो जाना।
(घ) देहाती का रोना।

(१७)

(क) एक होशियार वकील साहब।
(ख) मुवक्किल का खून के मामले में फँसाना।
(ग) वकील का उसे पागल बताना।
(घ) वकील साहब की फीस देते समय मुवक्किल का पागल बनना।

(१८)

(क) एक बाबू साहब का अपने बाग में जाना।
(ख) चुराकर फल तोड़ते हुए एक लड़के को देखना।
(ग) उसे डाँटना।
(घ) "हजूर चिल्लाइये न दो आम आपको भी दूँगा।"

(१९)

(क) राजा साहब का अपने अस्तबल मे जाना।

(ख) साईस की लडकी से पूछना-क्या तुम मुझे जानती हो ?

(ग) हॉ ! तुम मेरे बाप की गाड़ी पर चढा करते हो।

(२०)

(क) चोर का पकड़ा जाना।

(ख) राजा के सामने उपस्थित किया जाना।

(ग) उसका कहना—हुजूर चोरी तो मेरे हाथ ने की है।

(घ) राजा—अच्छा तो तुम्हारा हाथ काट लिया जायगा और तुमको कोई सजा न दी जायगी।

तीसरा अध्याय

अधूरी कहानियों को पूरा करना

कहानी को सुनकर ढाँचा बनाना और उसका पुन: निर्माण करना तथा ढाँचे से कहानी लिखना इन दोनों विषयों का पूरा अभ्यास हो जाने के पश्चात् ही यह अध्याय प्रारम्भ करना चाहिये।

यद्यपि ढाँचे से कहानी लिखने मे बालकों को अपनी कल्पना शक्ति से काम लेना पड़ता है, परन्तु उतना अधिक नहीं जितना अधूरी कहानी को पूरा करने मे। जहाँ एक ओर केवल कुछ घटनाओं की कल्पना करनी पड़ती है—वह भी दिये हुये सकेतों के आधार पर—वहाँ अधूरी कहानी को पूरा करने मे कथानवस्तु का ही निर्माण करना पड़ता है। अतएव यहाँ पर अध्यापक को एक बार फिर सचेत किया जाता है कि बिना पहले दो अध्यायों का भली भाँति अभ्यास कराए लड़कों को इस अध्याय की ओर प्रवृत्त करना उनके बौद्धिक विकास मे बाधा डालना है।

इसके अतिरिक्त एक ही कहानी को भिन्न भिन्न छात्र भिन्न भिन्न प्रकार से पूरा करेंगे। उनके इस ढग को देख कर अध्यापक उनकी योग्यता का भली भाँति अनुमान कर सकते हैं।

अब उदाहरण के लिये एक अधूरी कहानी और उसका पूरित अश नीचे दिया जाता है—

गरमी के दिनों में एक कौआ प्यास के मारे मरा जाता था। बहुत ढूँढने के बाद उसे एक घड़ा दिखलाई दिया। वह बड़ा खुश होकर उस पर बैठ गया, परन्तु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुँची।

अब यह अधूरी कहानी इस प्रकार पूरी की जा सकती है।

१—कौवा निरुत्साहित होकर घड़े पर बैठ गया। इतने में उधर से घड़े का मालिक निकला। कौए को घड़े पर बैठा देख वह समझ गया कि कौआ प्यासा है। अतएव उसने दया करके कौए के सामने पानी का एक प्याला भर कर रख दिया। कौए ने अपनी प्यास बुझाई और प्रसन्न होकर चला गया।

२—उसने एक उपाय सोचा। घड़े में कंकड़ लाकर डालना आरम्भ किया। बहुत से कंकड़ों के पड़ने से पानी ऊपर चढ़ आया, और कौए ने पेट भर कर पानी पी लिया।

३—उसने सोचा कि यदि घड़े का ऊपरी हिस्सा टूट जाय तो मेरी पहुँच पानी तक हो सकती है। यह सोच कर वह उस पर चोंच मारने लगा। थोड़ी देर में उधर से घड़े का मालिक आ निकला। उसने यह दशा देख कर कौए को कंकड़ मारकर उड़ा दिया और कौए को प्यासा ही उड़ जाना पड़ा।

४—उसने सोचा कि यदि घड़े का ऊपरी हिस्सा फोड़ा जाय तो पानी तक मेरी पहुँच हो सकती है। यह सोच कर वह घड़े पर चोंच मारने लगा। घड़ा एक स्थान पर कमजोर था। अतएव उसमें एक छेद हो गया। छेद होते ही सारा पानी गरम जमीन में गिर कर सूख गया और कौआ प्यासा ही रह गया।

अभ्यास

अध्यापक निम्नलिखित अधूरी कहानियाँ बालकों से पूरी करावें—

(१) एक दिन एक शेर जंगल में पड़ा सो रहा था। इतने में उसे अपने ऊपर कोई चलती हुई वस्तु मालूम हुई। जब उसने आँख खोली तो क्या देखता है कि एक चूहा उसके ऊपर रेंग रहा है। यह देख कर उसे बड़ा क्रोध आया। उसने झपट कर चूहे को पंजे में पकड़ लिया।

चूहा यह देख कर बड़ा घबराया और गिड़गिड़ा कर शेर से छोड़ देने की प्रार्थना करने लगा।

(२) एक कुत्ते की यह बान थी कि वह नित्य अपने मुँह में एक पैसा दबा कर नानबाई की दूकान पर जाता था। पैसा दूकान पर रख कर वह चुपचाप बैठ जाता था और जब नान-बाई रोटी देता था तो उसे लेकर अपने घर चल देता था। एक दिन नानबाई ने कुत्ते के आगे हँसी में चूल्हे से निकली हुई गरम रोटी रख दी।

(३) एक दिन किसी आदमी का घोड़ा चोरी गया। भाग्यवश चोर घोड़े समेत पकड़ा गया। चोर को देख कर मालिक ने कहा—"अच्छा यदि तुम मुझे घोड़ा चुराने की विधि बतला दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा"। चोर भी घोड़ा चुराने की विधि बतलाने को तैयार हो गया।

(४) किसी मनुष्य को चोरी करने के अपराध में प्राण-दंड हुआ। फाँसी पर चढ़ने के पहले चोर ने कहा—"मैं सोने की खेती करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के पहले

मैं वह विधि किसी को सिखाता जाऊँ। अतएव मुझे दो दिन का समय दिया जाय। राजा की ओर से चोर की यह प्रार्थना स्वीकृत हुई।

(५) एक मुसलमान के केश श्वेत हो गए थे। वह उन्हे खिजाब से रँग कर काला रखना था। बाल तो पगड़ी के नीचे छिपे रहते थे, अतएव उन्हे रँगने की वह आवश्यकता न समझता था, केवल दाढ़ी काली कर लिया करता था।

एक दिन उसकी पगड़ी सिर से लुढ़क गई और उसके मित्रों ने देखा कि उसके सिर के बाल बिलकुल सफेद है।

(६) एक आदमी के पाँच लडके थे। वे सर्दैव आपस में लडा करते थे। उसे यह देखकर बड़ा दुःख हुआ। एक दिन जब उसे मालूम हुआ कि मेरा अंत-काल निकट है, तब उसने सूत की एक अँटिया मँगाई, और अपने पाँचों लड़को को बुलाकर बारी बारी से उसे तोड़ने के लिए कहा। सभी ने उसे तोड़ने का प्रयत्न किया।

तब बुड्ढे ने उस आँटी को खोल कर, उसके सूत अलग कर दिए।

(७) एक बनिए ने तीर्थयात्रा को जाते समय अपने रुपयों का तोडा एक मित्र के यहाँ रख दिया। उस मित्र को बेईमानी सूझी, और जब वनियाँ जब तीर्थ से लौट कर आया, तो उसने मित्र से अपने रुपये माँगे। उसने उत्तर दिया—मित्र क्या बताऊँ, मैं बड़ा लज्जित हूँ। तुम्हारे सब रुपये चूहे खा गये।

यह सुनकर बनिए ने कहा—मित्र, दुःखी क्यों होते हो: इसमें तुम्हारा क्या दोष है ?

कुछ दिन बाद उस मित्र का लडका बनिए के यहाँ खेलने गया। बनिए ने लडके को एक कोठरी में छिपा दिया और अपने दोस्त से जाकर कहा—मित्र, आज एक बड़ी बुरी घटना हो गई। तुम्हारा लडका मेरे आँगन में खेल रहा था कि इतने में एक चील आई और उसे उठा ले गई।

(८) एक दुकानदार अपने मित्रों के साथ दूकान पर बैठा था और उनसे अपनी वीरता की गप्पें मार रहा था। उसने कहा—मैं बड़े बड़े डाकुओं का मुकाबला कर सकता हूँ। इस पर गाँव के चौकीदार ने कहा—तब तो बडी अच्छी बात है। अब अगर गाँव में डाकू आवें तो तुम उन्हें भगा ही दोगे।

दुकानदार ने कहा—हाँ हाँ यह कौन बडी बात है। एक बार तो मैंने इस डाकुओं को ऐसा भगाया था कि वे भी याद करते होंगे।

(९) किसी झील के किनारे एक बारहसिंघा पानी पी रहा था। इतने में उसे पानी में अपनी परछाँहीं दिखाई पडी। उसे देखकर वह मन में कहने लगा—देखो तो ईश्वर ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है। उसने सींग तो मुझे ऐसे अच्छे दिए हैं कि वैसे वन के किसी जन्तु के न होंगे परंतु टाँगे कितनी कुरूप और भोंडी दी है कि स्वयं मुझे लज्जा मालूम होती है।

वह यह सोच ही रहा था कि पीछे से झाडियों में खड-खडाहट की आवाज आई। उसने घूमकर देखा तो शिकारी कुत्ते दिखाई पडे, जो उसी की ओर बढे चले आ रहे थे।

(१०) किसी लोमडी ने एक सारस की दावत की। दावत-वाले दिन लोमडी ने पतली खीर बना कर एक चौडी तश्तरी में रख दी और सारस से भोजन करने को कहा। खीर पतली

थी. अतएव लोमडी उसे जल्दी जल्दी चाट गई और बेचारा सारस भूखा रह गया। लोमडी को अपनी इस चालाकी पर बडा गर्व हुआ और वह सारस की हँसी उडाने लगी। दूसरे दिन सारस ने लोमडी की दावत की।

दूसरा भाग

पत्र-रचना

पत्र-रचना

पहला अध्याय

साधारण नियम

हिंदी मे पत्र-लेखन की दो परिपाटियाँ प्रचलित है। एक तो प्राचीन परिपाटी जो संस्कृत परिपाटी से मिलती जुलती है और दूसरी नवीन परिपाटी जो अँग्रेजी शिक्षा-दीक्षा के साथ साथ हिंदी मे आई है।

पहली परिपाटी का प्रायः लोप होता जाता है और उसका प्रयोग केवल प्राचीन परिपाटी के परिपोषक यत्र तत्र करते हैं। दूसरी अर्थात् नवीन परिपाटी का ही आजकल अधिक चलन है अतएव नीचे हम उसी के विषय मे विचार करेंगे।

साधारणत. पत्र आठ भागों मे विभक्त होता है—

१ मांगलिक शब्द—हिन्दुओं तथा अन्य आस्तिक जातियों मे किसी कार्य के प्रारम्भ करने के पूर्व ईश्वर अथवा अपने इष्ट देव का स्मरण करने की परिपाटी है। इसी को निभाने के लिए पत्रारंभ करने के पूर्व वे लोग श्री०, श्री हरि श्री गणेशाय नम. ओ३म् इत्यादि शब्द लिखते है। ये शब्द पत्र के ऊपर पहली पंक्ति मे ठीक बीचो-बीच लिखे जाते हैं। परन्तु ध्यान रखना चाहिए कि यह प्रथा सर्वथा भारतीय है और इसका उपयोग केवल व्यक्तिगत पत्रों मे किया जाता है प्रार्थना पत्रों अथवा व्यापारिक पत्रों मे नही।

२—स्थान—पत्र के दाहिने कोने पर दो तीन पंक्तियों में लेखक का पता रहता है। उनमें पहली पंक्ति में महल्ला, दूसरी में डाक घर का नाम और तीसरी में नगर का नाम लिखना चाहिए। जहाँ तक हो सके, पता थोड़े ही शब्दों में लिखना चाहिये। परिचितों को पत्र लिखते समय केवल नगर या स्थान ही पर्याप्त है। प्रत्येक पंक्ति में नाम के पीछे एक लघु विराम (,) लगाना चाहिए।

यह तो साधारण पत्रों की बात हुई, परन्तु प्रार्थनापत्रों में पत्र-प्रेषक का पता पत्र में नीचे की ओर बाएँ कोने में लिखा जाता है।

३—तिथि—नगर के नाम के ठीक नीचे तिथि लिखी जाती है। आजकल भारतवर्ष में दो तिथियाँ प्रचलित हैं, एक तो ईसवी संवत् के अनुसार और दूसरी विक्रम संवत् के अनुसार। वे इस प्रकार लिखी जा सकती हैं—

(क) माघ, कृष्ण ७, १९७८ वि०

(ख), जनवरी ७, १९२९ ई०

वा ७। १। २९

तिथि और संवत् के बीच सदैव एक अर्धविराम रखना चाहिए।

विशेष—भारतीयों को राष्ट्रीयता की दृष्टि से विक्रमीय तिथियाँ लिखना ही अधिक उचित है।

प्रार्थनापत्रों में स्थान के समान तिथि भी नीचे बाएँ कोने में लिखी जाती है।

४—संबोधन—पत्र का यह अङ्ग बहुत ही महत्व का है और भिन्न-भिन्न पत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से लिखा जाता है।

इसे तिथि के नीचेवाली पंक्ति में बाएँ कोने से प्रारंभ करना चाहिए—

विभिन्न लोगों को संबंध के अनुसार इस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए।

बड़ों को—

श्री पूज्य पिताजी, श्री पूजनीया माता जी, श्रद्धेय गुरुवर, श्रीमान् भाई साहब इत्यादि।

बराबरवालों को—

प्रियवर, प्रिय बंधु, प्रिय अग्निहोत्री जी, भाई राजनारायण अथवा प्रिय रामू इत्यादि।

परन्तु यदि बराबर का संबंध होने पर भी लेखक जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहा है, उसे सम्मान की दृष्टि से देखता है तो इस प्रकार लिखना चाहिए—

प्रिय प० बाबूलाल जी मिश्र।

प्रियवर पं० रमाकांत जी।

छोटों को—

प्रियवर, प्रिय विष्णुनारायण अथवा अधिक घनिष्टता होने पर केवल आधा ही नाम लिखा जाता है जैसे प्रिय विष्णु।

अपरिचितों को—

प्रियवर, प्रिय महाशय, श्रीमान इत्यादि।

अधिकारियों को—

श्रीमन्—

संबोधन के पश्चात् लोग प्राय: एक संबोधन चिह्न लगा देते हैं पर यह उचित नहीं। संबोधन के पश्चात् केवल एक लघु विराम पर्य्याप्त है।

४—अभिवादन—यह सर्वथा भारतीय परिपाटी है। अंग्रेज़ी

मे अभिवादन लिखने की शैली नहीं है। पत्रों मे बड़ों, बराबर-वालो और छोटों का ध्यान रखकर यथाक्रम प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, प्रेमाभिवादन, सप्रेम वंदे, सादर वंदे तथा आशीर्वाद, प्रसन्न रहो इत्यादि लिखते हैं।

यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यावसायिक पत्रों तथा प्रार्थना-पत्रों मे ये शब्द नहीं लिखे जाते।

अभिवादन शब्द संबोधन शब्दों के नीचेवाली पंक्ति मे बाईं ओर से कुछ हटाकर लिखे जाते हैं।

६—कुशल-कामना—अभिवादन शब्दों के ठीक नीचे "यहाँ पर सब कुशल है। आपकी कुशल परमात्मा से सदैव चाहते हैं।" आदि लिखे हुए शब्दों को कुशल कामना कहते हैं।

अभिवादन की भाँति ये शब्द भी प्रार्थना-पत्रों और व्यावसायिक पत्रों मे न लिखे जाने चाहिएँ, और प्रायः अन्य पत्रों मे भी नहीं लिखे जाते।

७—विषय—यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमे लेखक अपने इच्छानुसार समाचार लिख सकता है।

पत्र के इस भाग मे कठिन या क्लिष्ट शब्द न आने चाहिएँ। भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए और वाक्य छोटे छोटे। पत्र ऐसा लिखा जाना चाहिए कि पढनेवाले को ऐसा भासित हो कि मानों लिखनेवाला सामने ही बैठा वार्तालाप कर रहा है। पत्र में केवल वही बातें लिखी जायँ जो बहुत आवश्यक हों। अच्छा हो यदि लिखने के पूर्व बालक उत्तर पुस्तक की बाईं ओर पत्र के इस भाग ढाँचा बना लें।

पूरे विषय को विचारों के अनुसार कई अनुच्छेदों मे विभक्त कर लेना चाहिए, और प्रत्येक अनुच्छेद कुशलकामना-वाली पंक्ति के ठीक नीचे से प्रारंभ होना चाहिए।

८—पत्र का विषय समाप्त करने के पश्चात् पते की ठीक सीध में लेखक को संबंध-परिचायक शब्दों के साथ अपना नाम लिखना चाहिए।

पत्र के इस भाग के लिखने में बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। इस भाग का संबोधन से बड़ा घनिष्ट संबंध है, अतएव यह संबोधन के अनुसार ही होना चाहिए। जैसे—

बड़ों को—

भवदीय आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय भाई।

बराबरवालों को—

आपका शुभचिंतक, आपका बंधु अभिन्नहृदय, आपका मित्र, या केवल तुम्हारा इत्यादि।

छोटों को—

तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी स्नेहमयी बहन इत्यादि।

अपरिचितों को—

भवदीय, आपका विनीत इत्यादि।

पता—

पोस्टकार्ड की पीठ पर अथवा लिफाफे के ऊपर संबोधित व्यक्ति का पता लिखा जाता है। पता पूरा और सुंदर तथा स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए नहीं तो बहुधा पत्र के अपने उचित स्थान पर न पहुँचने की आशंका रहती है।

लिफाफे पर पता लिखने की रीति यह है कि दाईं ओर और ऊपर की ओर लिफाफे का एक तिहाई हिस्सा छोड़ देना

चाहिए और तब पता लिखना प्रारंभ करना चाहिए। पहले नाम, फिर मुहल्ला डाकघर, नगर इत्यादि क्रम से भिन्न-भिन्न पंक्तियों मे लिखना चाहिए तथा प्रत्येक पंक्ति के बाद थोड़ा स्थान छोडते जाना चाहिए।

लिफाफे मे बाईं ओर प्रेषक संक्षेप में अपना पता लिखता है।

अध्यापक को चाहिए कि स्वयं श्यामपट पर पता लिख कर लड़कों को दिखलावे तथा लिफाफे की नाप के कागज के टुकडे कटवा कर उन पर लडकों से पते लिखवावे।

दूसरा अध्याय

पारिवारिक पत्र

छोटों की ओर से बड़ों को पत्र

ओ३म्

१—पिता को

१३।२३ कुरसवाँ,
कानपुर।
माघ, कृष्ण ७ १९७६

श्री पूज्य पिताजी,
सादर प्रणाम!
आपका कृपा पत्र मिला।

आपका आज्ञाकारी पुत्र,
रामनरेश।

२ माता को—

श्री हरि

मल्हारगंज
इन्दौर।
श्रावण, शुक्ल ७, १९७८

श्रीमती पूजनीया माता जी,
सादर चरणस्पर्श स्वीकृत हो।
यहाँ पर सब कुशल है

कुशलपत्र शीघ्र ही दीजिएगा।

आपका प्रिय पुत्र
हरिहरनाथ।

३—बाबा कोः—

श्रीगणेशाय नमः।

कैप्टेन गंज
बस्ती।
बसंत पञ्चमी, १९५७

श्रीमान् पूज्यपाद बाबाजी,
प्रणाम।

बहुत दिनों से आपका कृपापत्र नहीं मिला।

आपका आज्ञाकारी
रामप्रसाद।

४—गुरु कोः—

श्री हरिः।

श्री रमानिवास
चौक, कानपुर।
रामनवमी, १९४९।

श्रीमान् परम पूजनीय गुरुदेव जी,
सादर अभिवादन।

श्रीमान् जी का कृपापत्र प्राप्त हुआ ...

" "

श्री माता जी को प्रणाम।

श्रीमान् का आज्ञाकारी शिष्य,
गंगाप्रसाद शुक्ल।

५—बड़ी बहन को:—

ॐ

अमीनाबाद पार्क,
लखनऊ

श्रीमती बहनजी,

प्रणाम !

आपका भाई
विष्णु नारायण ।

अभ्यास

[१] पिता, बाबा और भाई को संबोधन और स्वयं परिचायक शब्द किस प्रकार लिखोगे ?

[२] अपने पिता को एक पत्र लिखो कि अब की तुम्हारी परीक्षा लखनऊ में न होकर कानपुर में होगी । अतएव वे तुम्हारे कानपुर जाने का प्रबंध कर दें ।

[३] निम्नलिखित अधूरे पत्रों को पूरा करो —

(क)

१७ जनवरी १९२९

श्रीमान् जीजा जी,

मुझे खेद है कि कई अनिवार्य कार्यों के कारण मैं अब की होली के अवसर पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सकूँगा ।

कुलदीपनारायण त्रिपाठी ।

तीसरा अध्याय

पारिवारिक पत्र

बड़ों की ओर से छोटों को

१—पुत्र को

सब्जी मंडी,
कानपुर।
कार्तिक, सुदी ७ १९८९

चिरंजीवी प्रिय रमेश

आशीर्वाद!

तुम्हारा पत्र कल मिला।

तुम्हारा पिता
रघुनाथप्रसाद गुप्त।

२—भतीजे को

रामगोला,
कानपुर।
जनवरी ३ १९३१.

प्रिय श्याम

प्रसन्न रहो!

यहाँ सब कुशल है

३—भानजे को—

बड़ी बाजार,
धाटमपुर।
१७—८—२६

प्रिय सुधाकर,

आयुष्मान भव!

तुम्हारे पिता जी के पत्र से तुम्हारा परीक्षोत्तीर्ण होना जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई।

अपने पिता जी से मेरा सादर प्रणाम कहना।

तुम्हारा मामा,
जगतनारायण तिवारी।

४—छोटे भाई को

तुकोगंज,
इन्दौर।
२५ वीं जनवरी, १६२४

प्रिय छोटे,

आनंदित रहो!

तुम्हारा भाई,
कालिकाप्रसाद दीक्षित।

अभ्यास

१—माता की ओर से पुत्र को एक पत्र लिखो, जिस में उससे परीक्षा समाप्त होने पर घर आने का अनुरोध करो।

२—काका की ओर से भतीजे को एक पत्र लिखो जिस

में परीक्षोत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में घड़ी भेजने की सूचना हो।

३—भतीजे, पुत्र और नाती को पत्र लिखने में किन किन संबोधनों और सम्बधसूचक शब्दों का उपयोग करोगे ?

विशेष—अध्यापक श्यामपट पर इस श्रेणी के कुछ अधूरे पत्र लिखें और बालकों से उन्हें पूरा करावें।

बराबरवालों के लिये पत्र

मित्र को

चावलमंडी, कानपुर
अप्रैल १६, १९२९

प्रिय देवीप्रसाद जी

आपका पत्र बहुत दिनों से पड़ा हुआ है। उसका उत्तर न दे सका। कारण यह था कि इस बीच में मैं बंबई चला गया था। बम्बई यात्रा का विवरण किसी अन्य पत्र में विशदरूप से लिखूँगा। अभी तो बहुत दिन के पश्चात घर लौटा हूँ इसलिए लोगों से मिलने में ही बहुत सा समय निकल जाता है।

मैं प्रसन्नतापूर्वक हूँ। आशा है कि आप भी स्वस्थ होंगे।

आपका मित्र,
विष्णुस्वरूप।

साधारण पत्र

(१) प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह की छुट्टी के लिए—

सेवा में

श्रीमान प्रधानाध्यापक जी
श्री होल्कर पाठशाला
इन्दौर।

श्रीमान,

सेवा में सविनय निवेदन है कि कल सन्ध्या को बुखार आ

जाने से मैं पाठशाला मे उपस्थित होने मे असमर्थ हूँ।

आशा है कि श्रीमान जी मेरी दो दिनों की अनुपस्थिति क्षमा करेंगे।

आपका
आज्ञाकारी शिष्य
शिवशंभु शर्मा।
(कक्षा ७)

अभ्यास

१—प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखो जिसमे अपने भाई के विवाह मे जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी की प्रार्थना करो।

व्यावसायिक पत्र

आदेशपत्रः—

बेलनगंज, आगरा।
माघ कृष्ण ७, १९८५

श्रीयुत व्यवस्थापक जी,
हिंदी ग्रंथरत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, बंबई

प्रिय महाशय,

कृपया उक्त पते पर निम्नलिखित पुस्तकें वी. पी. द्वारा भेजने की कृपा कीजिए—

१—चंद्रकला १ प्रति
२—शाहजहाँ नाटक १ प्रति
३—पुष्पलता ३ प्रतियाँ

भवदीय,
राधामोहन प्रसाद।

पिछले पत्र का उत्तर

पत्र संख्या ८५५५

ग्रंथरत्नाकर कार्यालय, मुम्बई।
माघ कृष्ण ११, १९८५

श्रीमान् जी,

आपका माघ कृष्ण ७ का कृपापत्र मिला। आज्ञानुसार पुस्तकें वी पी पार्सल द्वारा भेज दी गई हैं। आशा है कि आप उन्हें स्वीकार कर अनुगृहीत करेंगे और समय समय पर इसी प्रकार योग्य सेवाएँ लिखते रहेंगे।

भवदीय कृपाकांक्षी
नाथूराम प्रेमी
व्यवस्थापक।

विशेष—व्यावसायिक पत्रों में व्यवसायी लोग अपने सुभीते के लिये पत्र संख्या लिख दिया करते हैं। ऐसे पत्रों का उत्तर देते समय उचित है कि उनके पत्र की संख्या का उल्लेख कर दिया जाय।

बेलनगंज, आगरा।
माघ शुक्ल १ १९८५

श्रीयुत व्यवस्थापक जी,
हिन्दी ग्रंथ-रत्नाकर कार्यालय,
बंबई।

प्रिय महाशय,

गई। यदि ऐसा हो तो कृपया उन्हें शीघ्र ही भिजवाने का प्रबंध कीजिए क्योंकि मुझे उनकी बड़ी आवश्यकता है।

भवदीय
राधामोहन प्रसाद।
श्री हिन्दी-साहित्य-मंडल, कानपुर।

श्रीयुत संपादक जी, नवम्बर ११, १९२६
दैनिक आज,
काशी।

श्रीमान जी से प्रार्थना है कि निम्नलिखित विवरण को अपने सम्मानित पत्र के स्तंभ में स्थान देकर हमें कृतार्थ कीजिए।

भवदीय
श्री गंगाप्रसाद शुक्र,
मन्त्री।

(साथ का पत्र)

आगामी रविवार ता० १७ नवम्बर २६ को श्री हिंदी-साहित्य-मंडल द्वारा संचालित लाजपतराय वाचनालय का वार्षिक अधिवेशन होगा। इस अवसर पर एक विराट् कवि सम्मेलन तथा अनेक मनोरंजक व्याख्यानों का आयोजन किया गया है। आशा है कि वहाँ पर जनता बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर से लाभ उठावेगी।

अभ्यास

१—एक पत्र रघुनाथप्रसाद ऐण्ड सन्स कानपुर को लिखो कि वे तुम्हें अपनी प्रकाशित पुस्तकों का सूचीपत्र भेजें।

२—एक पत्र "भारत" के प्रबंधक को लिखो कि वे तुम्हें

एक वर्ष के लिए अपने पत्र का ग्राहक बना लें। तुम साथ में रुपया मनिआर्डर द्वारा भेज रहे हो।

३—माधुरी के व्यवस्थापक को एक पत्र लिखो कि इस मास की माधुरी अभी तुम्हारे पास नहीं पहुँची और उन्हें भविष्य में उसे नियमित रूप से भेजने को लिखो।

निमंत्रण पत्र

ॐ

श्रीमान जी

श्री जगदीश्वर की असीम कृपा से मेरे पुत्र चिरंजीवी राजकुमार का विवाह-संस्कार श्रीमान पं० रामकुमार वाजपेयी, वकील हरदोई की आयुष्मती कन्या के साथ ज्येष्ठ शुक्ल ७ १९८५ को होना निश्चित हुआ है।

अतएव आपसे सादर अनुरोध है कि सपरिवार समय पर उपस्थित होकर हमें कृतार्थ कीजिये।

कृष्णकुंज कानपुर — विनीत,

ज्येष्ठ शुक्ला ११ । १९८५ — रमाकान्त मिश्र

विशेष—ऐसे निमन्त्रण पत्र प्रायः लेटर पेपर पर छापे जाते हैं, जिनमें दो पन्ने होते हैं। एक पन्ने पर तो निमन्त्रण छपा होता है और दूसरे पर कार्य-क्रम।

श्रीगोपालाय नमः

किया गया है। यह मेला वास्तव मे दर्शनीय होगा, अतः इष्ट मित्रो सहित पधार कर गोमाता का पूजन कीजिए और पुण्य के भागी बनिए।

निवेदक—

सभापति। मत्री

अभ्यास

१—अपने छोटे भाई के यज्ञोपवीत मे सम्मिलित होने के लिए एक पत्र लिखो।

२—एक पत्र बाबू ज्ञानसिंह की ओर से बा० रामप्रसाद सिह को अपनी कनिष्ठ पुत्री के विवाह मे सम्मिलित होने के लिए लिखो।

३—एक निमंत्रणपत्र नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से लिखो, जिसमे महात्मा गांधी के सभापतित्व मे होनेवाले वार्षिकोत्सव मे सम्मिलित होने की प्रार्थना करो।

चौथा अध्याय

पता—

लिफाफा

	टिकट
रामचन्द्र शर्मा लखनऊ	श्रीरामप्रसाद जालान प्रेम मन्दिर, दारागंज, प्रयाग।

व्यावसायिक पत्रों का लिफाफा

भारत कार्य्यालय, प्रयाग।

श्रीयुत मन्त्री जी,
लाजपतराय वाचनालय,
कानपुर।

कोडक लिमिटेड बम्बई।

डा० हरप्रसाद गोयल
फोटोग्राफर,
माल रोड
कानपुर।

पोस्टकार्ड

१

पं० अयोध्या प्रसादजी
चतुर्वेदी बी ए
गोपी-भवन,
मथुरा।

२

सुन्दरलालजी त्रिपाठी,
सहकारी संपादक महारथी,
चाँदनी चौक,
देहली।

विशेष—थोडे दिनों से दूसरे पोष्ट कार्ड की भाँति पता एक ही सीध में लिखने की प्रथा चल गई है।

निबन्ध-रचना

तीसरा भाग

निबन्ध-रचना

पहला अध्याय

प्रथम और द्वितीय खण्ड समाप्त कर लेने पर तृतीय खंड का विषय अर्थात् निबंध-रचना अपेक्षाकृत सरल प्रतीत होगा। अन्य पाठ्य विषयों की भाँति यह विषय भी रोचक प्रणाली से ही सिखाया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रचना का विषय स्वयं बालकों के मस्तिष्क की उपज हो, क्योंकि अध्यापक द्वारा बतलाई हुई वे बातें, जिन्हें बालक समझ नहीं पाते हैं बालकों के लिये मनोरञ्जक नहीं होतीं, वरन भार स्वरूप प्रतीत होने लगती हैं और वे उनसे डरने लगते हैं।

यदि निबंध लिखाने में अध्यापक निम्नलिखित प्रणाली का प्रयोग करेंगे तो उन्हें अधिक सफलता प्राप्त होगी।

(१) पहले पहल वे विषय लिये जाने चाहिएं जिनसे बालक खूब परिचित हों। यदि सम्भव हो तो केवल वे ही विषय लिये जायें जो अभ्यास के समय दृष्टि के सामने रक्खे जा सकते हों या फिर चित्रों से काम लिया जाय।

मे अध्यापक निबंध लिखे जानेवाले विषय के संबंध मे प्रश्न-सूची तैयार कर ले तथा उन्हे श्यामपट पर लिखकर बालको से उनके उत्तर पूछे।

(३) इस प्रकार प्रश्नोत्तर करने के पश्चात् बालकों से कहे कि वे एक पत्र लिखे जिसमे उपर्युक्त विषय के सबध मे कुछ बाते हो।

उदाहरण के लिये हम नीचे प्रश्नावली देते है।

१—गुलाब

१—यह क्या है ?
२—काहे का फूल है ?
३—इसका रंग कैसा है ?
४—कहाँ पैदा होता है ?
५—इससे क्या लाभ है ?

यह तो मुख्य ढॉचा हुआ, अब इन्हीं प्रश्नो के साथ साथ और प्रश्न भी हो सकते है, जैसे—

दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा "गुलाब का फूल"। अब अध्यापक कह सकता है—"कुछ और फूलों के नाम बतलाओ"। तीसरे प्रश्न के उत्तर मे लडके कहेंगे—"इसका रग गुलाबी है"। फिर अध्यापक पूछता है—'क्या और रगो के भी फूल होते है ?" तब लडके कहेंगे—"जी हॉ ! गुलाब के फूल पीले, सफेद और गहरे लाल भी होते है" इत्यादि।

नीचे निबध के कुछ विषयों की प्रश्नावली दी जाती है। आशा है कि अध्यापक को इससे सुभीता होगा।

नीम का वृक्ष

क—यह क्या है ?

ख—काहे का पेड है ?

ग—इसके मोटे हिस्से को क्या कहते है ? पतली डाली को क्या कहते है ?

घ—इसकी पत्तियाँ कैसी होती है ?

ङ—फलों को क्या कहते है ? वे कैसे होते है ?

च—क्या इसमे फूल भी होते है ? उनका रग कैसा होता है ?

छ—नीम से क्या लाभ होता है ?

(२) गाय

क—यह कौन जानवर है ?

ख—इसका रग कैसा है ? क्या सभी गायें इस रग की होती है ?

ग—इसकी कितनी टाँगे है ? कितने सींग है ?

घ—देह पर कैसे बाल है ? और उन्हें क्या कहते है ?

ङ—ये क्या है (थन) ? इनसे क्या लाभ है ?

च—ये क्या है (खुर) ?

(३) दूध

क—यह क्या है ?

ख—यह कैसा है ? (पतला) इसका रंग कैसा है ?

ग—यह कैसे मिलता है ? या कहाँ से आता है ?

घ—इसका स्वाद कैसा है ?

ङ—इससे क्या बनता है ?

च—ये चीजे कहाँ बिकती है ?

छ—इनके बेचनेवालों को क्या कहते है ?

(४) बिल्ली

क—यह क्या है ?
ख—इसकी सूरत कैसी है ?
ग—इसके रोएँ कैसे हैं ?
घ—क्या खाती है ?
ङ—चूहों का शिकार कैसे करती है ?
च—इससे क्या लाभ है ?

(५) स्कूल का चपरासी ।

क—यह कौन है ?
ख—इसके कपडे कैसे हैं ?
ग—यह ऐसे ही कपडे क्यों पहनता है ?
घ—यह क्या काम करता है ?
ङ—क्या तुम इसे पसन्द करते हो ? क्यों ?

अध्यापक को उचित है कि अन्य विषयों के लिये भी इसी प्रकार की प्रश्नावली तैयार कर ले। कुछ निबन्धों के विषय ये हो सकते हैं—आम, आम का पेड, नीम, लालटेन, मेज, मास्टर साहब, हमारा स्कूल, घडी।

दूसरा अध्याय

पहले अध्याय का अभ्यास हो न जाने पर बालक यह जान जायँगे कि यदि हमें किसी विषय पर कुछ लिखना हो तो किन-किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अतएव इस अध्याय में हम निबंध का ढाँचा बनाना बतलावेंगे।

अध्यापक को चाहिए कि जिस विषय पर निबंध लिखना हो, उसके सबंध में बालकों से आपस में प्रश्न करने को कहे। फिर उनके प्रश्नोत्तर में जो निष्कर्ष निकले, उसे श्याम पट पर लिख दे। जैसे यदि ऊँट पर निबंध लिखना हो तो इस प्रकार लिखा जाय।

ऊँट

१—बहुत लंबा और बदसूरत।
२—पीठ पर कूबड़, रंग भूरा, गर्दन मोटी, टाँगें टेढ़ी।
३—बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है।
४—झाड़ झंखाड़ खाता है।
५—बोझा लादने के काम में आता है।
६—पैर बालू में नहीं धँसते।

अभ्यास

नीचे लिखे विषयों के ढाँचे बनाओ।

(१) गाय (२) बैल (३) बिल्ली (४) कुत्ता (५) बकरी (६) गधा (७) हाथी (८) साँप (९) नेवला (१०) घोड़ा (११) चूहा (१२) तोता।

तीसरा अध्याय

पिछले दो अध्यायों पर अभ्यास कर लेने पर निबंधों का लिखना सरल हो जायगा। आगे के अभ्यासों में इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि पिछले दो अभ्यासों का भी साथ साथ उपयोग होता रहे। अर्थात् बालकों की सहायता से अध्यापक एक प्रश्नावली प्रस्तुत कर ले। फिर बालकों से प्रश्नावली के उत्तर पूछे और उन्हें श्याम पट पर लिख दे और तब उन उत्तरों के सहारे लड़कों से ढाँचा तैयार करने को कहे।

ढाँचे तैयार हो जाने पर उसी ढाँचे के आधार पर अध्यापक द्वारा लिखा हुआ प्रायः १५-२० पंक्ति का निबंध सुनाया जाना चाहिए। नीचे उदाहरण के ५ निबंध दिए जाते हैं। निबंध सुनाने के पश्चात् बालकों को यह बतलाना चाहिए कि निबंध में अमुक भाग ढाँचे के अमुक अंश का परिवर्धित रूप है।

इस क्रिया के पश्चात् बालकों को इस बात का ज्ञान हो जायगा कि ढाँचे के विभिन्न अंशों का परिवर्द्धन किस प्रकार किया जाना चाहिए।

उदाहरण के लिए नीचे कुछ निबंध दिए जाते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वे उन्हें बालकों द्वारा २-४ बार पढ़वावें। तत्पश्चात् अगले अध्याय में दिए हुए अभ्यास करावें।

(१) ऊँट

ढाँचा

१—बहुत लंबा और बदसूरत।
२—पीठ पर कूबड़, रंग भूरा, गोड़ें मोटे, टाँग टेढ़ी।
३—बहुत दिनों तक बिना पानी पिये रह सकता है।

४—झाड झंखाड खाता है।

५ पैर बालू मे नहीं धँसते।

६—बोझ लादने के काम मे और रेगिस्तान मे सवारी के काम मे लाया जाता है।

ऊँट बहुत लंबा और बदसूरत जानवर होता है। कुछ ऊँटो के दो कूबड़ होते है।

इसकी टाँगे लंबी होती है और पाँवो मे गद्दी होती है।

यह बोझ लादने के काम मे लाया जाता है। गधे के समान यह भी भारी बोझ उठा सकता है।

ऊँट झाड झंखाड खाता है और कई दिन तक बिना पानी पिये रह सकता है। कहते है कि इसके पेट मे थैलियाँ होती है जिनमे यह कई दिन के लिए पानी भर लेता है।

इसके पैरो के नीचे बडी मुलायम गद्दियाँ होती है। अतएव रेतीले मैदान मे जहाँ घोडे और बैल इत्यादि नहीं चल सकते है, ऊँट बडी आसानी से चला जाता है।

रेगिस्तानो मे लोग ऊँट ही को सवारी के काम मे लाते है इसी लिये कुछ लोग उसे 'रेगिस्तान का जहाज़' कहते है।

२—चींटी

ढाँचा

१—एक छोटा कीडा जिसे सभी जानते है, बडी मेहनती होती है।

२—चींटियाँ बडी बुद्धिमान होती है।

३—चींटियो से लाभ।

४ उनसे शिक्षा।

चींटी एक ऐसा कीड़ा है जिसे प्रायः सभी लोग देखते हैं। यह कीडा बडा ही बुद्धिमान और मेहनती होता है। यदि हम किसी चींटी को ध्यान से देखें तो मालूम होगा कि वह दिन भर दौड़ा ही करती है। परन्तु लडकों की तरह वह खेल के लिए नहीं दौडती, वरन् अपने भोजन का सामान इकट्ठा किया करती हैं।

चींटियों की बुद्धिमानी की सैकडों बातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि जमीन के नीचे वे आदमियों की तरह मकान बनाती हैं, जिसमे भोजनगृह, भण्डार, शयन गृह इत्यादि के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। एक बात और बडे मजे की है। जिस तरह आदमी गाय पालते हैं, उसी तरह चींटियाँ भी एक प्रकार के कीड़े पालती हैं, जो दूध के समान मीठा रस देते हैं।

कभी कभी चींटियाँ हमारी मिठाई इत्यादि खाकर हमें अप्रसन्न कर देती हैं, परन्तु वे हमे लाभ भी बडा पहुँचाती हैं वे हमारे घर या उसके पास से ऐसी वस्तुओं को हटा देती हैं, जो सडकर बदबू और बीमारी फैलाती हैं। जो वस्तुएँ हमारे लिए घृणा और हानि का कारण होती हैं, वे ही चींटियों के लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन हैं।

चींटी बहुत ही छोटा जानवर है परन्तु उससे भी हमे यह शिक्षा मिल सकती है कि मनुष्य को उद्यमी होना चाहिए।

३ – भालू

१. नगरों और गाँवों मे मदारी के साथ देखा जाता है।

२. उसकी सूरत।

३. कुछ आदतें।

४ मनुष्यों से डरता है। परन्तु क्रुद्ध होने पर उन्हें मार तक डालता है।

बड़े बड़े नगरों और छोटे छोटे ग्रामों में भी प्राय सभी जगह भालू देखने में आते हैं। परन्तु कुत्ते बिल्ली के समान ये छुटे हुए नहीं पाये जाते, क्योंकि ये बड़े हिंसक होते हैं और कभी-कभी आदमी तक को मार डालते हैं। इनको मदारी लोग नाक में रस्सी डालकर बाँधे रहते हैं। यदि आप मदारी को एक पैसा दे दें तो वह आपको भालू का नाच दिखावेगा।

भालू की देह भर में काले-काले मोटे बाल होते हैं, परन्तु छाती में थोड़ा हिस्सा सफेद होता है।

इसके चार टाँगे होती हैं और यह आदमी की तरह आसानी से पिछली टाँगों के बल चल सकता है।

प्राकृतिक दशा में भालू जंगलों में रहते हैं, जहाँ ये दिन भर तो झाड़ियों में पड़े सोया करते हैं और रात को अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं। इन्हें बेर बहुत भाते हैं।

यों तो भालू मनुष्यों से डरते हैं, परन्तु जब कभी क्रुद्ध हो जाते हैं तो सामना कर बैठते हैं। ऐसी दशा में इनसे पार पाना बड़ा कठिन हो जाता है। मनुष्य की भाँति यह भी अपनी पिछली टाँगों से खड़ा हो जाता है और अगले पञ्जों से थप्पड़ मार मार कर मनुष्य की जान ले लेता है।

४ — गधा

(१) पालतू और सीधा जानवर है, परन्तु लोग उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं।

(२) कुम्हार और धोबी पालते हैं। कम खाता है। और काम अधिक करता है।

(३) दूसरे देशों के गधे।

(४) बेवकूफ लोग गधे कहलाते हैं।

भारतवर्ष मे गधा वहुतायत से पाया जाता है। यहाँ पर लोग उसे वोझ ढोने के काम मे लाते हैं। यह जानवर बडा ही सीधा होता है, परन्तु देखा यह जाता है कि लोग इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार करते हैं। इसके ऊपर बड़े बडे भारी बोझ लादते हैं। यही नहीं, उसे पीटते भी खूब है। जब कोई आदमी खूब पिटता है तो कहते हैं कि 'वह तो गधे की तरह पिटा।' इसीसे समझा जा सकता है कि लोग इस बेचारे मूक पशु के ऊपर कैसा अत्याचार करते हैं।

अपने यहाँ ज्यादातर धोबी और कुम्हार ही गधे पालते हैं। इसका कारण यह है कि यह जानवर बहुत थोडे मे अपना पेट भर लेता है। मामूली घास पात खाकर भी आदमियों से ज्यादा बोझ ढोता है।

अपने देश मे गधे इन नीच कामो मे लाये जाते है इसी लिये भले आदमी उन्हें छूना भी नहीं पसंद करते। परन्तु फारस और अरब मे लोग गधों को उसी तरह काम मे लाते हैं, जिस तरह अपने यहाँ घोडे काम मे लाये जाते हैं। वहाँ शहरों के कोतवाल तक गधों पर ही सवारी करते हैं। बात यह है कि वहाँ के गधे ऊँचे और खूबसूरत होते हैं।

इतना मेहनती होते हुए भी गधे मे बुद्धि की बडी कमी है, इसीलिए अपने यहाँ बेवकूफ आदमी को "गधा" कहते है।

५—कुत्ता

(१) पालतू पशु। देशी कुत्ते इतने सुन्दर नहीं होते जितने विदेशी। विदेशी कुत्ते "विलायती" कहलाते हैं। उनका मूल्य भी अधिक होता है।

(२) गोश्त खाता है और स्यार की श्रेणी का है। शिकार करता है और स्वामिभक्त होता है।

(३) दौड़ने मे बड़ा तेज होता है। मनुष्य की बड़ी सेवा करता है।

पालतू पशुओ मे गाय के बाद कुत्ते का ही नम्बर आता है। गाय दूध देकर हमारा बड़ा उपकार करती है। परन्तु कुत्ता भी उससे कुछ कम उपकार नहीं करता, क्योंकि वह चोर, डाकुओं और हिंस्र पशुओं से हमारे जीवन और धन की रक्षा करता है। देशी कुत्तों की अपेक्षा विलायती कुत्ते अधिक सुन्दर होते हैं। इसीलिए उनका मूल्य भी बहुत अधिक होता है। विलायती कुत्ते २—३ सौ रुपये तक के मिलते है।

कुत्ते को गोश्त बहुत पसन्द है, परन्तु यह दूध और रोटी भी खाता है। यह जानवर स्यार की श्रेणी का है। कहते है कि पहले कुत्ते भी स्यारों की भाँति जगलों मे रहा करते थे।

यह जानवर शिकार करने में बड़ा तेज होता है। इसी प्रकार स्वामी की सेवा करने में भी यह अद्वितीय है। कुत्तों की स्वामिभक्ति सबंधी बहुत सी कथाएँ प्रसिद्ध है। कभी कभी तो कुत्ते अपने स्वामी को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देते है।

अधिकतर लोग कुत्तों को घर की चौकसी करने या शिकार करने के काम मे लाते है। शिकारी अपने कुत्ते को शिकार दिखला देता है और कुत्ता उसका पीछा करने लग जाता है और अन्त मे अपने साहस, धैर्य और दौड़ने में तेज होने के कारण शिकार को पकड़ लेता है।

कुत्ता बड़ा ही बुद्धिमान पशु है और मनुष्य जाति के सबसे बड़े मित्रों मे से एक है।

---

(३) लाभ—दूध, गोश्त, सींग चमड़ा।

(४) उसका गोश्त न खाया जाना चाहिए, क्यों ?

४—बंदर।

(१) बन्दर मनुष्य से बहुत मिलता जुलता होता है।

(२) अंगरेज लोगों का मत है कि मनुष्यों के पुरखे बन्दर ही हैं।

(३) भेद—बन्दर और लंगूर।

(४) पूजे जाते हैं—रामचन्द्र जी की सहायता की थी।

(५) स्वभाव—चतुर नटखट बड़ी हानि पहुँचाते हैं।

(६) उनके सम्बन्ध की गप्प और कहानी।

५—मछली

७—तोता ।

१—आकृति-सुंदर पक्षी ।

२—भारतवर्ष मे प्रायः सभी स्थानो मे मिलता है । भिन्न भिन्न स्थानो के तोतो का रंग भिन्न होता है ।

३—लोग पालते हैं—मनुष्य की तरह बोलता है ।

४—रटने की शक्ति होती है—तोते की तरह रटना ।

५—बेमुरौवत होता है—तोताचश्म ।

८ - मच्छड़ ।

१—आकृति ।

२—मनुष्य जाति का शत्रु ।

३—मलेरिया ।

४—कैसे पैदा होता है ।

५—उसे दूर करने के उपाय ।

९ - नीम ।

१—बड़ा भारी पेड होता है ।

२—तना मोटा, पत्तियाँ आरी के समान, फल खिरनी जैसे और फूल सफेद छोटे छोटे ।

३—लाभ ।

१०—केला ।

१—वृक्ष बडा और सुन्दर । पत्ते बडे बडे और हरे । तना मोटा और चिकना, भीतर सफेद हाथीदाँत जैसा ।

२—कहाँ पाया जाता है—शीतोष्ण कटिबंधों का एक विशेष फल ।

३—फल खाये जाते है और पत्तों का थाली के स्थान मे प्रयोग होता है ।

४—पेड केवल एक वर्ष तक रहता है ।

११—गुलाब

१—बड़ा सुन्दर फूल होता है।

२—रंग अनेक होते और आकार भी भिन्न होते हैं।

३—पृथ्वी भर में पाया जाता है।

४—कन्नौज इत्यादि प्रदेशों में इसकी खेती होती है।

५—इत्र बड़ा अच्छा होता है—इसका उपयोग नूरजहाँ की कथा।

ऊपर हमने पशु-पक्षी और पेड़-पौधों पर कुछ ढाँचे दिये हैं। परन्तु अध्यापक को केवल इन्हीं ढाँचों के सहारे न रहना चाहिए। उन्हें उचित है कि वस्तु-पाठ की किसी पुस्तक से बालकों को उस वस्तु का पूरा विवरण सुना दें जिस पर वे निबंध लिखवा रहे हों।

पाँचवाँ अध्याय

पिछले अध्याय मे हमने कुछ पेड-पौधो और जीव-जतुओं के सम्बन्ध मे निबंध लिखने के ढाँचे दिये थे। इस अध्याय मे कुछ ऐसे विषयों के ढाँचे दिए जाते है जो निबंध लिखने के लिए दिये गये पिछले ढाँचों की अपेक्षा कुछ कठिन प्रतीत होगे। अतएव अध्यापक को चाहिए कि लिखाने के पहले लडको को निबंध के विषय मे पर्याप्त बाते बतला दे।

चाँदी

१—खनिज पदार्थ।

२—सफेद चमकीली धातु है।

३—इसके तार खींचे जा सकते है, पीटी जा सकती है तेज आँच पाकर गल सकती है।

४—सिक्के और बरतन बनाते है। वैद्य लोग दवा के काम मे लाते है। वर्क, मिठाई इत्यादि पर चिपकाते है।

निबंध

चाँदी से प्रायः सभी लोग परिचित है। यह एक प्रकार की धातु है, जो अन्य सब धातुओं की भाँति खान से निकलती है। खान से निकलने पर यह मिट्टी के साथ मिली रहती है, अतएव निकालने के बाद इसे यंत्रों द्वारा शुद्ध करते है। खान से निकलने पर यदि हमलोग उसे देखें तो शायद पहचान भी न सके। यह जो स्वच्छ सफेद चमकती हुई चाँदी हमारे देखने मे आती यह अनेक बार की साफ की हुई है। यह न जाने कितनी

ही बार आग में तपाई गई होगी, दूसरी धातुओं के साथ मिलाई गई होगी और यंत्रों के बीच में दबाई गई होगी।

चाँदी की चीज़ों के बनानेवालों को सोनार कहते हैं। ये लोग चाँदी के गहने, बरतन, तार, खिलौने इत्यादि तरह-तरह की चीज़ें बनाते हैं।

चाँदी लोहे की अपेक्षा मुलायम होती है। चाँदी को कूट-कूट कर जैसे महीन वर्क बनाए जाते हैं, लोहे से वैसे नहीं बन सकते।

चाँदी के सिक्के प्रायः सभी देशों में चलते हैं। अपने देश में रुपया, अठन्नी, चवन्नी और दुअन्नी चाँदी के सिक्के हैं। परन्तु अब चाँदी की चवन्नियाँ और दुअन्नियाँ नहीं बनतीं। सिक्कों की चाँदी में ताँबा मिलाया जाता है। ताँबा मिलाने का मतलब यह है कि सिक्के टेढ़े न हो जायँ और जल्दी घिस न जायँ।

चाँदी एक मूल्यवान और प्रचलित धातु है।

अभ्यास

१—लोहा।

ग—उसका उपयोग।

घ—लोहे के समान जंग नहीं लगना।

ङ—बनारसी पीतल के बरतन और खिलौने।

३—निम्नलिखित विषयों के ढाँचे बनाओ और उन पर निबन्ध लिखो—

(क) सोना।

(ख) ताँबा।

(ग) हीरा।

(घ) पत्थर।

(ङ) पत्थर का कोयला।

(च) पीतल।

छठा अध्याय

वर्णनात्मक निबंध

प्रकृति

सूरज

रोज सवेरे उठकर हम देखते हैं कि आकाश में पूर्व की ओर से एक चमकता हुआ गोला उदय होता है और साँझ होते होते वह आधे आकाश का चक्कर लगाकर पश्चिम में अस्त हो जाता है।

इस गोले का नाम सूरज है और इससे हमें गर्मी और रोशनी मिलती है। इस गोले में इतनी चमक होती है कि हम लगातार एक दो मिनट तक भी उसकी ओर नहीं देख सकते।

सूरज हमारे बड़े काम की चीज है। सूरज हमारा जीवन है। अगर सूरज न होता तो सदा अंधकार ही बना रहता और यह पृथ्वी बरफ जैसी ठंडी हो जाती। फिर यहाँ पर आदमियों और जानवरों का रहना असम्भव हो जाता।

चीज है। बिना सूरज के इस दुनियाँ मे आदमी, जानवर और पेड़-पौधा कोई जीवित नहीं रह सकता।

२—चाँद

जैसे दिन मे सूरज रोशनी देता है, उसी प्रकार रात मे चाँद और तारो से हमारा काम निकलता है।

तारो की अपेक्षा चाँद बडा दिखाई देता है। इसका कारण यह नही है कि चाँद वास्तव मे तारो से बडा है वरन इसलिए कि वह हमारी पृथ्वी के बहुत निकट है। कुछ तारे तो चाँद से बहुत बडे है—कई हजार गुने बडे है। परन्तु चाँद की अपेक्षा वे हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसी लिए छोटे मालूम पडते है।

चाँद हमारे लिए सूरज के समान उपयोगी नहीं है, क्योंकि उसमे गर्मी नहीं है। इसके अतिरिक्त चाँद की रोशनी भी अस्थायी रहती है—यानी कभी कम और कभी ज्यादा और कभी बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारो ओर चक्कर लगाती है उसी प्रकार यह चाँद भी हमारी पृथ्वी के चारो ओर घूमता है। यही कारण है कि वह हमे बराबर रोशनी नहीं दे सकता।

इसके अतिरिक्त चाँद स्वयं गरम और चमकीला नहीं है। उसमे जो कुछ रोशनी है, वह सूरज का प्रतिबिम्बमात्र है। इसी लिए उसकी रोशनी मे गरमी नहीं होती। चाँद मे चीजो को पकाने या पानी बरसाने की भी शक्ति नहीं है।

फिर यह न समझना चाहिए कि चाँद बिल्कुल बेकाम चीज है—उससे हमारा कोई लाभ नहीं है। एक तो चाँद हमे रोशनी देता है, दूसरे चाँद के कारण समुद्र मे ज्वार भाटे आते है, जिनसे जहाजियों और मल्लाहों को बडी सहायता मिलती है।

२--हवा

जैसे पृथ्वी के ऊपर पानी के बड़े बड़े समुद्र हैं, उसी प्रकार सारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का समुद्र है। और जिस प्रकार पानी में मछलियाँ रहती हैं और उससे बाहर निकलने पर उनकी जान पर बन आती है उसी प्रकार हम इस हवा में रहते हैं, और यदि कोई हमें हवा के इस समुद्र से बाहर निकाल ले तो हम भी तुरन्त ही मर जाँय।

सदैव स्वच्छ हवा में श्वास लेना चाहिए, क्योंकि हवा जितनी ही स्वच्छ होगी, हमारे स्वास्थ्य के लिए उतनी ही लाभदायक होगी।

४—मेह

हवा के समान मेह भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे खाने पीने की जितनी सामग्री है, उसमें से अधिकांश पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। गेहूँ, चना, जौ अरहर या बाजरा लीजिये या सेब, नारंगी, अमरूद ये सभी पौधों और पेड़ों से पैदा होते हैं। इन पौधों के जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इन्हें जल और हवा मिले। यों तो सिंचाई के द्वारा भी इन पौधों को जल मिल सकता है, परन्तु अधिकतर ये मेह पर निर्भर रहते हैं। मेह आकाश से बरसनेवाले पानी को कहते हैं।

रोज नहाते समय हमारी धोतियाँ और अँगोछे भीग जाते हैं। उन्हें निचोड़ने पर पानी का बहुत कुछ भाग निकल जाता है, परंतु फिर भी उसका कुछ अंश कपड़ों में ऐसा समा जाता है कि वह बिना उनको सुखाये नहीं निकलता।

सुखाने पर कपड़ों का पानी कहाँ चला जाता है? कपड़ों में जो पानी होता है, वह गर्मी पाकर भाप बन जाता है और हलका होकर हवा में उड़ जाता है। इसी प्रकार नदियों, झीलों और जलाशयों से भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वही सब भाप इकट्ठी होकर हवा में जम जाती है और हमें बादलों के रूप में आकाश में उड़ती हुई दिखलाई देती है। बादल और कुछ नहीं, हवा में उड़ते हुए नन्हें जल कणों का समूह है।

यही छोटी छोटी बूँदें एक में मिलकर भारी हो जाती हैं

और तब बड़ी बड़ी बूँदों के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इसी को मेह कहते है।

अपने देश में मेह प्रायः गर्मी के पश्चात् असाढ़, सावन और भादों के महीनों में गिरता है। उस समय हमें वह बड़ा प्रिय लगता है। इससे गर्मी शान्त हो जाती है प्यासे पशुओं को पानी मिलता है और घास और पेड़-पौधे उगते हैं। हमारे खेतों में भी पानी पहुँच जाता है और नदी तालाब भी भर जाते हैं।

अभ्यास

(१) उपर्युक्त निबन्धों के ढाँचे बनाओ।

(२) निम्नलिखित विषयों पर निबन्ध लिखो।

(क) पानी (१) बहुत साधारण वस्तु (२) बड़ा उपयोगी (३) कैसे प्राप्त होता है (४) स्वच्छ करने के उपाय।

(ख) आँधी (१) तेज हवा (२) कैसे चलती है (३) हानि या लाभ।

सातवाँ अध्याय

१—वर्णनात्मक निबंध

मनुष्यकृत वस्तुएँ

१—वस्त्र

भोजन के पश्चात् मनुष्य की दूसरी आवश्यकता वस्त्र है। प्रकृति मे ऋतु के अनुसार कभी जाडा अधिक होता है और कभी गर्मी, शरीर को इन दशाओ के अनुकूल बनाने के लिए ही वस्त्र की आवश्यकता होती है।

वस्त्रो के तीन प्रयोजन है। एक तो शरीर की गर्मी बनाए रखना। दूसरे शरीर को बाहर की गर्मी या सर्दी से बचाना और तीसरे शरीर का सौंदर्य बढाना।

अपने देश मे प्रायः तीन प्रकार के वस्त्र देखने मे आते है — ऊनी, सूती और रेशमी। परन्तु शीतप्रधान देशो मे चमडे के वस्त्र भी पहने जाते है।

जानवरों को मार कर उनकी खाल निकाली जाती है और फिर उनके कपडे बनते है। ऊनी वस्त्र भेड, बकरी इत्यादि जानवरों के रोओं से बनते है। ये जाडा मे पहनने के काम आते है।

सूती वस्त्र रुई से बनाये जाते है। रुई एक प्रकार का रेशा है जो कपास नामक पौधे से निकलता है। सूती वस्त्र गर्मियों मे पहनने के काम आते है। ये हल्के और बडे ही सुखदायक होते है।

रेशम एक प्रकार के कीडे का जाला है। हमारे देश मे रेशम के वस्त्र पवित्र समझे जाते है। ये हल्के, मजबूत और चम-

ढीले होते हैं। रेशम के कपड़े भी गर्मियों में ही पहनने के काम आते हैं।

कपड़ों के पहनने में इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिये कि वे शरीर की रक्षा कर सकें। कुछ लोग कपड़ों से अहंकार में काम लेने लगे हैं। यह बुरा है। इतना स्मरण रहे कि वस्त्रों के पहनने का प्रधान उद्देश्य शरीर-रक्षा है।

कपड़ों में अपने अपने देश के अनुकूल मोटे छोटे भिन्न २ प्रकार की होती हैं और वह प्रायः उसी देश के जलवायु के अनुकूल होती हैं। परन्तु हमारे देश में यूरोपियन कपड़ों की नकल करने की प्रथा चल पड़ी है जो बहुत बुरी है।

हमें चाहिए कि सदैव अपनी देशी पोशाक पहनें क्योंकि वही हमारे देश के जलवायु के अनुकूल है। फिर यह हमारा राष्ट्रीय चिह्न भी तो है।

[illegible]—ताला

इसके नीचे एक ओर सरकती हुई लम्बी नली होती है जिसमे एक ओर छोटी तीलियों का एक सिरा बँधा रहता है।

डंडी मे दो कमानियाँ होती है जिन्हे घोडा भी कहते हैं। ये कमानियाँ दबाने से दब जाती है और छोडने पर अपने आप उभर आती है। इन कमानियों का यह उपयोग होता है कि ये छाते को अपने आप खुलने और बन्द होने से रोकती है।

नली को सरकाकर ऊपर की ओर वाली कमानी मे अट काने से छाता खुलता है।

तीलियाँ दो प्रकार की होती है। छोटी तीलियाँ बड़ी तीलियों को तानती है और बड़ी तीलियो पर कपडा चढ़ा रहता है। छोटी तीलियों की संख्या बडी तीलियों से दूनी होती है।

गिलाफ सूती या रेशमी कपडे का बनाया जाता है। छाते मे जितनी तीलियाँ होती है, कपडे की उतनी ही कलियाँ जोड कर गिलाफ बनाया जाता है।

आजकल बाजारों मे मिलनेवाले छाते अधिकतर जापान और जर्मनी से बनकर आते है। कुछ समय पहले भारतवर्ष मे भी छाते बनने लगे थे। परन्तु वे उतने साफ, सुन्दर और सस्ते न बन सके। इसी लिए बनानेवालों ने ऊबकर उनका बनाना छोड़ दिया परन्तु हमे विश्वास है कि यदि वे इस ओर उद्योग करते रहते तो थोडे दिनों मे जर्मनी और जापान के मुकाबले के छाते बनाने लग जाते।

३—साइकिल

साइकिल का आविष्कार पहले पहल एक अंग्रेज ने उन्नीसवीं शताब्दी में किया था। परन्तु जैसी साइकिले हम आज-कल देखते हैं, वैसी पहले न होती थीं। आज से ३५-४० वर्ष

पहले की बनी साइकिलें आज की साइकिलों से बिलकुल भिन्न होती थीं — सच पूछो तो आजकल के लोग उनकी ओर देखना भी न पसन्द करेंगे। उस समय की साइकिलें बड़ी भारी और ऊँची होती थीं। उनका एक पहिया तो दो गज ऊँचा होता था और दूसरा आध गज। उनके पहियों पर रबर के टायर भी न चढ़े थे। सच पूछो तो उस समय की साइकिल एक बड़ी भयंकर सवारी थी।

इन साइकिलों की अपेक्षा आजकल की साइकिलें कहीं अधिक सुरक्षित हैं। इनके दोनों पहिये बराबर होते हैं। चलाने में भी बहुत बल नहीं लगाना पड़ता और गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगे रहते हैं। इसके अतिरिक्त बैठने के लिए भी सुभीता हो गया है। हवादार टायर होने के कारण इन पर चढ़ने में धक्के इत्यादि भी नहीं लगते। सारांश यह कि आजकल की साइकिलों में आराम का पूरा प्रबन्ध है।

योरोप और अमेरिका में साइकिलों का बड़ा प्रचार है। वहाँ तो लोग उन्हें सबेरा होने से लेकर रात तक काम में लाते हैं। इसका कारण यह है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं और लोग पुरुषार्थी।

(२) निम्न लिखित विषयों के ढाँचे बनाओ।

(क) घडी

(ख) रेल

(ग) मोटर

(घ) गुब्बारा

(ङ) टेलीफोन

(३) निम्नलिखित ढाँचे के आधार पर निबन्ध लिखो।

(अ) हवाई जहाज

(क) आकार-वर्णन

(ख) उड़ने का इतिहास

(ग) गुब्बारा–उसमे सुधार

(घ) उनका उपयोग

(ङ) हानि–युद्ध मे प्रयोग आकाश मे टूटने से धन–जन–हानि

(आ) ट्राम-गाडी

(क) आकार वर्णन

(ख) आसानी से चलती है

(ग) घोडोंवाली और बिजलीवाली

(घ) उनसे लाभ

(ङ) केवल बडे शहरों मे ही चलती है—गावों मे क्यों नहीं चल सकती ?

(इ) तार

(क) कैसे जाता है

(ख) पूर्व इतिहास

(ग) लाभ

(घ) बे-तार का तार

(६) कागज

(क) लाभ-व्यापकता

(ख) कैसे बनता है-घास चीथड़े पुराने कागज, बाँस। पहले भारत में कहाँ बनता था।

(ग) कागज का इतिहास-भारत मिस्र और योरोप में-भोजपत्र पत्ते ईंटें दीवारें चमड़ा धातुओं के पत्र

(घ) यदि कागज न होता

(७) घड़ी—

आठवाँ अध्याय

पारसी

जब मुसलमानो ने पारस देशपर चढ़ाई की तो उन्होंने वहा के निवासियों को अनेक प्रकार से धर्म-परिवर्तन के लिए बाध्य किया। उनमे से कुछ ने तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और धर्म गॅवा कर वहाॅ सुखपूर्वक रहने लगे। परन्तु उनमे से कुछ ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानो के अत्याचारो से भयभीत होकर भारतवर्ष मे शरण ली। यही लोग पारसी है। इस जाति का कोई शृङ्खलाबद्ध इतिहास नही मिलता। अन्य जातियों के समान पूर्व इतिहास भी कहानियों के आधार पर बना है।

भारतवर्ष मे आने पर यहाॅ के शासकों ने उनके साथ बहुत ही दयापूर्ण व्यवहार किया, और भारतवर्ष मे आने के पश्चात् मुसलमानों के किञ्चित् अत्याचारो को छोड कर ये लोग सदैव सुख-शांतिपूर्वक रहे। इसका फल यह हुआ है कि ये लोग धन-धान्य से सम्पन्न होकर आज बबई का एक बड़ा शक्तिशाली और संघटित समाज बन गए है। भारतवर्ष मे इनकी मुख्य बस्ती बम्बई मे है परन्तु नौसारी मे भी इनका एक प्रधान स्थान है जहाॅ इनके पूर्वजो द्वारा लाई हुई पवित्र अग्नि आज तक प्रज्वलित है।

अपने धर्म के कट्टरपन और सहिष्णुता मे ससार मे पारसियों का मुकाबला यहूदी ही कर सकते है।

अपनी सहिष्णुता और शांत स्वभाव के कारण यह जाति बडी उन्नति कर गई है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष मे नागरिकों की हैसियत से पारसियों का स्थान सर्वोच्च है। ये लोग बडे परो-

व्यापारी होते है और भारतवर्ष के मुख्य-मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में पारसी लोग सम्मानित स्थान ग्रहण किए हुए देखे जाते हैं।

अपनी रहन-सहन में ये बड़े ही स्वच्छ रहते हैं। वास्तव में अनेक गुणों में पारसी अन्य भारतवासियों के लिये आदर्श हैं।

अभ्यास

(१) पारसीवाले निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

(२) इसी प्रकार सिक्ख हिन्दू और अंग्रेज पर एक एक निबन्ध लिखो।

इन निबन्धों के लिये निम्न लिखित ढाँचे से सहायता लेनी चाहिए—

नवाँ अध्याय

२—विवरणात्मक निबंध

विवरणात्मक निबंध दो भागों मे विभक्त किए जा सकते है (१) ऐतिहासिक तथा घटनात्मक (२) जीवन संबंधी।

(अ) ऐतिहासिक तथा घटनात्मक

(१) अशोक-स्तम्भ

दिल्ली ने न जाने कितने राज्यों के उत्थान और पतन देखे है। दिल्ली की भूमि मे उसके खँडहरों मे न जाने कितने नगरों का इतिहास लिखा है। उसके खँडहर और उन खँडहरों मे पाई जानेवाली वस्तुएँ पुरातत्व विशारदों के लिये अनेक इतिहास ग्रंथों से भी अधिक महत्व की है।

वहाँ पर २२०० वर्ष पूर्व का एक स्तम्भ है, जो धर्म-प्राण महाराज अशोक का बनवाया हुआ है। यह स्तम्भ दिल्ली के पास फिरोजाबाद के कोटला दुर्ग मे स्थापित है। परंतु इससे यह न समझना चाहिए कि पहले से यहाँ पर स्थित था।

महाराज अशोक ने इसकी स्थापना शिवालिक पर्वत के पास तोपहर गाँव मे की थी और वहाँ से उखड़वा कर फीरोज तुगलक इसे दिल्ली मे लाया था।

यह विशाल स्तंभ ३? फीट ऊँचा और गोलाई मे ?? फीट है और इसकी जड़ मे एक चबूतरा है। इतने बड़े स्तम्भ को एक स्थान से दूसरे स्थान मे ले जाना एक प्रकार से आश्चर्यजनक बात है। कहते है कि इसके उठाने मे दस हजार से भी अधिक मनुष्यों ने योग दिया था।

इमारत बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती है और उन दिनों की अनेक लोग प्रतीक्षा किया करते हैं।

अभ्यास

(१)—निम्नलिखित विषय पर दिये हुए ढाँचे की सहायता से निबंध लिखो—

अ—कानपुर।

(क) नाम, स्थल, ऐतिहासिक विवरण।

(ख) जलवायु-पैदावार।

(ग) सडकें, नहर इत्यादि।

(घ) शिक्षा।

(ङ) व्यापार-शिल्प।

(च) दर्शनीय-वस्तुएँ।

(२) इसी प्रकार अपने नगर पर एक निबंध लिखो।

(३) किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करो।

(४) अपनी किसी रेलयात्रा का विवरण लिखो।

अपना बहुत सा समय पंडितों, मौलवियों और पादरियों के साथ बिताते थे।

अकबर यद्यपि इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी थे, परन्तु घमंड उन्हें छू तक न गया था। वे आगन्तुकों के साथ बड़ा ही सभ्य व्यवहार करते थे।

उनमें एक गुण और भी था। धार्मिक कट्टरपन उनमें नाम का भी न था। प्रजा को स्वतंत्रता थी कि चाहे जिस प्रकार ईश्वर की पूजा करे।

इस प्रकार अकबर भारतवर्ष के एक महान सम्राट् हो गए और उनके राजत्व में भारतवर्ष ने विद्या, शिल्प, कला और धनधान्य में बड़ी उन्नति की। ईश्वर करे, भारतवर्ष को अकबर के समान सम्राट् फिर मिले।

२—अशोक

भारतवर्ष में अशोक नाम का एक बड़ा सम्राट् हो गया है। यह बड़ा ही विद्वान् और धार्मिक था और बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने बड़ी सहायता पहुँचाई।

कहा जाता है कि अपने पिता की मृत्यु के पहले अशोक उज्जैन का शासक था। अपने युवा काल में वह बड़ा ही निर्दय और कठोर था। बौद्धों का तो यहाँ तक कहना है कि उसने अपने भाइयों को मारकर राज-सिंहासन प्राप्त किया था। परन्तु यह बात असत्य प्रतीत होती है, क्योंकि इसके राज्य काल में इसके भाई बहनों के होने का प्रमाण मिलता है।

राज-तिलक होने के आठ वर्ष पश्चात् अशोक कलिंग विजय के लिये चला। इसके लिये उसे घोर युद्ध करना पड़ा और अंत में वह विजयी हुआ। परन्तु इस युद्ध में असंख्य हत्याएँ

२—शाहजहाँ, दयानंद और गांधी पर एक निबंध लिखो।

विशेष—जीवन चरित्र लिखने मे निम्नलिखित सूची स सहायता मिल सकती है।

१—जन्म और शिक्षा, २—बाल्यकाल, ३—सार्वजनिक सेवा, ४—जीवन की कोई विशेष घटना, ५—मृत्यु।

ग्यारहवाँ अध्याय

अनुभवात्मक निबंध

अनुभवात्मक निबंध व्यक्तिगत अनुभवों, यात्रा, घूमने फिरने अथवा किसी काल्पनिक अनुभव से संबंध रखता है। इस विषय के निबंध ज़रा कठिन होते हैं अतएव यदि अध्यापक चाहें तो इन्हें छोड़ सकते हैं। नीचे उदाहरणार्थ कुछ नोट्स दिये जाते हैं। अध्यापक को उन्हीं के अनुसार छोटे निबंध बालकों से लिखवाने चाहिए।

१—एक पहाड़ी दृश्य

३—अपने बचपन के अनुभव

(क) जीवन की कुछ घटनाएँ।
(ख) उनसे लाभ या हानि।
(ग) उनका दूसरों पर प्रभाव।
(घ) उन पर दूसरों की सम्मति।
(ङ) अब उनके स्मरण आने पर कैसा अनुभव होता है।

अभ्यास

(१) उपर्युक्त ढाँचों के अनुसार उन्हीं विषयों पर निबंध लिखो।
(२) निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखोः—
(क) तीर्थ-यात्रा।
(ख) यदि तुम राजा बना दिए जाओ तो क्या करोगे?
(ग) अपनी पुस्तक की आत्मकथा।
(घ) कोई स्वप्न।
(ङ) अपने जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना।

निबंध

१—नागरिकता

किसी राज्य की प्रजा को उस राज्य का नागरिक कहते हैं और नागरिकों मे जिन गुणों के होने की आवश्यकता है, उन गुणों के समूह को नागरिकता कहते हैं।

प्रायः लोग राजभक्ति और नागरिकता को अन्योन्याश्रित समझते हैं। परन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता। ये दोनों एक दूसरी से भिन्न हैं। प्रायः इन दोनों मे से एक प्रकार का झगड़ा सा रहता है।

इङ्गलैंड के राजा चार्ल्स की मृत्यु इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। वास्तव मे नागरिकता मे इन गुणों का समावेश होता है—देश के प्रति प्रेम तथा देश का उपकार करने की प्रवृत्ति। अब यदि राजा बुद्धिमान और देशप्रेमी है तो राजभक्ति भी नागरिकता का एक अङ्ग बन जाती है। परन्तु यदि राजा दुष्ट और अत्याचारी है तो उसके प्रति श्रद्धा या भक्ति रखना देश के साथ विश्वासघात करना है, और ऐसी राजभक्ति नागरिकता के अन्तर्गत नहीं आ सकती।

हमने अपने जीवन का बहुत कुछ अंश अपने माता-पिता और देश से पाया है। अतएव उन दोनों को ही उसे ले लेने का अधिकार है। अतएव सच्चा नागरिक वही है जो राज्य के लिए अपना जीवन तक देने को उद्यत हो।

नागरिकों का दूसरा धर्म है—अन्य नागरिकों के साथ सहयोग। परन्तु सहयोग केवल उन्हीं कार्यों मे किया जाना चाहिए जो राज्य के लिए उपयोगी हो।

२—भारतवर्ष के अखबार

भारत मे अखबारो का आविर्भाव अंग्रेजी राज्य मे ही हुआ है। कहते है कि भारतवर्ष मे जो सबसे पहले संपादक थे, उन्हें देशनिकाला दे दिया गया था। कारण यह था कि उन्होंने सरकारी विभाग के कर्मचारियों की कुछ तीव्र आलोचना की और फल स्वरूप अफसरों ने उन्हें जहाज पर चढ़ा कर इङ्गलैंड भेज दिया। यहॉ पर यह कह देना आवश्यक है कि वे संपादक महोदय इङ्गलैंड देश के ही निवासी थे।

परंतु आज वैसा वातावरण नहीं रहा है। आजकल अखबार पहले की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र है। आज यदि उन पर कोई अभियोग लगाया जाता है, तो न्यायालय मे उस पर विचार होता है और अभियुक्त को अपनी निर्दोषिता साबित करने के लिए अवकाश दिया जाता है।

आज तो अखबारों को भारत सरकार के बडे से बडे कर्मचारी की भी आलोचना करने का अधिकार है। यद्यपि यह बात अवश्य है कि इस अधिकार का कभी कभी दुरुपयोग भी किया जाता है और उसके लिए अखबारों के सपादकों को कठोर दंड मिलता है परन्तु अखबारो का ऐसा दमन सदैव नहीं होता। वह केवल विशेष अवसरों पर होता है—ऐसे अवसरों पर जब सरकार परिस्थिति भयजनक देखती है।

भारतवर्ष मे इस समय सैकडों अखबार निकल रहे है और उनमे से अनेक संसार के उच्च कोटि के पत्रों की श्रेणी मे रखे जा सकते हैं। ये भारतवर्ष की उन्नति के परिचायक है।

इनके अखबारों मे से अनेक भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति

विराम चिह्न

किसी लेख को पढते समय हमे बीच बीच मे रुकना पडता है। हम अल्पविराम, अर्ध-विराम, विराम इत्यादि चिह्नों पर रुकते है। इन्ही को भाषा मे विराम कहा जाता है।

विराम इसलिए लगाए जाते है कि पढने मे सुभीता हो और अर्थ स्पष्ट हो।

[।] पूर्ण विराम
[;] अर्ध विराम
[,] अल्प विराम
[:] कोलन
[?] प्रश्नबोधक चिह्न
[!] विस्मयादिबोधक चिह्न
“ ” उद्धरण या पर-वाक्य चिह्न
( ) कोष्ठ

(१) जहाॅ पर पूर्ण विराम लगा हो, वहाॅ पढने मे थोडी देर रुकना चाहिए। यह प्रत्येक वाक्य के अन्त मे लगाया जाता है।

(२) अर्धविराम मे विराम से आधे समय तक रुकना चाहिए।

इसका प्रयोग ऐसे वाक्यों के अलग करने मे होता है जिनका भाव तो एक ही जैसा हो, परन्तु आशय दूसरा हो जैसे, मूर्खों से मै भय खाता हूँ; धूर्तों से घृणा करता हूँ; दुष्टों पर मुझे दया आती है और पंडितों पर मै श्रद्धा रखता हूँ।

(इस चिह्न का प्रयोग हिंदी मे बहुत कम होता है।)

एक तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का कथन उसी के शब्दों में रखते हैं। दूसरे जब हम किसी अन्य लेख से कुछ अंश उद्धृत करते हैं।

(हिंदी में इस चिह्न के लिए अनेक शब्द गढे गए हैं, पर हम सम झते हैं कि "पर वाक्य चिह्न" सरलता की दृष्टि से सर्वोत्तम है।)

(८) कोष्ठ चिह्न का प्रयोग ऐसे स्थलों पर किया जाता है जहाँ शब्द विशेष अथवा वाक्य को समझाने के लिए कुछ अधिक शब्द रखे जाते हैं। कोष्ठ मे ये अधिक शब्द रखे या बन्द कर दिये जाते हैं।

जैसे—

पं० रामप्रसाद जी शर्मा (तत्कालीन सभापति) ने इस अवसर पर बड़ी तत्परता से कार्य किया।

इस अध्याय मे विराम-चिह्नों पर बहुत सूक्ष्म रीति से विचार किया गया है, पर अभी इससे अधिक जानने की बालकों को आवश्यकता भी नहीं है।

एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है। विराम चिह्न कोई रटा देने की वस्तु नहीं हैं। इसके लिए कई महीने तक अभ्यास कराने की आवश्यकता है। अतएव यह अधिक उत्तम होगा कि अध्यापक विराम चिह्नों के लिए अलग अभ्यास न देकर कहानी और निबंधवाले अभ्यासों के साथ ही साथ इन चिह्न अभ्यासों को भी चलावें तथा बहुत ही सरल आवश्यक और सदैव प्रयोग मे आनेवाले विराम चिह्नों का प्रयोग पहले और कठिन तथा कम प्रयोग मे आनेवाले चिह्नों का प्रयोग पीछे सिखलाना चाहिए।

द्वितीयावृत्ति की प्रस्तावना

निबन्ध-लेखन में कहावतों और मुहावरो का कितना महत्व है, इसे दृष्टि-पथ में रखकर इन विषयों पर दो छोटे-छोटे अध्याय पुस्तक में जोड़ दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त साधारण संशोधनों को छोड़कर कोई दूसरा परिवर्त्तन पुस्तक मे नहीं किया गया।

कितने ही अध्यापकों ने पुस्तक की भूमिका मे हमारे नम्र निवेदन पर ध्यान देकर उसके अनुसार शिक्षण किया है और हमें संतोषसूचक पत्र लिखे हैं। हमे प्रसन्नता है कि पुस्तक को उन लोगों ने उपयोगी पाया, जिनके लिये यह लिखी गयी है।

अजमेर,
१ मई, १९३१

देवकीनन्दन शर्म्मा

विषय-सूची

१. कहानी-रचना

२. पत्र-रचना

निबन्ध-रचना

१. भाषा-विषयक

२ वर्णनात्मक निबन्ध

३. विवरणात्मक निबन्ध

४. विचारात्मक

निबन्ध की भूमिका

अध्यापकों से नम्र निवेदन

निबन्ध-लेखन-कला साहित्य का सब से आवश्यक अंग है। किन्तु यह जितना आवश्यक है, उतना ही इस कला में सिद्ध-हस्त होना कठिन है। इसके लिये न तो केवल अध्यापकों का प्रयत्न ही पर्याप्त होगा, न निबन्धों के सकेतों से भरी हुई पुस्तकें। अध्यापकों का कर्त्तव्य निबन्ध के शिक्षण में बहुत कठिन है। अनुभव से और उचित विचार करने के पश्चात् निबन्ध शिक्षण की निम्नलिखित शैली समझ में आती है, जो अध्यापकों की सेवा में प्रस्तुत की जाती है।

[१]

१—विद्यार्थियों के सामने एक विषय प्रस्तुत किया जाय और उनसे कहा जाय कि वे उस विषय पर विचार करें। इसके लिये पाँच मिनट देना पर्य्याप्त होगा। कुछ विचारकों के मत में विषय यदि एक दिन पूर्व अथवा पहिले 'टर्न' पर दिया जाय तो अच्छा होगा। किन्तु लेखक इस विधि को हानिकर समझता है। जो बच्चों के मनोविज्ञान को थोडा-बहुत भी जानते हैं, वे समझ सकते हैं कि बच्चे विषय पर स्वय विचार करने के स्थान में ऐसी पुस्तकें टटोलेंगे जिनमें

उस विषय पर लिखा-लिखाया निबन्ध मिल जाय, या किसी से उस विषय पर पूछेंगे अथवा उसे बिलकुल भूल जायँगे। इसलिये जिन अध्यापकों का उद्देश्य विद्यार्थियों की कल्पना तथा विचार-शक्ति को उन्नत करना है, वह पाँच मिनट देकर ही विद्यार्थियों से विषय पर विचार करा लेंगे।

इसके पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी से प्रश्न किये जायँ कि वह उस विषय के सम्बन्ध में क्या जानता है। जो-जो बातें विद्यार्थी बतलावें, उन्हें क्रम से अध्यापक को बोर्ड पर लिख देना चाहिए। इस प्रकार सब ज्ञातव्य बातें मालूम हो जायँगी। कभी कभी अध्यापक अपने आप प्रश्न करके ऐसी बातें विद्यार्थियों से निकलवा सकेंगे जो वह स्वयं नहीं बतला सकते। अध्यापक का यह कार्य्य कठिन है। इसके अतिरिक्त अध्यापक स्वयं ऐसी बातें बतलावें जो विद्यार्थी जानते न हों। सबसे पहिले विद्यार्थियों को इसका अभ्यास कराना चाहिए। उदाहरण के लिये —

फुटबाल

अध्यापक—आप फुटबाल के विषय में क्या जानते हैं ?

१ वि०—यह गेंद का खेल है।

२. "—सब स्कूलों में लड़के खेलते हैं।

३. "—यह गोल होता है।

४. "—एक चौड़े मैदान में खेलते हैं।

५ वि०—गेंद को पैर से मारते हैं।

६ "—यह बहुत ऊँचा गद्दा खाता है।

७. "—इसमें हाथ नहीं मार सकते।

८ "—इसमें सिर भी मार देते हैं।

९ "—दो पार्टियाँ बना लेते है।

१०. "—एक कप्तान होता है।

११ "—हर तरफ़ ११ खेलाड़ी होते हैं।

१२ "—गेंद गोल के अन्दर पहुँचता है, तब गोल होता है।

१३. "—५ 'फ़ारवर्ड' होते हैं, ३ 'हाफ़ बैक. २ 'बैक' और एक 'गोल-कीपर'।

१४ "—गेंद के लिये वह धक्का देते है, पर हाथ से नहीं।

१५. "—एक 'रेफ़री' होता है जिसके पास सीटी रहती है। उसकी आज्ञा सब मानते हैं।

१६. "—फुटबाल चमडे का होता है और उसके अन्दर रबड का 'ब्लेडर' होता है।

१७. "—उसमें हवा भरी जाती है। खेलने के पश्चात् उसे निकाल देते हैं।

अध्यापक—और मैदान पर क्या होता है!

१८. वि०—उसमें दोनों तरफ दो गोल के खम्भे लगे रहते हैं।

१९. "—चारों कोनों पर ४ झंडियाँ रहती है।

अध्यापक—अच्छा, दो बातें और याद रक्खो —

१. यह खेल योरप से आया है।

२. इसके खेलने से फुरती आती है, पट्ठे मज़बूत होते हैं और हार-जीत को एक सा समझने का स्वभाव बनता है।

इस प्रकार 'फुटबाल' पर निबन्ध लिखने के लिये सब बातें मालूम हो गयीं। अध्यापकों को चाहिए कि विद्यार्थियों को प्रस्तुत विषय पर विचार करने का अभ्यास सिखाने के लिये उनसे उपर्युक्त प्रकार से प्रश्न करके संकेत तैयार करावें।

२—जब विचार संकेत मिल जायँ तो दूसरा काम उनको क्रम देना है। यह काम कठिन है। दुर्भाग्य से अध्यापकों द्वारा इसका शिक्षण कम होता है। इसके लिये आवश्यक है कि अध्यापक स्वयं बिना क्रम के बहुत से विचार-संकेत विद्यार्थियों को लिखा दें और उनसे आपस में मिलते-जुलते विचार-संकेतों के वर्ग (Croups) बनाने को कहें। एक-दो बार अध्यापक स्वयं विद्यार्थियों से प्रश्न करके विचार-संकेतों का उचित वर्गीकरण कर दें। पुन विद्यार्थियों से अभ्यास करावें। तत्पश्चात् या साथ ही वर्गों का नाम भी दे देना चाहिए। ये वर्गों के नाम जिन्हें शीर्षक कहा जा सकता है, निबन्ध के लिखने में प्रयुक्त नहीं होते, अत इनके रचना-सौन्दर्य पर अधिक ध्यान न देना चाहिए। वर्गों के नाम विचार-संकेतों को देखकर ही मन में आ जाते हैं। उदाहरण के लिये —

गेंद की बनावट

३. वह गोल होता है।

१६ वह चमड़े का होता है और उसमें रबड़ का 'ब्लैडर' होता है।

१७. उसमें हवा भरते हैं और खेलने के पश्चात् उसे निकाल देते हैं।

खेलने का नियम

५ उसमें पैर मारते हैं।

६ गेंद ऊपर को उछलता है।

७ उसमें हाथ नहीं मार सकते।

८. सिर भी मारते हैं।

१६. गेंद गोल के अन्दर पहुँचाते हैं, तब गोल होता है।

खेलने की रीति

६. दो पार्टियाँ होती हैं।

११. एक पार्टी में ११ खिलाडी होते हैं।

१२ खिलाडियों में ५ फॉर्वर्ड, ३ हाफ़बैक, २ बैक और १ गोलकीपर होता है।

१०. एक कैप्टेन होता है।

१५ एक 'रेफरी' होता है जो सीटी बजाकर खेलाता है।

१४. गेंद लेने को वे आपस में धक्का देते हैं, पर हाथ से नहीं।

खेल कैसा है

अ० १. यह गेंद का खेल है।

अ० २. यह खेल योरप से यहाँ आया है।

२. सब स्कूलों में खेला जाता है।

खेलने का मैदान

४. एक चौडे मैदान में खेलते है।

१८ उसमें दोनों तरफ़ दो गोल के खम्भे रहते हैं।

२६. चारों कोनों पर चार झंडियाँ लगी रहती हैं।

लाभ

२१. इसके खेलने से फुर्ती आती है, पट्ठे मजबूत होते हैं और हार जीत को एक-सा समझने का स्वभाव बनता है।

३—किन्तु इन वर्गों अथवा इनके शीर्षकों में भी उचित क्रम देना चाहिए। वास्तव में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। हम जब निबन्ध लिखते हैं, तब ये सब अवस्थाएँ पृथक् पृथक् नहीं होतीं, किन्तु विद्यार्थियों के लिये इनका अभ्यास अत्युपयोगी होगा। इनके द्वारा उनमें क्रम से विचार करने की शक्ति आ जायगी। अस्तु। प्रश्न यह है कि इनका वर्गीकरण कैसे क्रमबद्ध किया जाय? प्रथम उस वर्ग को रखना चाहिए जिसमें सबसे प्रथम ध्यान देने योग्य बात हो।

इसके पश्चात् जिसका ध्यान आता हो, उसे उसके अनंतर रखना चाहिए। वर्गों को इसी क्रम से रखना चाहिए। उदाहरण के लिये, फुटबाल खेल के विषय में जानने की इच्छा करनेवाला पहिले यह जानने की इच्छा करेगा कि यह खेल आख़िर है कैसा। पुन वह यह जानने का प्रयत्न करेगा कि जिस गेंद से खेल खेला जाता है, वह बना कैसे है। इसकी बनावट के पश्चात् फिर यह प्रश्न होगा कि यह गेंद कहाँ खेला जाता है। मैदान के विषय में जानकर खेलने के नियम जानने की आवश्यकता है। नियम जानकर इस बात को जानने की उत्कण्ठा होगी कि वस्तुत इसके खेलने की रीति क्या है। खेलने की रीति के पश्चात् उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि आख़िर इससे लाभ क्या है। इस प्रकार क्रम से विचार करते हुए वर्गक्रम प्राप्त होगा और इसी के अनुसार निबन्ध लिखना चाहिए।

४—जब विचार-सकेतों को इकट्ठे करने, उनको वर्गों में विभक्त करने तथा वर्गों में क्रम देने का विद्यार्थियों को अभ्यास हो जाय, तब उन्हें वर्गों के शीर्षक देकर, उनके नीचे विचार-सकेत प्रश्न कर करके एकत्र करने चाहिएँ। इसके द्वारा उचित क्रम से विचार सकलन करने का अभ्यास होगा। अध्यापकों को चाहिए कि बोर्ड पर वर्ग-शीर्षक लिखकर नीचे विद्यार्थियों के बतलाये विचार-सकेत लिखते रहें। पुन प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत विचार-पुञ्ज में क्रम दिखलावें।

उदाहरण के लिये —

हाथी

आकार

अध्यापक—आप हाथी के आकार के विषय में क्या जानते हैं ?

१ वि०—वह बहुत बड़ा होता है ।

२. वि०—उसका रंग काला होता है ।

३. वि०—हमने पढ़ा है कि हमारे सम्राट् को श्वेत हाथी भेंट दिया गया था ।

अध्यापक—ठीक है, कोई-कोई हाथी श्वेत भी होते हैं ।

४. वि०—उसके छाज जैसे बड़े कान होते हैं ।

५ वि०—उसकी सूँड लम्बी होती है । इससे वह पेड़ की शाखायें तोड़ता है और मुँह में खाना-पीना पहुँचाता है ।

६ वि०—उसके पैर बहुत भारी खम्भों जैसे होते हैं ।

७ वि०—उसके दो बड़े-बड़े दाँत होते हैं, किन्तु खाने के दाँत दूसरे होते हैं ।

कहाँ मिलता है

अध्यापक—क्या आप बता सकते हैं कि हाथी किस स्थान में पाया जाता है ?

१ वि०—हमारे देश में ।

२. वि०—हमने पढ़ा है कि बर्मा में भी पाया जाता है ।

३. वि०—और हमें मालूम नहीं।

अध्यापक—सीलोन और अफ्रीका में भी पाया जाता है।

स्वभाव

अध्यापक—इसके स्वभाव के विषय में क्या जानते हैं?

१. वि०—यह अंकुश से बहुत डरता है।

२. वि०—यह बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धिमत्ता की कितनी ही कहानियाँ पढ़ी और सुनी हैं।

३. वि०—यह अपनी सूँड से बारीक से बारीक चीज़ उठा सकता है।

४ वि०—यह अपने महावत को खूब पहिचानता है।

उपयोगिता

अध्यापक—बतलाओ, हाथी किस काम में आता है?

१ वि०—इस पर सवारी की जाती है।

२. वि०—यह बहुत सी भारी वस्तुएँ उठाकर ले जा सकता है।

३. वि०—इसके दाँत बहुत कीमती होते हैं।

अध्यापक—अच्छा, और आपने यह नहीं पढ़ा कि बहुत से राजा इसलिये हार गये कि उनके हाथी बिगड़ गये थे?

४ वि०—हाँ, कई जगह पढ़ा है।

अध्यापक—तो इसका तात्पर्य?

४. वि०—यह कि पहिले हाथी लड़ाई में भी काम आता था, पर आजकल नहीं।

५.—पुन विद्यार्थियों को अभ्यास कराना चाहिए कि दिये गये विषय के वर्ग-शीर्षक (headings) किस प्रकार बनाये जायँ। निबन्ध लिखते समय साधारणतया यही बात पहिले आती है, किन्तु इसका अभ्यास सबसे अन्त में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कल्पना और विचार की अधिक आवश्यकता है। यह स्मरण रहे कि निबन्ध लिखना सिखाने का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों की कल्पना तथा विचार-शक्तियों को क्रम से उन्नत करना है। उदाहरण के लिये—

नीम

अध्यापक—यदि नीम पर निबन्ध लिखना है तो किन किन शीर्षकों में इसे बाँटेंगे?

१. वि०—पहिले तो कहेंगे कि यह कितना बड़ा होता है, पत्तियाँ कैसी होती हैं, कैसे फूल और कैसे फल होते हैं।

अध्यापक—ठीक है, अर्थात् पहिले आप इसके आकार के विषय में लिखेंगे।

२ वि०—फिर हम बतलावेंगे कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है।

अध्यापक—फिर?

२. वि०—फिर हम बतलावेंगे कि इसकी पत्तियों का, छाल

का, गोंद का तथा फूल और फल का क्या होता है।

अध्यापक—अर्थात् फिर आप इसकी उपयोगिता बतलावेंगे।

इस प्रकार से पहिले किसी विषय पर बिना क्रम के विचार-सग्रह कराना चाहिए। दूसरे, इस क्रमहीन विचार-पुञ्ज में क्रम देना चाहिए। इसका अभ्यास कराने के लिये स्वयं विद्यार्थियों को किसी विषय पर बहुत से विचार-संकेत दे दिये जायँ और उन्हें क्रमानुसार रखने का अभ्यास कराया जाय। तीसरे, वर्गों को भी उचित क्रमानुसार रखना चाहिए। चौथे, वर्ग-शीर्षक देकर उनके नीचे संकेत-संकलन करना चाहिए। और अन्त में विषय को वर्ग-शीर्षकों में बाँटने का अभ्यास कराया जाय। यदि क्रम से विद्यार्थियों का उपर्युक्त विधान का अभ्यास किताब आरम्भ करने से तीन-चार मास पूर्व तक कराया जायगा, तो आशा है कि विद्यार्थियों की विचार-शक्ति को क्रम से उन्नत करने के उद्देश्य में अध्यापक लोग सफल होंगे।

[२]

अब रहा विचार-सकेतों को निबन्ध के रूप में परिणत करना, यह पहिले इनके वाक्य और पुन अनुच्छेदन बनाकर ही हो सकता है।

अध्यापक विद्यार्थियों के मन पर यह अङ्कित कर दें कि वाक्य, अनुच्छेद और निबन्ध एक ही सिद्धान्त पर अवलम्बित

४. वि०—यह कि पहिले हाथी लड़ाई में भी काम आता था, पर आजकल नहीं।

५.—पुन. विद्यार्थियों को अभ्यास कराना चाहिए कि दिये गये विषय के वर्ग-शीर्षक (headings) किस प्रकार बनाये जायँ। निबन्ध लिखते समय साधारणतया यही बात पहिले आती है, किन्तु इसका अभ्यास सबसे अन्त में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कल्पना और विचार की अधिक आवश्यकता है। यह स्मरण रहे कि निबन्ध लिखना सिखाने का एकमात्र उद्देश्य विद्यार्थियों की कल्पना तथा विचार-शक्तियों को क्रम से उन्नत करना है। उदाहरण के लिये—

नीम

अध्यापक—यदि नीम पर निबन्ध लिखना है तो किन किन शीर्षकों में इसे बाँटेंगे ?

१. वि०—पहिले तो कहेंगे कि यह कितना बडा होता है, पत्तियाँ कैसी होती है, कैसे फूल और कैसे फल होते हैं।

अध्यापक—ठीक है, अर्थात् पहिले आप इसके आकार के विषय में लिखेंगे।

२. वि०—फिर हम बतलावेंगे कि यह पेड़ कहाँ पाया जाता है।

अध्यापक—फिर ?

२. वि०—फिर हम बतलावेंगे कि इसकी पत्तियों का, छाल

का, गोंद का तथा फूल और फल का क्या होता है।

अध्यापक—अर्थात् फिर आप इसकी उपयोगिता बतलावेंगे।

इस प्रकार से पहिले किसी विषय पर बिना क्रम के विचार-संग्रह कराना चाहिए। दूसरे, इस क्रमहीन विचार-पुञ्ज में क्रम देना चाहिए। इसका अभ्यास कराने के लिये स्वयं विद्यार्थियों को किसी विषय पर बहुत से विचार-संकेत दे दिये जायँ और उन्हें क्रमानुसार रखने का अभ्यास कराया जाय। तीसरे, वर्गों को भी उचित क्रमानुसार रखना चाहिए। चौथे, वर्ग-शीर्षक देकर उनके नीचे संकेत-संकलन करना चाहिए। और अन्त में विषय को वर्ग-शीर्षकों में बाँटने का अभ्यास कराया जाय। यदि क्रम से विद्यार्थियों का उपर्युक्त विधान का अभ्यास किताब आरम्भ करने से तीन-चार मास पूर्व तक कराया जायगा, तो आशा है कि विद्यार्थियों की विचार-शक्ति को क्रम से उन्नत करने के उद्देश्य में अध्यापक लोग सफल होंगे।

[२]

अब रहा विचार-संकेतों को निबन्ध के रूप में परिणत करना, यह पहिले इनके वाक्य और पुन अनुच्छेदन बनाकर ही हो सकता है।

अध्यापक विद्यार्थियों के मन पर यह अङ्कित कर दें कि वाक्य, अनुच्छेद और निबन्ध एक ही सिद्धान्त पर अवलम्बित

हैं। वाक्य का आधार एक विचार (thought) पर, अनुच्छेद का आधार एक भाव (topic) पर और निबन्ध का आधार एक विषय (theme) पर रहता है। यदि दूसरे प्रकार से देखा जाय तो वाक्य, वाक्यांशों (ideas) से मिल कर, अनुच्छेद, वाक्यों से मिल कर और निबन्ध, अनुच्छेदों से मिलकर, बनते हैं। इसलिये अध्यापकों को चाहिए कि निबन्ध-लेखन की तैयारी निम्न रीति से करायें.—

१—आरम्भ में वाक्य-रचना का अभ्यास कराया जाय। विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि वाक्य के प्राण एक मुख्य बात (विचारांश) में रहते हैं। इस बात को वाक्य में अन्य बातों की अपेक्षा स्थान भी मुख्य ही मिलना चाहिए। विद्यार्थियों को यह भी बताना चाहिए कि अन्य आश्रित बातों को वाक्य में कहाँ-कहाँ स्थान मिलना चाहिए। वस्तुतः एक वाक्य एक सूक्ष्म निबन्ध ही है। वाक्य के छोटे और लम्बे बनाने का भी बहुत प्रभाव होता है। छोटे वाक्यों से अर्थ में गम्भीरता और बल आता है। सुसंगठित लम्बे वाक्यों से सौन्दर्य बढ़ता है।

२—इसी प्रकार अनुच्छेद भी एक प्रकार से वाक्य का बड़ा रूप है। उसमें एक ही भाव प्रकट करना होता है। जैसे, वाक्य में कर्त्ता को साधारणतया पहिले और कर्म को पीछे स्थान मिलता है, इसी प्रकार अनुच्छेद में प्रधान वाक्य को पहिले और इसके आश्रित अन्य वाक्यों को पीछे। तात्पर्य

यह कि जो वाक्य अनुच्छेद का प्राण होता है, उसे स्थान भी अनुच्छेद में मुख्य ही मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद का प्रथम वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें पिछले अनुच्छेद से सम्बन्धसूचक कुछ शब्द (जैसे—किन्तु, यद्यपि, इसके अतिरिक्त, अब, इत्यादि) अवश्य हों। अध्यापकों को विद्यार्थियों से अनुच्छेद बनाने का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। इसके लिये सबसे उपयोगी बात यह होगी कि पहिले उन्हें एक वाक्य दे दें और विद्यार्थियों से अन्य आश्रित वाक्य द्वारा उसे अनुच्छेद के रूप में परिणत करावें। और फिर अनुच्छेद दे दें और उसके गौण वाक्य पृथक् कराके उसको प्रधान वाक्य के रूप में परिणत करावें।

३—इसी प्रकार सम्पूर्ण निबन्ध को भी समझना चाहिए। इसके संघटन के विषय में पहिले कहा जा चुका है।

[३]

विद्यार्थियों के लिये भाषा की शिक्षा नियमों के स्मरण करने से नहीं हो सकती। यह तो अच्छी-अच्छी पुस्तकों के पढ़ने से ही प्राप्त हो सकती है। उपर्युक्त शब्द तथा मुहावरे-दार भाषा का प्रयोग न होने से, विचारों से सुसंघटित होने पर भी निबन्ध उत्तम निबन्ध नहीं हो सकता। वस्तुत यह कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी कि एक सुसंघटित विचारों-वाला दूषित भाषा-युक्त निबन्ध अन्य दूषित विचार वाले सुन्दर भाषायुक्त निबन्ध से तुलना नहीं कर सकता।

भाषा के विषय में विद्यार्थियों को यह भी समझा देना ठीक होगा कि वे अप्रचलित क्लिष्ट संस्कृत शब्दों से मोह, प्रचलित उर्दू शब्दों से घृणा और अंग्रेज़ी शब्दों की भरमार करना छोड़ दें।

प्रथम खण्ड

कहानी-रचना

कहानी-रचना

पहिला अध्याय

कहानी देकर

निबन्ध लिखने से पूर्व विद्यार्थियों की कल्पना-शक्ति को उनसे कहानी लिखवाकर पुष्ट करना चाहिए। कहानियों में बच्चों को स्वभाव से ही प्रेम रहता है। इस लिये कहानी-रचना द्वारा उनकी कल्पना-शक्ति सहज ही में प्रबल हो सकेगी। कहानी लिखाने की कितनी ही अवस्थाएँ होती हैं। इनमें से दी हुई कहानी पर कहानी लिखवाना पहिली अवस्था है।

अध्यापक को चाहिए कि (१) कहानी बच्चों को स्वयं पढ़कर सुनावे, कहे, अथवा उनमें से किसी से पढ़वावे, (२) तब उस कहानी पर प्रश्न करते हुए संकेत निश्चित करे और (३) बच्चों को संकेत देकर उन पर कहानी रचना करावे। उदाहरण के लिये —

(१) अध्यापक निम्नलिखित कहानी बच्चों के सामने पढ़े —

दो स्त्रियों में एक बच्चे के लिये झगड़ा हो रहा था। एक कहती थी कि बच्चा मेरा है और दूसरी कहती थी कि मेरा।

वे दोनों न्यायाध्यक्ष के पास गयीं। न्यायाध्यक्ष ने बहुत जानने का प्रयत्न किया कि कौन-सी स्त्री सच्ची है, परन्तु कुछ फल न हुआ। अन्त में उसने बच्चे को बुलवाया और उसे जल्लाद को सुपुर्द करके कहा कि इस बच्चे के दो बराबर भाग करके इन स्त्रियों को दे दो। इसपर उनमें से एक स्त्री चिल्ला पड़ी और बोली कि बच्चा मेरा नहीं है, इसे भगवान् के लिये मत मारो। न्यायाध्यक्ष को मालूम हो गया कि बच्चा उसी का था जिसके मन में बच्चे के लिये प्रेम था और तुरन्त बच्चा उसी को दिलवा दिया।

(२) अध्यापक उपर्युक्त कहानी पर बच्चों से प्रश्न करके संकेत निश्चय करे —

अ०—स्त्रियाँ क्यों झगड़ रही थीं ?

वि०—एक बच्चे के लिये।

अ०—वे किसके पास गयीं ?

वि०—न्यायाध्यक्ष के पास।

अ०—न्यायाध्यक्ष ने क्या किया ?

वि०—उसे सच्चाई न मालूम हुई।

अ०—फिर क्या किया ?

वि०—फिर उसने जल्लाद को उसके दो टुकड़े करने को कहा।

अ०—तब स्त्रियों की क्या दशा हुई ?

वि०—उनमें से एक चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि बच्चा मेरा नहीं है।

अ०—तब न्यायाध्यक्ष ने क्या परिणाम निकाला ?

वि०—यह कि बच्चा उसी का है।

प्रश्नों के द्वारा निकला हुआ संकेत-क्रम

१. दो स्त्रियाँ एक बच्चे के लिये झगड़ रही थीं।

२. वे न्यायाध्यक्ष के पास गयीं।

३. न्यायाध्यक्ष सच्चाई न मालूम कर सका।

४. तब उसने जल्लाद से बच्चे के दो टुकड़े करने को कहा।

५ इस पर एक स्त्री चिल्ला पड़ी और कहने लगी कि बच्चा मेरा नहीं है।

६. न्यायाध्यक्ष ने समझ लिया कि बच्चा इसी का है।

(३) अध्यापक ऊपर के संकेतों पर विद्यार्थियों से कहानी लिखवावे।

अभ्यास

निम्नलिखित कहानियों को सुनाकर प्रश्न द्वारा विद्यार्थियों से संकेत बनवाओ और संकेतों के द्वारा पुन कहानी रचना कराओ।

(१)

एक माली ने मरते समय अपने लड़कों को बुलाकर कहा कि मैंने बाग के हर पेड़ की जड़ में कुछ रुपये गाड़े हैं जो तुम्हें मिलेंगे। तुम हर एक वृक्ष की जड़ को प्रत्येक रविवार को खोदा करो, वर्ष भर के अन्दर तुम्हें हर पेड़ की जड़ में से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। माली के मरने के पश्चात् लड़कों ने ऐसा ही किया, किन्तु ३–४ मास पीछे जब कुछ भी

न मिला तो माँ के पास आकर कहने लगे कि हमारे बाप क्या मरते समय झूठ बोल रहे थे ? माँ ने कहा कि वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। तुम साल भर तक जड़ खोदे जाओ, तुम्हें एक न एक दिन रुपये जरूर मिलेंगे। लड़कों ने ऐसा ही किया और उस वर्ष पेड़ों की फस्ल चौगुने दर में बिकी।

(२)

एक समय एक रईस पुराने ढंग की गाडी पर सवार होकर जा रहे थे, किन्तु उनका घोड़ा बडा दुष्ट था। मार्ग में एक डाक्टर महोदय मिले। उन महानुभाव ने बडे आदर से डाक्टर महाशय को सम्बोधन किया और कहा कि आप इस प्रकार पैदल कहाँ जा रहे है ? आइये, आपका घर तो मार्ग में है, गाडी पर सवार हो लीजिये। कुछ ही मिनट पश्चात् घोडा बिगड़ा और उसने गाडी को उलट दिया। बेचारा डाक्टर बहुत दुःखी हुआ। सौभाग्य से उसे अधिक चोट न आई थी। डाक्टर रईस से कहने लगा—"जब आपका घोडा शरीर है, तो मुझे क्यों सवार कराया ?" रईस बहुत शान्तिपूर्वक बोले—"जब मैं सवारी को जाता हूँ, तो अवश्य एक डाक्टर को साथ ले जाता हूँ। कौन जानता हे, क्या विपत्ति आ पडे ! उस समय डाक्टर को कहाँ ढूँढते फिरें ?"

(३)

एक डाकू को मौत का दण्ड दिया गया और उसे मरने के लिये तैयार करने को एक पादरी बुलाया गया। दोनों एक अँधेरे गिरजे में बन्द कर दिये गये। पादरी ने डाकू को बहुतेरा कहा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित्त कर ले, किन्तु डाकू ने कुछ भी न सुना। बहुत कहने पर

डाकू कहने लगा —"बाबा ! ठीक है, किन्तु मेरे प्राण अब भी बच सकते हैं, यदि तुम्हारी कृपा हो जाय।" पादरी ने कहा—"नहीं, भाई मैं ऐसे पापी को नहीं बचाना चाहता और न बचा ही सकता हूँ।" डाकू ने कहा—"नहीं बाबा ! मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि फिर कोई अपराध न करूँगा।" पादरी का दिल पसीज गया। कमरे की एक कुर्सी पर वह खड़ा हो गया और डाकू उसके ऊपर चढ़कर खिड़की से कूद गया। पूँछने पर कि उस बदमाश का क्या हुआ, पादरी ने कहा कि वह तो कोई देवता था, खिड़की में से उड़ गया।

दश वर्ष पीछे पादरी एक वन में होकर यात्रा कर रहा था कि संयोग-वश उसे एक समृद्ध किसान मिला और उसने अपने झोपड़े में उसका स्वागत किया। यह किसान वही डाकू था, जिसको उसने मौत से बचाया था।

नोट—इसी प्रकार से अन्य कहानियाँ लेकर विद्यार्थियों को संकेत बनाने और संकेतों से कहानी बनवाने का अभ्यास कराना चाहिए।

दूसरा अध्याय

संकेत देकर

जब विद्यार्थियों को कहानियों के संकेत बनाने और संकेतों को पुन उसी कहानी में बदलना आ जाय, तब अध्यापक को चाहिए कि केवल संकेत देकर उनपर कहानी-रचना करावे। यह पहिले से कठिन बात है और इसमें कल्पना की अधिक आवश्यकता होगी। विद्यार्थी संकेतों पर जितना अधिक सोचेंगे, उतनी ही कहानी बनाने में सुविधा होगी। उदाहरण के लिये—

संकेत

१—एक बनिये ने दूसरे के घर यात्रा को जाते समय कुछ लोहा रक्खा।

२—कई वर्ष पीछे लौटा और लोहा माँगा।

३—दूसरे बनिये ने कहा कि चूहे खा गये।

४—बनिये ने दु खी होकर दूसरे का लड़का चुरा लिया।

५—पूछने पर कहा कि मैंने देखा है कि उसे एक चिड़िया ले जा रही थी।

६—दूसरे ने पूछा कि यह कैसे ?

७—इसने उत्तर दिया कि जैसे चूहे लोहा खा गये, वैसे ही लड़के को चिड़िया ले गयी।

८—उसने लोहा लौटा दिया और इसने लड़का।

कहानी

एक बनिया जब किसी यात्रा के लिये जा रहा था तो उसने कई मन लोहा अपने पड़ोसी बनिये के यहाँ रख दिया। जब वह कई वर्ष पीछे लौटा तो अपना लोहा माँगने लगा। उसके पडोसी ने कहा कि उसे तो चूहे खा गये। बनिया दुःखी होकर लौटा और सोचने लगा कि क्या करूँ। उसे एक युक्ति सूझी। पडोसी का लडका खेल रहा था। उसने उसे फुसलाया और एक जगह छिपा दिया। जब लडके की बहुत तलाश हो चुकी तो पडोसी ने इससे भी पूँछा। इसने कहा कि उसे एक चिडिया उडाकर ले गयी। पड़ोसी ने आश्चर्य से पूँछा कि क्या यह कभी सम्भव है? इस पर इसने कहा कि यह ऐसे सम्भव है जैसे कि लोहे का चूहों द्वारा खाया जाना। इसे सुनकर पडोसी बनिया बहुत लज्जित हुआ और सब लोहा उसे लौटा दिया। इसने भी उसका लड़का उसे लौटा दिया।

अभ्यास

१—निम्न लिखित संकेतों के आधार पर कहानियाँ लिखो और उनमे क्या शिक्षा मिलती है, यह भी लिखो—

(१)

१—एक सिंह सोता था।

२—उसके मुँह के पास चूहा आकर खेलने लगा और सिंह जाग गया।

३—सिंह ने उसपर दया करके उसे छोड दिया।

४—एक बार सिंह जाल में फँस गया और गर्जने लगा।

५—उसकी गर्जन सुन चूहा आया और उसने जाल काट दिया।

६—शिक्षा—छोटे भी काम आ जाते हैं।

(२)

१—एक चोर को फाँसी की आज्ञा हुई।

२—चोर ने राजा से कहा कि मैं सोना बोना जानता हूँ।

३—राजा के पूँछने पर चोर ने कहा कि एक शर्त है।

४—यह कि जिसने कभी चोरी न की हो वही बीज बोये।

५—कोई तैयार न हुए। राजा भी न हुए।

६—चोर ने कहा, जब आप सब लोग चोर हैं, तो मुझे ही फाँसी कैसी ?

७—चोर की बुद्धि की प्रशंसा और उसका छूटना।

(३)

१—एक रोमन गुलाम अपने मालिक के पास से भागा।

२—एक रेगिस्तान में भटकते हुए एक ग़ार मे फँस गया।

३—अपने सामने एक सिंह को, जिसके पंजे में काँटा लगा था, खड़ा देखा।

४—उसने काँटा निकाल दिया और दोनों तीन वर्ष तक साथ रहे।

५—वह गुलाम पकड लिया गया और रोम में लाकर उसे जंगली पशुओं से फडवा डालने की आज्ञा हुई।

६—जब गुलाम को सिंह के सामने लाये तो वह उसके हाथ को चूमने लगा।

७—तब उसने सारी कहानी कही। उसे छोड़ दिया गया और दोनों फिर साथ रहने लगे।

(४)

१—कुन्ती का पाँचों पुत्रों सहित दुर्योधन द्वारा निकाला जाना।

२—घूमते हुए एक नगर मे आकर एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरना।

३—उस नगर में एक राक्षस का प्रतिदिन एक आदमी को हर घर से लेना।

४—उस दिन ब्राह्मण के घर की बारी और सबका रोना।

५—कुन्ती का तरस खाकर अपने पुत्र भीम को भेजना।

६—भीम का जाना और राक्षस को मार डालना।

(५)

१—सन्तानहीन राजा अश्वपति का यज्ञ करना और सावित्री का उत्पन्न होना।

२—उसका बड़ा होना, स्वयंवर के लिये घूमना, कोई अच्छा वर न मिलना।

३—जङ्गल मे एक ब्रह्मचारी को वरना।

४—सावित्री का घर लौटना और समाचार कहना।

५—नारद मुनि का आना और कहना कि उस ब्रह्मचारी सत्यवान की आयु एक वर्ष रही है।

६—सबका दुःखी होना, पर सावित्री का दृढ़ रहना।

७—विवाह के पश्चात् सावित्री का वन में रहकर सत्यवान के अं

माँ-बाप की सेवा करना।

८—वट वृक्ष की पूजा करना और मृत्यु-दिवस का आना।

९—सावित्री का अपने तपोबल से यमराज को देख लेना और उस

पीछे चलना।

१०—यमराज को बाध्य होकर उसे वर देना।

११—वर —सास-ससुर की आँखें, खोये हुए राज्य का मिलना औ

सौ पुत्रों की माता होना।

१२—इस वाक्चातुर्य्य से उसके पति का उसे मिल जाना।

तीसरा अध्याय

अधूरी कहानियों को पूरी करना

पिछले अध्यायों का अभ्यास हो जाने के पश्चात् अधूरी कहानियों को पूरी करना कठिन न होगा। यहाँ भी कल्पना-शक्ति की बहुत आवश्यकता है और इसी प्रकार कल्पना शक्ति प्रबल होती है। यह आवश्यकता नहीं कि अधूरी कहानी एक ही प्रकार से पूर्ण हो। उदाहरण के लिये:—

अध्यापक—निम्नलिखित कहानी को पूर्ण करो।

एक बार तीन-चार मित्र स्थान-परिवर्त्तन के लिये मंसूरी

गये। वहाँ उन्होंने कुछ कमरे किराये पर लिये और आनन्द-पूर्वक रहने लगे। एक दिन उनमें भूतों के विषय में बात-चीत होने लगी। उनमें से एक कहता था कि भूत कोई चीज नहीं और अन्य तीन भूतों में विश्वास रखते थे। जब भूतों की बात समाप्त हुई तब रात बहुत बीत गयी थी। वे अपने-अपने कमरे में सोने के लिये गये। इन तीन मित्रों ने सोचा कि अपने भूत में विश्वास न रखनेवाले मित्र के साथ कोई मज़ाक करना चाहिए। इसलिये उनमें से एक ने एक सफेद चादर ओढ़ी और भूत बनकर उस सोते हुए मित्र के कमरे में पहुँचे। यह बने हुए भूत हाथ में चमडे के दस्ताने पहिने आग उछालते हुए आवाज करके कमरे में गये। सोते हुए मित्र तुरन्त जाग पडे और—

१ विद्यार्थी—इस भूत को देखकर इनके होश जाते रहे। तुरन्त अपने पास के तमञ्चे का ध्यान आया। उसे लेकर खडे होकर कहने लगे—"भूत, यदि जान की खैर चाहते हो तो भाग जाओ, वरना अभी गोली का शिकार बनाता हूँ।" यह सुनकर भूत के होश हवास जाते रहे और वह पिछले पैरों ही भागे। इधर यह तमञ्चा लिये उनके पीछे थोडी दूर पर गये ही थे कि उनके दूसरे मित्र आ गये और अपने मजाक का किस्सा सुनाकर उन्हें रोका।

२. विद्यार्थी—इस भूत को देखकर वह मन में कुछ भी भय-भीत न हुए। अपने तमञ्चे को सँभाला और कहा "सावधान!

भागो नहीं तो मारता हूँ।" किन्तु भूत महाशय तो पहिले ही से तमञ्चे को ख़ाली कर चुके थे, सुनकर खिलखिलाकर हँस पड़े। इस विकट हँसी ने उन्हें क्रुद्ध कर दिया और उन्होंने तमञ्चा छोड़ा। परन्तु वह कहाँ छूट सकता था! वह भय खाकर तुरन्त पृथ्वी पर गिर पड़े। मित्र मडली दौड पड़ी और भूत महाशय भी अपने वस्त्र बदल कर आ गये और पूछने लगे—"क्यों भाई, भूत होते हैं कि नहीं?"

२ विद्यार्थी—उन्होंने तमञ्चा तानकर कहा कि भागो नहीं तो अभी मारता हूँ। भूत हँस पडा। यह महाशय इस हँसी का मतलब समझ गये और तुरन्त दूसरा तमञ्चा, जिसका पता उनके किसी मित्र को न था, निकाल लिया और उसे तानकर कहने लगे, "भूत भागो, नहीं तो तुम्हारे प्राण पखेरू अभी उड़ जाते है।" किन्तु भूत महाशय तो जानते थे कि तमञ्चा चल ही नहीं सकता, आगे बढते ही गये। इनसे अपने आपको अधिक न रोका गया, फौरन् तमञ्चा छोड़ दिया और धमाके से भूत महाशय पृथ्वी पर गिर पडे। यह आवाज सुनकर दूसरे मित्र भयभीत होकर दौड़े। देखा तो उनके भूत मित्र समाप्त हो चुके थे। यह देख तमञ्चा फेंक अपने मित्र को चिपट-चिपटकर रोने लगे, परन्तु अब वापस कहाँ आ सकते थे!

अभ्यास

निम्नलिखित कहानियों को पूरी करो—

१ एक आदमी को कई लड़के थे। वे प्रति दिन आपस में झगड़ने थे। पिता ने बहुत समझाया परन्तु उनकी समझ मे एक न आया। फिर पिता ने सब पुत्रों को एकत्र किया और एक मोटा सूत का रस्सा उनके हाथ में देकर कहा कि इसपर अपनी-अपनी शक्ति की परीक्षा करो। प्रत्येक ने खूब जोर लगाया‥ ।

२ एक दिन एक छोटा लड़का पाठशाला से एक पुस्तक चुरा लाया। उसकी माँ उसके पास नयी पुस्तक देखकर खुश हुई। वह लड़का कभी लोटर और कभी पेन्सिल चुरा लाता, किन्तु माँ उसे कुछ न कहती। बड़ा होकर वह लड़का चोर हो गया। एक बार उसने एक भारी चोरी की जिसके लिये वह पकड़ा गया। उसे देश-निकाले का दण्ड मिला। जाने से पूर्व उसने अपनी माता से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसकी माता बुलायी गयी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ ।

३ एक नगर मे एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक जगह एक अच्छा मिट्टी का कटोरा मिल गया। उसे लेकर वह एक बरतनवाले की दूकान पर गया और वहीं एक खाट पर लेटकर विचारने लगा—"यदि मैं इसे बेच दूँ तो मुझे दस पैसे मिलेंगे। इन पैसों से मैं यहाँ से दस बरतन खरीदूँगा, इन्हें बेचकर मेरा धन बढ़ जायगा तब मैं ।

कि घोड़ा मेरा है। घोड़े के असली मालिक ने एक रूमाल लेकर घोड़े के मुँह पर डाला और पूँछने लगा ' ....।

चौथा अध्याय

दिये हुए विषयों पर कहानी लिखना

जब उपर्युक्त प्रकार का अभ्यास विद्यार्थियों को हो जाय तब बहुत ही साधारण विषयों पर उनसे छोटी-छोटी कहानियाँ लिखवायीं जानी चाहिएँ। अध्यापक को चाहिए कि कभी कभी कुछ संकेत भी कहानियों के विषय में विद्यार्थियों को दे दें। उदाहरण के लिये:—

एकता

१. दो बैलों की कहानी

एक समय दो बैल वन में रहा करते थे। दोनों खूब खाते और मस्त रहते। उनकी शब्द-ध्वनि से वन गूँज उठता था। सिंह भी उनसे डर जाता। कई बार उसने आक्रमण किया, किन्तु बेकार। यदि वह उनमें से एक पर झपटता तो दूसरा उस पर टूट पड़ता। सारांश उन दोनों की एकता के सामने सिंह का कुछ वश न चलता था।

एक दिन दुर्भाग्य से उन दोनों में झगड़ा हो गया। एक

कहने लगा कि मैं बलवान् हूँ और दूसरा बोला कि मैं। झगड़ा बढ़ गया, यहाँ तक कि दोनों पृथक्-पृथक् रहने लगे।

एक दिन सिंह ने देखा कि वे दोनों दूर-दूर रहते हैं। उसने समझा कि अब अवसर है। उनमें से एक पर उसने हमला कर दिया। दूसरा बैल मन ही मन मुस्कुराता था कि देखें मेरे बिना यह सिंह का सामना कैसे करता है। सिंह ने बैल को मार दिया। तीन-चार दिन पीछे बचे हुए इस बैल को भी सिंह ने अपना ग्रास बना लिया।

ठीक ही है, एकता जीवन है और विभिन्नता मरण।

२ कबूतर की कहानी

एक बार एक चिड़ीमार ने चिड़ियों को पकड़ने के लिये एक जाल लगाया। उसमें दस-पन्द्रह कबूतर फँस गये। वे सोचने लगे, क्या करें। उन्होंने बहुतेरा अपना-अपना ज़ोर लगाया, किन्तु कोई फल न निकला। निदान उनमें से एक वृद्ध को सूझा कि भाई, सब मिलकर तो जोर लगाओ। सबने मिलकर जो जोर लगाया तो जाल को लेकर उड़ गये। यह है एकता का फल!

३ एक बूढ़े की कहानी

एक बूढ़े के पाँच लड़के थे। वे आपस में सदा झगड़ा किया करते थे। बूढ़े ने बहुत समझाया, पर उन्होंने न माना। उनमें मुकदमे बाजी भी आरम्भ हो गयी। दूसरे लोग भी उन्हें दुःख देने लगे। बूढ़े ने मरते समय उन्हें बुलाया और उनके

सामने लकड़ियों का एक गट्ठा रखकर वह बोला कि तुम इसको पृथक्-पृथक् तोड़ो। उन्होंने पृथक्-पृथक् और मिलकर भी बहुत ज़ोर लगाया, पर उसे तोड़ न सके। तब उसने कहा कि इसे खोल दो और हर एक लकड़ी को तोड़ो। इसमें कौन सी कठिनता थी, सब लकड़ियाँ तोड़ डाली गयीं। बूढ़े ने कहा— देखो, एकता में कितना बल होता है और पृथक्-पृथक् होने से कितनी निर्बलता आ जाती है!

अभ्यास

निम्नलिखित विषयों पर कहानियाँ लिखो'—

पिता की आज्ञा मानना। चोरी करना बुरा है। सत्य बोलना। अहिंसा के लाभ। झूठ बोलने से हानि। घमण्ड बुरी चीज है। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। विद्या सबसे बड़ा बल है। उपदेश से उदाहरण उत्तम है। सत्य को आँच कहाँ। मदिरा पान की बुराइयाँ। बिना सोचे समझे कोई काम न करना।

द्वितीय खण्ड

पत्र-रचना

पत्र-रचना

पहिला अध्याय

साधारण नियम

पश्चिमीय सभ्यता के संसर्ग से जहां भारतीय जीवन के प्राय. सभी अङ्गों में थोड़ा-बहुत परिवर्तन हुआ है, वहां पत्र-लेखन-विधि भी पूर्णतया बदल गयी है। प्राचीन शैली का अनुकरण केवल संस्कृत ज्ञाता भले ही कर लें, अन्यथा अंग्रेजी की नवीन परिपाटी ही हिन्दी-संसार में मुख्यत प्रचलित हो गयी है। वह भली बुरी जैसी है, उसी के विषय में प्रस्तुत पुस्तक में विचार किया गया है।

ध्यान देने योग्य बातें —

१ माङ्गलिक शब्द —यद्यपि अंग्रेजी पत्रों में मङ्गलसूचक कोई शब्द नहीं लिखे जाते, तो भी आस्तिक हिन्दू मुसल्मान अपने श्रद्धानुसार कुछ न कुछ लिखते ही हैं। उदाहरण के लिये — सनातनी—श्री, श्रीहरि, श्रीगणेशाय नमः, इत्यादि, आर्य-समाजी—ओ३म्, जैनी—ॐ, इत्यादि, मुसल्मान लोग—बिस्मिल्ला या ७८६, इत्यादि। हिन्दुओं के अधिकतर सम्प्रदाय 'ॐ'

शब्द पर आपत्ति नहीं करते, अत इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ता जाता है।

यह शब्द पत्र के ठीक बीच में, सब से ऊपर की पंक्ति में लिखना चाहिए। प्रार्थना-पत्रों में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता।

२ स्थान—पत्र के दाहिने भाग में, माङ्गलिक शब्द की पंक्ति के नीचे, लेखक अपने स्थान का नाम लिखता है। यह नाम केवल इतना हो जो लेखक के पते का काम दे सके। व्यर्थ पते को बढ़ाना ठीक नहीं। यदि दो तीन नाम हों, तो उन्हें दो तीन पंक्तियों में, जैसा उचित जान पड़े, लिखना चाहिए। प्रत्येक नाम के पश्चात् एक लघु विराम (कॉमा) लगाना चाहिए।

प्रार्थनापत्रों में स्थान का नाम साधारणतया अन्त में दिया जाता है। यदि प्रार्थनापत्र पर स्थान का नाम छपा हो, तो दूसरी बात है।

३ तिथि—स्थान के नाम के ठीक नीचे तिथि लिखी जाती है। तिथि के पीछे एक विराम तथा मास और सन के मध्य एक लघु विराम देना चाहिए।

प्रार्थनापत्रों में तिथि बहुधा अन्त में, स्थान के नीचे, पत्र के बाएँ ओर लिखी जाती है। यदि ऊपर तिथि छपी हुई हो तो बात दूसरी है।

४ सम्बोधन:—पत्र के बाएँ ओर, तिथि की पंक्ति के नीचे

सम्बोधन शब्द लिखे जाते हैं। सम्बोधन शब्दों का निश्चय सम्बोधित सज्जन से सम्बन्ध तथा उसकी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे,—महाशय, श्री पूज्य पिताजी, इत्यादि। इन शब्दों के पीछे एक लघु विराम होना आवश्यक है।

यदि पत्र बराबरवालों को सम्बोधित हो और सम्बन्ध घनिष्ठ हो, अथवा अपने छोटों के लिये हो, तो बहुधा सम्बोधन शब्दों के साथ नाम भी लगा देते हैं। जैसे,—चिरञ्जीव रघुवंश, प्रियवर प० अयोध्यानाथ जी, इत्यादि।

४ अभिवादन —भारतीय पत्र-लेखन शैली में अभिवादन भी एक मुख्य अंग होता था, किन्तु आजकल वह छूटता जाता है। अंग्रेजी पत्रों की नाईं व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन आजकल छूट सा गया है। प्रार्थनापत्रों में भी ये शब्द नहीं लिखे जाते।

साधारणतया सम्बोधित जन के साथ लेखक का चाहे जैसा सम्बन्ध हो, उसी को दृष्टि पथ में रखकर अभिवादन के शब्द प्रयुक्त करने चाहिएँ। बड़ों को प्रणाम, बराबरवालों को नमस्कार, नमस्ते तथा छोटों को आशीर्वाद इत्यादि लिखने की विधि प्रचलित है।

ये शब्द सम्बोधन शब्दों की पंक्ति से नीचे की पंक्ति में कुछ दाहिनी ओर को हटाकर लिखे जाते हैं।

६ कुशल-कामना —पत्र लिखने की प्राचीन संस्कृत-शैली में यह प्रथा थी और भारत में हिन्दी-उर्दू के पत्र लिखते हुए

अब भी यह रीति है कि आरम्भ में ही अपनी कुशल लिख दें और दूसरे की कुशल-कामना करें। किन्तु इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, जैसे—'अत्र कुशलं तत्रास्तु' 'यहाँ कुशल है और आपकी कुशल परमात्मा से सर्वदा चाहते हैं' केवल एक रीति का परिपालन है, शिष्टाचार मात्र है।

व्यावसायिक, सरकारी तथा प्रार्थनापत्रों में और अर्वाचीन परिपाटी के निमन्त्रणपत्रों में ये शब्द नितान्त अनावश्यक समझे जाते हैं।

ये शब्द, अथवा अन्य आरम्भिक शब्द, अभिवादन की पंक्ति से नीचे बायीं ओर को हटाकर, हाशिये से कुछ ही अन्तर पर लिखे जाने चाहिएँ।

७ विषय —जो कुछ लिखना हो, अनुच्छेदों (पैराग्राफ) के रूप में लिखना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद की प्रथम पंक्ति बायीं ओर से, किनारे से कुछ हट कर, लिखी जाती है।

८ लेखक का नाम —(अ) पत्र का विषय समाप्त करके अपना नाम सम्बोधित पुरुष से सम्बन्ध-परिचायक शब्दों के साथ, पत्र के नीचे, दाहिनी ओर, स्थान और तिथि की ठीक सीध में होना चाहिए।

संबंधियों को लिखे जानेवाले पत्रों में संबंधानुसार शब्द, जैसे—भवदीय आज्ञाकारी पुत्र, आपकी प्रिय पुत्री, अथवा तुम्हारा प्रिय चाचा, इत्यादि होने चाहिएँ। मित्रों के लिये पत्र में 'आपका शुभचिन्तक', 'आपका मित्र' इत्यादि शब्द लिखे जाते हैं। सेवक

अपने स्वामी को 'आपका आज्ञापालक', 'भवदीय आदेशानुरागी', अथवा 'आपका विनम्र सेवक' आदि शब्द लिखते हैं। सूचना-पत्र, निमन्त्रणादि में केवल 'विनीत', 'निवेदक' आदि ही शब्द पर्य्याप्त समझे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों में केवल 'भवदीय', 'आपका' ही शब्द लिखे जाते हैं। इन शब्दों के पीछे एक लघु विराम होना आवश्यक है।

(क) नीचे की पंक्ति में ऊपर के शब्दों के ठीक नीचे अपना नाम होना चाहिए। नाम के अन्त में एक विराम अवश्य होना चाहिए।

(ख) यदि प्रार्थना-पत्र अथवा व्यावसायिक पत्र हो और ऊपर अपना पता आदि न छपा हो, तो नाम के पश्चात् एक लघु विराम लगाकर नीचे की पंक्ति में ठीक नाम के नीचे अपना पतादि भी देना चाहिए। इसके पीछे विराम आवश्यक है।

(ग) प्रार्थना-पत्र में पत्र के नीचे नामादि की ठीक सीध में बायीं ओर को स्थान का नाम और एक लघु विराम देकर नीचे विराम सहित तिथि लिखी जाती है।

९ यदि पत्र लिखने के उपरान्त कोई दूसरी बात लिखने की आवश्यकता हो, तो पत्र के नीचे बायीं ओर 'पुनश्च' शब्द लिखकर और एक डैश (—) लगाकर आरम्भ करना चाहिए।

१० पता—सम्बोधित पुरुष का पता कार्ड की पीठ या लिफाफे पर लिखा जाता है।

अपवाद:—

व्यावसायिक, सरकारी, अर्द्ध-सरकारी तथा अन्य शिष्टाचारयुक्त पत्रों में पता कभी-कभी सम्बोधन-शब्दों से ऊपर और तिथि आदि से नीचे बाँयीं ओर किनारे से मिला हुआ अथवा पत्र के नीचे बाँयीं ओर को किनारे से मिला हुआ लिखा जाता है।

पता कार्ड अथवा लिफ़ाफ़े के ऊपर का अर्द्ध भाग छोड़ कर लिखना चाहिए। पहिले नाम, फिर लघु विराम के पश्चात् उपाधि, पद अथवा पदवी उसी पंक्ति में अथवा न हो सके तो नीचे की पंक्ति में दाहिनी ओर को लिखनी चाहिए। तब ग्राम वा नगर डाक-घर के उल्लेख-सहित लिखा जायगा। डाकघर के नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। इसके पश्चात् कोष्ठक में ज़िला और यदि पत्र अन्य प्रान्त में भेजना हो तो प्रान्त भी लिख देना चाहिए।

लिफ़ाफे पर बाँयीं ओर नीचे के कोने में लेखक अपना नाम और पता दे देते हैं। व्यावसायिक पत्र में लिफ़ाफ़े के थोड़े से ऊपरी भाग में लेखक अपना अथवा अपने 'फ़र्म' का पता छपा देते हैं।

दूसरा अध्याय

छोटों की ओर से बड़े सम्बन्धियों के लिये पत्र

ॐ

जलालाबाद,
जि० बिजनौर,
जनवरी ५, १९२९।

श्री पूज्य[1] पिताजी,

प्रणाम[2]।

आपका कृपापत्र . . . .

. . बड़े भाई साहब को प्रणाम।

आपका आज्ञाकारी[3] पुत्र,
शिवरञ्जन।

१ सम्बन्ध की घनिष्ठता का ध्यान में रख कर विशेषण लिखे जाने चाहियें, जैसे—महामान्य, पूजनीया इत्यादि। स्त्री पति को श्री आर्यपुत्र, श्री प्राणनाथ इत्यादि लिखा करती हैं।

२. जैसा अभिवादन जिसके लिये उपयुक्त हो, लिखें, जैसे पालागन आदि।

३ स्त्री सास को अपने लिये 'आपकी दासी' लिखा करती है। इसमें दासी शब्द खटकता है। इससे अच्छा तो 'आज्ञाकारिणी' है।

अभ्यास

१. नीचे लिखे पत्र को विरामादि लगा कर पूरा करो —

बहुत दिनों से आपका कृपापत्र नहीं आया । यहाँ पर चिन्ता है॥ कृपया शीघ्र ही पत्र द्वारा अपने कुशल को सूचित करें ।

आपका प्रिय भतीजा

प्राणनाथ ।

२. अपने बाबा जी को पत्र लिखो कि तुम एक बाइसिकिल लेना चाहते हो और पिताजी कहते हैं कि अगले वर्ष दिलावेंगे ।

तीसरा अध्याय

बड़ों की ओर से छोटे सम्बन्धियों के लिये पत्र

ॐ

कैसरगञ्ज, अजमेर

जनवरी १५, १९२९।

चिरञ्जीवी प्रिय शिव,

आशीर्वाद[1] !

तुम्हारा ५ जून का पत्र मिला था .

.... शारदा को प्यार।

तुम्हारा पिता[1],

देवकीनन्दन शर्मा ।

१ इसके स्थान पर आयुष्मान्, आदि शब्द भी लिखे जाते

हैं। इसे छोड़ भी देते हैं। पति अपनी पत्नी को प्रिये, प्राणप्रिये आदि शब्द लिखते हैं। कुमारी पुत्री को भाग्यवती और विवाहिता पुत्री को सौभाग्यवती लिखा जाता है।

२ इसके स्थान पर 'आनन्दित रहो' आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हैं।

३ यह शब्द कहीं-कहीं छोड़ देते हैं और कहीं-कहीं इस सम्बन्ध के पूर्व विशेषण भी लगा देते हैं। यथा—तुम्हारा स्नेही भ्राता, इत्यादि।

अभ्यास

१—नीचे लिखे पत्र को विरामादि लगाकर पूरा करो—

पुत्री

जब से तुम्हारा पत्र आया है सबको अतीव चिन्ता है। तुम्हारी माता तो भोजन भी ठीक नहीं करती। लौटती डाक से अपने स्वास्थ्य के विषय में लिखो।

२—एक पत्र बड़े भाई की ओर से छोटे भाई को लिखो जिसमें परीक्षाफल पर खेद प्रकट हो।

चौथा अध्याय

छोटों की ओर से बड़ों के लिये पत्र

ॐ

बाग़ मुज़फ्फरखाँ, आगरा,

श्री परम पूज्य[१] गुरुवर, ३ दिसम्बर, १९२९।

प्रणाम !

आपका कृपापत्र . ...

.... योग्य सेवा से सूचित करें।

भवदीय आज्ञाकारी शिष्य,

वेणीचरण महेन्द्र।

१. इसके स्थान में सम्बन्ध को ध्यान में रखकर, मान्यवर, महोदय, श्रद्धेय आदि शब्द प्रयुक्त किये जा सकते हैं।

सम्बोधित सज्जन यदि कोई पदवी-प्राप्त हों तो उस पदवी द्वारा भी सम्बोधन कर देते हैं, जैसे—श्रद्धेय रायबहादुर, राय साहब, इत्यादि। किन्तु पदवी के संकेत रूप अक्षरों को यहां लिखना उचित नहीं। जैसे—श्री ओ० बी० ई० लिखना अशुद्ध है। यह नियम आवश्यक नहीं है।

जाति अथवा उपनाम द्वारा भी, जो नाम के अन्त में जुड़े रहते हैं, सम्बोधन किया जा सकता है, जैसे—पूज्य मालवीय जी, श्री महात्मा गान्धी जी, आदि। पेशे के नाम से भी सम्बोधन किया जा सकता है, जैसे—पूज्य प्रोफ़ेसर साहब, आदि।

२. यदि जान-पहिचान अधिक न हो तो केवल 'भवदीय' लिखना ही पर्य्याप्त होगा। 'आज्ञाकारी' के स्थान में जैसा सम्बन्ध हो, उसी के अनुसार शब्द लिखने चाहिएँ।

अभ्यास

१—नीचे लिखे पत्र को विरामादि देकर पूरा करो—

राय साहब !

गत वर्ष जब आपसे भेंट हुई थी तो अपने जगदीश के लिये स्कूल से एक छात्रवृत्ति दिलाने का वचन दिया था। मेरी आर्थिक दशा बहुत डाँवा-डोल हो रही है, भय है कि मैं उसे अधिक न पढ़ा सकूँ, यदि उसे आप सहायता न दिलावें—वह आठवीं श्रेणी में भले प्रकार उत्तीर्ण हो गया है।

२. एक पत्र अपने हेड मास्टर साहब को लिखो कि आपके लिये एक सार्टीफिकेट भेज दें।

पाँचवाँ अध्याय

बड़ों की ओर से छोटों के लिये पत्र

हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी,
फरवरी १२, १९२९।

प्रिय धर्म्मेन्द्र,

आशीर्वाद !

तुम्हारा . ...

. . ..

तुम्हारा हितेच्छु,
रामकुमार।

अभ्यास

१. एक हेड मास्टर साहब द्वारा प्रेषित निम्न-पत्र को पूरा करो। उसमें यह आशय दिखलाओ कि जो सार्टीफ़िकेट तुमने माँगा है, वह भेजा जा रहा है।

प्रिय शैलेश

महेन्द्रदत्त

२ एक पत्र पं० बेनीप्रसाद रायबहादुर साहब की ओर से लिखो कि वह तुम्हारे पुत्र की छात्रवृत्ति के लिये हेड मास्टर से कह देंगे, किन्तु समय पर उन्हें फिर स्मरण करा देना।

छठाँ अध्याय

बराबरवालों के लिये पत्र

ॐ

गवर्नमेण्ट कॉलेज, अजमेर,
अप्रैल १५, १८२८।

प्रियवर बा० मोहनलाल जी,

नमस्कार!

आप जब से संगरिया गये हैं, कोई पत्र नहीं भेजा। मैं जानता हूँ कि हेड मास्टरों को समय कम मिलता है, किन्तु मास में एक बार तो अवकाश निकाल लेना चाहिए।

भवदीय मित्र,
देवकीनन्दन।

श्री बा० मोहनलाल जी वर्मा,

बी० ए०, एल-एल० बी०,

हेडमास्टर, सगरिया स्कूल, बीकानेर (रियासत)।

१ इसके स्थान में मित्रवर, सुहृद्वर, प्यारे भाई, इत्यादि शब्द प्रयुक्त किये जा सकते हैं। कहीं-कहीं नाम भी नहीं लिखते। यदि सम्बोधित सज्जन 'राय साहब' आदि पदवी-प्राप्त हों अथवा कलक्टर आदि पदवी-प्राप्त हों अथवा वकील आदि किसी व्यवसाय में लगे हों, तो इन शब्दों से भी नाम के स्थान में सम्बोधन किया जा सकता है। यदि सम्बोध्य घनिष्ठ न हो और कुछ सम्मान भी दिखलाना हो तो नाम के साथ पर पदवी भी लगाई जा सकती है। जैसे—महामहोपाध्याय श्री पं० गङ्गानाथ जी, प्रिय डिप्टी साहब, इत्यादि। नाम के अन्तिम शब्दों के द्वारा भी, जो जाति, उपजाति, अथवा गोत्रसूचक हैं, सम्बोधन किया जा सकता है। जैसे—प्रिय शर्मा जी, इत्यादि।

यदि किसी अनजान सज्जन को केवल औपचारिक (आने का) पत्र लिखना हो तो महाशय, प्रिय महाशय, आदि शब्दों द्वारा सम्बोधन किया जा सकता है।

२ आपका अथवा भवदीय के आगे शुभेच्छु, शुभचिन्तक अथवा केवल 'आपका' ही लिखा जा सकता है।

अभ्यास

१. अपने मित्र श्री वेणीचरण महेन्द्र, प्रोफेसर सेन्ट जॉन्स कॉलेज, आगरा को एक पत्र लिखो जिसमें उनसे विवाह में सम्मिलित होने की प्रार्थना करो। कितनी प्रकार से उन्हें सम्बोधन कर सकेंगे?

सातवाँ अध्याय

व्यावसायिक पत्र. १

वैदिक यन्त्रालय,
मैनेजर का कार्यालय।
सं ४२५,

कैसरगञ्ज, अजमेर[१],
दिसम्बर १५, १९२८।

श्रीयुत मैनेजर[२],
इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग।

प्रिय महाशय[३],

आपका कृपापत्र सं ३०४०, ता० दिसम्बर, १९२८ का यथासमय प्राप्त हुआ। उत्तर में निवेदन है कि हमने उस प्रश्न को प्रेस-कमिटी के समक्ष रखा है। जो कुछ निश्चय होगा वह आपको शीघ्र सूचित करेंगे।

भवदीय,
मथुराप्रसाद शिवहरे।

१. बहुधा व्यावसायिक पत्रों पर ये शब्द छपे रहते हैं।

२ सम्बोधित सज्जन का पता कभी-कभी इस स्थान पर न होकर, प्रेषक के नाम के नीचे पत्र के बायीं ओर लिखा जाता है।

३ यदि सम्बन्ध घनिष्ठ हो तो इसके स्थान पर उदाहरण पत्र स० ४ के अनुसार सम्बोधन किया जा सकता है।

नोट—(अ) यदि प्रेषक का पता छपा हुआ न हो तो नाम के नीचे अपना सूक्ष्म पता भी दिया जा सकता है।

अभ्यास

१. अपने मित्र श्री वेणीचरण महेन्द्र, प्रोफेसर सेन्ट जॉन्स कॉलेज, आगरा को एक पत्र लिखो जिसमे उनसे विवाह में सम्मिलित होने की प्रार्थना करो। कितनी प्रकार से उन्हें सम्बोधन कर सकेंगे ?

सातवाँ अध्याय

व्यावसायिक पत्र. १

वैदिक यन्त्रालय,

मैनेजर का कार्यालय।

सं ४२५,

कैसरगञ्ज, अजमेर[१],

दिसम्बर १५, १९२८।

श्रीयुत मैनेजर[२],

इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग।

प्रिय महाशय[३],

आपका कृपापत्र सं ३०४०, ता० · दिसम्बर, १९२८ का यथासमय प्राप्त हुआ। उत्तर में निवेदन है कि हमने उस प्रश्न को प्रेस-कमिटी के समक्ष रखा है। जो कुछ निश्चय होगा वह आपको शीघ्र सूचित करेंगे।

भवदीय,

मथुराप्रसाद शिवहरे।

१. बहुधा व्यावसायिक पत्रों पर ये शब्द छपे रहते हैं।

२. सम्बोधित सज्जन का पता कभी-कभी इस स्थान पर न होकर, प्रेषक के नाम के नीचे पत्र के बायीं ओर लिखा जाता है।

३ यदि सम्बन्ध घनिष्ठ हो तो इसके स्थान पर उदाहरण पत्र सं० ४ के अनुसार सम्बोधन किया जा सकता है।

नोट—(अ) यदि प्रेषक का पता छपा हुआ न हो तो नाम के नीचे अपना सूक्ष्म पता भी दिया जा सकता है।

(क) सब कुछ लिखने के पश्चात् बायीं ओर (क, ख) फाइल का नम्बर रहता है। व्यावसायिक पत्रों की अलग-अलग फाइलें रक्खी जाती हैं। फाइलों के लिये नम्बर अथवा संकेत अक्षरों द्वारा रख लिये जाते हैं, जिससे पत्र को [illegible] और देखने में अधिक समय न लगे।

पत्र, २ स

पत्र. २ क

नजीबाबाद, ज़ि० बिजनौर,
जून ४, १६२६ ।

श्रीयुत सम्पादक महोदय,

लीडर, दैनिक अंग्रेज़ी,

प्रयाग ।

महाशय,

क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप मेरे निम्न-लिखित पत्र को अपने सम्मानित पत्र के स्तम्भों में स्थान दें ?

भवदीय,
धूमसिंह अग्रवाल ।

कल ३ जून को सम्राट् की... .. .

. ...

एक दर्शक ।

अभ्यास

१. एक पत्र 'लाल इमली वुलेन क्लॉथ कम्पनी', कानपुर के नाम लिखो कि तुम उनकी एजेन्सी चाहते हो और उनकी क्या शर्तें है ।

२. उपर्युक्त पत्र का उत्तर लिखो ।

३. एक पत्र सम्पादक 'भारत मित्र', कलकत्ता को लिखो, जिसमें अपने यहाँ की सड़कों की ख़राबी का वर्णन हो ।

९ एक पत्र मैनेजर, 'गङ्गा-पुस्तक माला' को लिखो कि तुम राज-पूताने के लिये उनकी एजेन्सी लेना चाहते हो। उसका उत्तर भी लिखो। तुम्हारा पता है—'दी पापुलर बुकडिपो', जयपुर।

आठवाँ अध्याय

प्रार्थना-पत्र

[१]

तो निवेदक के स्थान में 'आपका नम्र' अथवा 'आज्ञाकारी सेवक' यह शब्द उपयुक्त होगा।

२ स्थान का नाम और तिथि पत्र के नीचे बायीं ओर लेखक के नाम के सीध में होनी चाहिये।

३. 'स० प०' 'सम्बद्धपत्र' का संक्षिप्त रूप है। यदि पत्र के साथ कुछ और काग़ज़ भेजने हों, तो उनकी संख्या इसके आगे लिख देते हैं। 'स० प० ४' का अर्थ यह है कि इस प्रार्थना पत्र के साथ चार काग़ज़ और भेजते हे।

[२]

सेवा में—

श्रीयुत प्राइवेट सेक्रेटरी,
आवागढ़ नरेश,
आवागढ़।

श्रीमान्,

सादर निवेदन है कि निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र आप कृपा करके श्री राजा साहब के सामने यथाशीघ्र रख दें अत्यन्त कृपा होगी।

भवदीय विनम्र सेवक,
प्रभुदयाल गुप्त।

श्री महामान्य राजा साहब,

हम आवागढ़ निवासी अपने कुछ कष्ट श्रीमान् की सेवा

में सविनय वर्णित करने का साहस करते हैं। आशा है, मन्त्र की नाईं श्रीमान् अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करेंगे।

आवागढ़, श्री राजा साहब के अत्यन्त विनम्र सेवक,

चैत्र शुक्ल ५, १९८५ वि०

१

२

३

[२]

आपकी इस कृपा के लिये हम ईश्वर से आपकी चिरायु और धन-वैभव के लिये सदैव प्रार्थी रहेंगे।

श्रीमानों के विनम्र सेवक,

नजीबाबाद, १ ...

१० मार्च, १६२६। २ ... .

३

१. ऐसे प्रार्थनापत्रो में प्रत्येक बात पृथक्-पृथक् करके अनुच्छेद रूप में, प्रत्येक अनुच्छेद को संख्या देकर, लिखना चाहिए। प्रत्येक अनुच्छेद शब्द 'कि' से आरम्भ होना चाहिए। अन्त में जो प्रार्थनीय बात है, उसे बिना संख्या दिये लिखना चाहिए। सबके अन्त में कृपा के लिये कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।

२ सबके हस्ताक्षर संख्या देकर होने चाहिएँ। बेपढ़े-लिखे मनुष्य के अँगूठे का चिह्न लेना चाहिए।

नोट—ऐसे पत्रों का उत्तर सूचनार्थ उन निम्न अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है, जिसका सम्बन्ध इन लोगों से रहता है।

अभ्यास

१. अपने जिले के कलक्टर को एक पत्र लिखो, जिसमें तुम कानून पढ़ने के लिये विलायत जाने के लिये 'पासपोर्ट' चाहते हो।

२. डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन को एक प्रार्थना-पत्र लिखो। जिसमें अपने ग्राम में, जो सड़क के किनारे है और उसके निवासी अत्यन्त निर्धन हैं, एक कुआँ बनाने की प्रार्थना हो।

३. ग्राम-निवासियों की ओर से डिप्टी-इन्सपेक्टर मदारिस, कानपुर को एक प्रार्थना पत्र लिखो कि वहाँ एक 'लोअर प्राइमरी' पाठशाला खोल दी जाय।

४ एक ग्राम के जमींदार की ओर से सुपरिंटेंडेण्ट पुलिस, आगरा के नाम एक प्रार्थना-पत्र लिखो कि इस ग्राम में चोरों का बहुत भय रहता है, अतः प्रबन्ध किया जाय।

नवाँ अध्याय

सरकारी पत्र. १ अ

कलेक्टर का कार्य्यालय, बिजनौर,

सं० १६६, मई १५, १६२६।

सेवा में—

बा० सोहनलालजी, एम ए.,

एस. डी ओ नजीबाबाद,

नजीबाबाद।

श्रीमान्,

आपका .. ... .

. .. .

भवदीय,

१ ..

१. यहाँ पर हस्ताक्षर होने चाहिएँ।

१. क

बिजनौर,

पं० महेशचन्द्र दीक्षित, एम ए,   ता० १५ मई, १६२६।

मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर।

सं० १६६.

बा० सोहनलाल जी, एम. ए.,

एस डी ओ. नजीबाबाद,

नजीबाबाद।

श्रीमान्,

आपका ... .

... .

दसवाँ अध्याय

अर्द्ध-सरकारी पत्र

वाइस चान्सलर का कार्य्यालय।

सं० क-१६७

आगरा,

ता० १५ अप्रैल, १६२६।

प्रिय मिलर[१],

आपका ता० ... ...

... ...

भवदीय,

ए. डब्ल्यू. डेवीस।

श्रीयुत ए. मिलर, एम. ए,

प्रिन्सिपल, गवर्नमेएट कॉलेज,

अजमेर।

क स

१. मिलर के पूर्व 'मिस्टर' आदि किसी शब्द का न लगाना सम्बन्ध की घनिष्ठता को द्योतक है।

अभ्यास

१. इन्सपेक्टर मदारिस की ओर से हेड मास्टर के नाम एक पत्र लिखो कि उनके स्कूल के निरीक्षण के लिये १२, १३ अप्रैल ठीक होंगी।

सौभाग्यवती पुत्री श्रीमती राजेश्वरी देवी के साथ ज्येष्ठ शुक्ल ५, सं० १९८५ वि०, तदनुसार ता० ८ मई, १९२८ ई० को होना निश्चित हुआ है।

आपसे सादर सप्रेम प्रार्थना है कि आप बाल-गोपाल सहित यथासमय सम्मिलित होकर उत्सव की शोभा-वृद्धि करें।

मेरठ, विनीत,

ता० २८ अप्रैल, १९२९। देवीदयाल शर्म्मा।

स्वीकृति-सूचना प्रार्थनीय है।

(पृष्ठ. २)

कार्यक्रम—

६ मई—६ बजे सायङ्काल, प्रीति-भोज।

७ मई—६ बजे सायङ्काल, घुड़-चढ़ी।

७. मई—८ बजे सायङ्काल, वर-यात्रा।

८ मई—१२ बजे रात्रि, पाणिग्रहण इत्यादि।

नोट—बारात पंजाब-मेल से जायगी और प्रात काल ५ बजे मुरादाबाद पहुँचेगी।

बारहवाँ अध्याय

सूचना-पत्र

अजमेर-निवासियों के लिये हर्ष की बात है कि कल ता० २४ जून, १९२९ ई० को महामना श्री प० मदनमोहन मालवीयजी यहाँ पधारेंगे। श्री सेठ हुकुमचन्दजी की धर्म्मशाला में ८ बजे सायङ्काल से उनका मनोहर व्याख्यान 'भारत में शिक्षा की समस्या' पर श्री हरविलास जी शारदा, एम० एल० ए० के सभापतित्व में होगा।

सब सज्जनों से प्रार्थना है कि उस समय पर पधारकर देश-भक्त मालवीयजी के दर्शनों तथा वचनामृत पान से तृप्त हों।

ता० १४ जून, १९२९। मिट्ठनलाल भार्गव,

संयोजक।

समाचार

तेरहवाँ अध्याय

पता

लिफ़ाफ़ा

	टिकट
देवकीनंदन शर्म्मा, अजमेर।	श्री पं० अयोध्यानाथजी शर्म्मा, एम ए, प्रोफ़ेसर हिन्दी-साहित्य, सनातनधर्म्म कॉलेज, कानपुर।

व्यावसायिक पत्रों का लिफ़ाफ़ा

इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग।*
श्रीयुत बा० बेनीचरण महेन्द्र, एम० एस सी०, असिस्टेण्ट प्रोफ़ेसर प्राणिशास्त्र, सेण्ट जॉन्स कॉलेज, आगरा।

* यह छपा रहता है।

पता कार्ड या लिफ़ाफ़े के नीचे के भाग में लिखना चाहिए।

तृतीय खण्ड

निबन्ध-रचना

निबन्ध-रचना

१. भाषा विषयक

पहिला अध्याय

विराम-चिह्न (Punctuations)

निबन्ध में ही क्या, जो कुछ लिखना हो, सबमें कुछ नियम चिह्नों का प्रयोग इसलिये किया जाता है,—

१ कि जिससे, शब्द, पद अथवा वाक्य का भाव स्पष्ट हो।

२ कि जिससे वाक्य, वाक्यांश, पद और शब्दों का पारस्परिक वैयाकरणिक सम्बन्ध ठीक हो।

३ कि जिससे लेखक का उचित प्रकार से भाव स्पष्ट करते हुए पढने में सुगमता हो।

ये चिह्न इस प्रकार हैं —

पूर्णविराम— (।)

लाघव चिह्न— (, ०)

अर्द्धविराम— (;)

अल्पविराम— (,)

कोलन— (:)

प्रश्नबोधक चिह्न— (?)

विस्मयादिबोधक चिह्न—(!)

निर्देश या डैश— (—)

योजक— (-)

कोष्ठ चिह्न— (( ))

उद्धरण चिह्न— (" ")

लोप चिह्न— (..)

१. पूर्णविराम —इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है.—

१. वाक्य के पूर्ण होने पर। जैसे—

राम ने रावण को मारकर विभीषण को राज्य दे दिया।

२. लाघव चिह्न —इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में होता है। जैसे—

१. प्रश्नों, अथवा सख्या किये गये अनुच्छेदो (Paragraph) की संख्या के पीछे। जैसे—

१, ६ और ३ कितने होते है?

१., कि यह सभा प्रस्ताव करती है ···· इत्यादि।

२ कभी-कभी संक्षिप्त रूप (abbreviations) और पूर्वाक्षरां (initials) के पीछे। जैसे—

श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र, एम० ए०, वी० एल।

अथवा

रा० व० वनारसी दास जी एम० ए०, वी० एल०।

३ अति प्रसिद्ध अथवा वार-वार आनेवाले शब्द के प्राय पहिले अक्षर के पश्चात्। जैसे—

ता० १४ दि० स० १६२८ ई०।

नोट--० अथवा . चिह्न लिखा जाय, यह लेखकों की इच्छा पर निर्भर है।

३ अर्द्धविराम —इसका प्रयोग हिन्दी में बहुत कम होता है। अंग्रेजी में भी इसका काम प्राय पूर्णविराम अथवा अल्पविराम से लिया जाने लगा है। इसमें अल्पविराम से कुछ अधिक और पूर्णविराम से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता होती है। यदि वाक्य में प्रधान अंश (main clause) के साथ अन्य समानाधिकरण वाक्यांश (Co-ordinate to the main clause) आवें तो अर्द्धविराम से उन्हें पृथक् किया जाता है। जैसे—

बच्चा प्रति दिन स्नान करता है अथवा नहीं, उसका भोजन पुष्टिकारक है अथवा नहीं, वह अपना नीचे का वस्त्र प्रति दिन बदलता है अथवा नहीं,—यह सब कुछ देखना माता का कर्त्तव्य है।

४ अल्पविराम —लेख में सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। वाक्य पढते हुए जहाँ बहुत ही थोडी देर ठहरना पडे, वहाँ अल्पविराम लगाते है। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है—

१. क्रियाविशेषण वाक्य को पृथक् करने के लिये—

निर्देश या डैश— (—)

योजक— (-)

कोष्ठ चिह्न— (( ))

उद्धरण चिह्न— (" ")

लोप चिह्न— (..)

१. पूर्णविराम —इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है.—

१. वाक्य के पूर्ण होने पर। जैसे—

राम ने रावण को मारकर विभीषण को राज्य दे दिया।

२. लाघव चिह्न —इसका प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में होता है। जैसे—

१. प्रश्नों, अथवा सख्या किये गये अनुच्छेदों (Paragraph) की संख्या के पीछे। जैसे—

१, ६ और ३ कितने होते है?

१., कि यह सभा प्रस्ताव करती है ···· इत्यादि।

२ कभी-कभी संक्षिप्त रूप (abbreviations) और पूर्वाक्षरों (initials) के पीछे। जैसे—

श्री गिरीन्द्र मोहन मिश्र, एम० ए०, बी० एल।

अथवा

रा० ब० बनारसी दास जी एम० ए०, बी० एल०।

३ अति प्रसिद्ध अथवा बार-बार आनेवाले शब्द के प्राय. पहिले अक्षर के पश्चात्। जैसे—

ता० १४ दि० स० १६२८ ई० ।

नोट--० अथवा . चिह्न लिखा जाय, यह लेखकों की इच्छा पर निर्भर है ।

३ अर्द्धविराम—इसका प्रयोग हिन्दी में बहुत कम होता है। अग्रेजी में भी इसका काम प्राय पूर्णविराम अथवा अल्पविराम से लिया जाने लगा है। इसमें अल्पविराम से कुछ अधिक और पूर्णविराम से कुछ कम ठहरने की आवश्यकता होती है। यदि वाक्य में प्रधान अश (main clause) के साथ अन्य समानाधिकरण वाक्यांश (Co-ordinate to the main clause) आवें तो अर्द्धविराम से उन्हें पृथक् किया जाता है। जैसे—

बच्चा प्रति दिन स्नान करता है अथवा नहीं, उसका भोजन पुष्टिकारक है अथवा नहीं, वह अपना नीचे का वस्त्र प्रति दिन बदलता है अथवा नहीं,—यह सब कुछ देखना माता का कर्त्तव्य है।

४. अल्पविराम—लेख में सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। वाक्य पढते हुए जहॉ बहुत ही थोडी देर ठहरना पडे, वहॉ अल्पविराम लगाते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार होता है—

१. क्रियाविशेषण वाक्य को पृथक् करने के लिये—

जिस समय मैं स्टेशन पहुँचा, उसी समय स्टेशन पर गाडी आ गयी।

आपको कल अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि मै स्वय नहीं जा सकूँगा।

२ पर, परन्तु, किन्तु, अन्यथा, वरन्, अत., क्योंकि, कारण कि, तोभी, तथापि, इत्यादि शब्दों के पूर्व—

मैं इतनी देर से आपको बतला रहा हूँ, किन्तु आप क्यों सुनने लगे?

बात ठीक है, परन्तु मैं भी कुछ कहता ही हूँ।

३ दो या अधिक शब्दों, खण्ड-वाक्यों अथवा वाक्यांशों के मध्य जो, और, तथा, अथवा, या और किसी समुच्चायक (Conjunction) से जुडे न हों, अल्पविराम आता है। जैसे—

राम, मोहन, सोहन और कृष्ण यहाँ आये।

आपका इस प्रकार आना, भोजन न करना, तथा बिना कहे चले जाना ठीक नहीं।

४. किसी के शब्द उद्धरण करने से पूर्व—

मैंने उस समय यही तो कहा था, "तुम पछताओगे।"

५ अ. सम्बोधन-शब्द के पीछे—

श्रीमन्, आप रुष्ट न हों।

क. जब सम्बोधन शब्द वाक्य के मध्य में आवे तो इसके पूर्व और पश्चात्। जैसे—

सुनिये, श्रीमन्, सुनिये।

६ वाक्यों में यदि संज्ञावाक्य किसी क्रिया का कर्त्ता हो, तो संज्ञावाक्य को पृथक् करने के लिये, जैसे--

मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं भोजन नहीं करूँगा, यही चिल्लाता रहा।

७. भाव को स्पष्ट करने के लिये, जहाँ अर्थ में बाधा पड़ने का भय हो--

रामचन्द्र का भाई, कल यहाँ आया था।

सूर्य्य चलता हो, या न चलता हो, इससे हमें क्या मतलब।

८ नित्य सम्बन्धी शब्दों के जोड़े, जैसे—जहाँ-वहाँ, यदि-तो, यद्यपि-तथापि, इत्यादि का जहाँ दूसरा शब्द लुप्त हो—

यदि वह कुछ भी झुक जायँ, (तो) फ़ैसला हुआ ही था।

वह जो कुछ कह देता है, (वह) कर देता है।

९. प्रथम, द्वितीय आदि शब्द जब वाक्य के आरम्भ में आवें—

प्रथम, मनुष्य को स्नान करना चाहिए। द्वितीय, सन्ध्या करनी चाहिए। पुनश्च, स्नान करना चाहिए। द्वितीय, सन्ध्या करनी चाहिए। पुनश्च, स्नान करना चाहिए।

१०. पत्र में कितने ही स्थान पर प्रयोग होता है—

(पत्र-लेखन का खण्ड देखो।)

५ कोलन —कभी-कभी जब किसी पूर्णवाक्य के पश्चात् कुछ बातें गिनानी हों, उसका उदाहरण देना हो, अथवा किसी

कारण का कार्य्य बतलाना हो, तो वहाँ कोलन का प्रयोग होता है। कभी-कभी कोलन के पश्चात् डैश भी लगा देते हैं —

[१]इसके दो प्रकार हैं —मुख्य और गौण।

[२]निम्नलिखित शब्दों के पर्य्यायवाची दो —

[३]आप दो बार फ़ेल हो चुके हैं एक बार १९२७ ई० में और दूसरी बार १९२८ में।

६ प्रश्न-बोधक चिह्न —यह चिह्न प्रश्नात्मक वाक्य के पीछे आता है —

आप क्यों नहीं सुनते ?

नोट—यदि वाक्य का एक अंश प्रश्नात्मक है और सम्पूर्ण वाक्य प्रश्नात्मक नहीं, तो इस चिह्न का उपयोग न हो सकेगा। इसके स्थान में अल्पविराम लगेगा।

आप क्यों नहीं सुनते, यह शब्द आपको मुझसे न कहने चाहिएँ।

७ विस्मयादिबोधक चिह्न—अ. जहाँ सम्बोधन करते हुए, विस्मय, क्रोधादि मानसिक भाव प्रकट करना हो तो ऐसे शब्दों के पीछे यह चिह्न आता है—

त्राहि ! त्राहि !! वह यह शब्द कहने लगा।

ऐश्वर्य ! अहो ! तेरी माया।

(क) जहाँ वाक्य द्वारा विस्मयादि का प्रकाश हो—

कैसा सुहावना समय है ! अहा ! मेरे मित्र आज न हुए !

८ निर्देशक या डैश —

(अ) जहाँ वाक्य एकाएक टूट जाय—

कैसी अनोखी—हाँ, निकम्मी बात है।

(क) जहाँ बहुत सी बातों का वर्णन किया गया हो और सब बातें एक शब्द द्वारा कही गयी हों, वहाँ उन बातों के वर्णन के पूर्व अथवा पश्चात्—

स्त्रियों का सतीत्व, मनुष्यों में अहिंसाभाव, परोपकार-वृत्ति, सहनशीलता—यह आज भी हिन्दुओं के विशेष गुण हैं।

(ख) वाक्य के बीच में किसी स्वतन्त्र पद, वाक्यांश या वाक्य (Parenthesis) के बतलाने के लिये—

महामना मालवीय जी—ईश्वर उन्हें देश के लिये बहुत दिनों तक जीवित रखे—देश के भूषण हैं।

(ग) किसी शब्द या भाव की पुनरावृत्ति के लिये —

उसने झूठ—झूठ जिससे वह घृणा करता था—कहा।

(घ) वक्ता के नाम के पीछे और उसके कहे हुए शब्दों से पूर्व —

राम—मोहन, तुम अच्छे तो हो!

९ योजक —अ, यदि शब्द पंक्ति में पूरा न होता हो तो उसके दो भाग कर देते हैं। एक भाग पहिली पक्ति के अन्त में और उसके पीछे योजक चिन्ह और दूसरा भाग दूसरी पक्ति के आरम्भ में। किन्तु शब्द तोड़ते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके उच्चारण में अन्तर न पडे और न उसके मूल-खण्ड में अन्तर पडे।

क जब किसी अन्य भाषा का शब्द प्रयुक्त करना हो—

उस समय "कोरम" पूरा न था।

ख जब किसी शब्द पर विशेष बल देना हो—

समझे "विशेषण" का अर्थ?

११ लोप चिन्ह.—जब किसी वाक्य के कुछ शब्द लुप्त रखने हों—

हमारा सिद्धान्त तो यही है, "कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि ......"।

दूसरा अध्याय

रेखांकित करना या उद्धरण-चिह्नों में रखना

निबन्ध लिखते समय कितने ही ऐसे शब्द अथवा शब्द-समूह आते हैं जिन पर विशेष बल देने की अथवा पाठकों का विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्दों को लिखते समय साधारणतया रेखाङ्कित कर देते हैं अथवा उद्धरण चिह्नों (" ") में रख देते हैं। छापे में ऐसे शब्द बहुधा 'इटैलिक्स" अक्षरों में रख देते हैं।

नियम:—

१ शब्द अथवा शब्द-समूह पर बल देने के लिये, जैसे—

मैं अपनी पुस्तक उसे कभी न दूँगा।

राम ने उसे मन-

मोदक दिये।

न कि, म-

नमोदक।

या मनमो-

दक।

और न, मनमोद-

क।

क. जहाँ दो शब्दों को मिलाना हो—

राम-जैसे राजा आज विरले ही हैं। देव-पूजा, सभा-विज्ञान।

१०. कोष्ठ चिह्न—ये चिह्न अधिकतर गणित में प्रयुक्त होते हैं। ये चिह्न किसी के अर्थ को दिखलाने के लिये, या उस शब्द के अर्थ के विषय में उचित सूचना देने के लिये, आते हैं—

श्री० पं० अयोध्यानाथ शर्म्मा (प्रो० सनातनधर्म्म कॉलेज) यहाँ पधारे हैं। तब उन्होंने वादविवादान्तक प्रस्ताव (Foreclosure) उपस्थित किया।

११. उद्धरण चिह्न—अ जब किसी के वाक्य को उसी के शब्दों में रखना हो—

मनुजी लिखते हैं, "अहिंसा सत्यमस्तेय . . . " इत्यादि।

वह चिल्ला उठे, "भागो, भागो।"

क जब किसी अन्य भाषा का शब्द प्रयुक्त करना हो—

उस समय "कोरम" पूरा न था।

ख जब किसी शब्द पर विशेष वल देना हो—

समझे "विशेषण" का अर्थ ?

११ लोप चिन्ह'—जब किसी वाक्य के कुछ शब्द लुप्त रखने हों—

हमारा सिद्धान्त तो यही है, "कुर्वन्नेवेह कर्म्माणि

दूसरा अध्याय

रेखांकित करना या उद्धरण-चिह्नों में रखना

निवन्ध लिखते समय कितने ही ऐसे शब्द अथवा शब्द-समूह आते हैं जिन पर विशेष वल देने की अथवा पाठकों का विशेष ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता होती है। ऐसे शब्दों को लिखते समय साधारणतया रेखाङ्कित कर देते हैं अथवा उद्धरण चिह्नों (" ") में रख देते हैं। छापे में ऐसे शब्द वहुधा 'इटैलिक्स" अक्षरों में रख देते हैं।

नियमः—

१ शब्द अथवा शब्द-समूह पर वल देने के लिये, जैसे—

मैं अपनी पुस्तक उसे कभी न दूँगा।

नोटः—१. यह शब्द उद्धरण चिह्नों मे नहीं रखे जा सकते।

२. किन्तु यह अच्छा हो यदि शब्द के स्थान परिवर्तन से शब्द पर बल पड़ जाय, जैसे—

मैं कभी अपनी पुस्तक उसे न दूँगा।

२ किसी पुस्तक, पत्र अथवा पत्रिका का नाम बतलाने के लिये, जैसे—

आजकल "चाँद" की उन्नति ख़ूब हो रही है।

"महाभारत" पढ़ते-पढ़ते उसका जी ऊब गया।

३ यह दिखलाने के लिये कि शब्द अन्य भाषा का है, जैसे—

यह शब्द बहुधा "इटैलिक्स" में छापे जाते हैं।

इस शक्ति को फ्रेञ्च में "इलाँ विटाल" कहते हैं।

४ किसी शब्द को यदि उसी शब्द के अर्थ में प्रयुक्त करना हो, जैसे—

हम "आगमन" ही को ले लें, यह "आ" और "गमन" से मिलकर बना है।

अभ्यास

निम्नलिखित पंक्तियों में कौन-कौन से शब्द रेखाङ्कित अथवा इटैलिक्स किये जा सकते हैं:—

(१)

आज सन्ध्या समय ८ बजे से पाठशाला में हमारे अधिकार पर व्याख्यान होगा। व्याख्यानदाता ३० वर्ष से केवल फलों पर ही रहते हैं।

(२)

कोरम को ले लीजिये। यह कितना साधारण शब्द है। किन्तु अंग्रेजी शब्द होने के कारण इससे घृणा करें तो सभा-कार्य्य वा सभा-संख्या कहना पड़ेगा। फिर स्टेशन, कोट, टिकट आदि के लिये भी पर्य्यायवाची शब्द गढ़ने पड़ेंगे।

(३)

प्रत्यागमन सस्कृत शब्द है जो प्रति, आ और गमन से मिलकर बना है। गमन गम् धातु से बना है।

(४)

मैं जब सरस्वती अथवा त्यागभूमि पढने लगता हूँ, तो मुझे इस बात का ध्यान होता है कि हिन्दी कितनी उन्नति करती जा रही है। कोई दिन आवेगा जब कि हिन्दी में दी नाइन्टीन्थ सेंचरी और राउँड-टेब्ल की टक्कर की पत्रिकाएँ निकलने लगेंगी।

(५)

जब हमें अहिंसा और सत्य में विरोध देख पडे तो क्या करें? महात्मा गान्धी के विचार में तो सत्य अहिंसा ही का प्रथम पग है। उनके सत्याग्रह मे सत्य और अहिंसा दोनों ही का समावेश होता है।

—

तीसरा अध्याय

सूक्तियाँ या कहावतें

अच्छे निबन्ध में कहावतों का प्रयोग कभी-कभी सोने में सुगन्ध का काम देता है। किन्तु कहावतों की भरमार अथवा उनका अनुचित स्थल पर प्रयोग निबन्ध को खराब कर देता है। किस कहावत का किस स्थल पर प्रयोग होना चाहिए, यह जानना सरल बात नहीं है। इसके लिये आवश्यकता है अच्छे ग्रन्थों के अध्ययन की तथा कहावतों और उनके प्रयोगों का नोट करने की।

वास्तव में कहावतों में मनुष्यों के सैकड़ों वर्षों का तजर्बा सूक्ष्म-रूप से भरा रहता है। वस्तुत अशिक्षित ग्रामीणों के लिये तो कहावतें ही उत्तम ग्रन्थ-रत्न है। उनके अधिकांश जीवन-कार्य्य कि भित्ति कहावतें ही होती है।

कुछ उदाहरण—

१. कहावत—आँख के अन्धे गाँठ के पूरे।

अर्थ—नासमझ, किन्तु पैसे वाले।

प्रयोग—जब कभी ज्वर आ जाता तो वह स्यानों को बुला लेते। ये स्याने कहते, "अजी, इसे तो सैय्यद ने सता रखा है। लाओ सवा सेर मिठाई, सवा सेर मेवा, एक चाँदी का जेवर, इत्यादि।" ये आँख के अंधे गाँठ के पूरे शीघ्र ही उनके कहने के अनुसार सामान भेजवा देते।

२ कहावत—घर आये नाग न पूजिये, बाँबी पूजन जाय।

अर्थ—अवसर के चूक जाने पर किसी वस्तु के लिये मारे-मारे फिरना।

प्रयोग—'घर आये नाग न पूजिये, बाँबी पूजन जाय,' मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। जब वैद्य जी, इधर से आ ही रहे हैं, तो क्यों न हाथ दिखला दूँ, फिर कहाँ उनके लिये मारा-मारा फिरूँगा।

३. कहावत—हाथ कंगन को आरसी क्या ?

अर्थ—प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की क्या आवश्यकता ?

प्रयोग—उनका चूर्ण हाजिम है या नहीं,—इस पर वाद-विवाद क्या ? मोहन से एक गोली ले लीजिये, खा लीजिये और फिर देखिये खूब भूख लगती है कि नहीं। अजी, हाथ कगन को आरसी क्या ?

४ कहावत—जान है तो जहान और जर है तो दुनियाँ।

अर्थ—जान और माल ही सब कुछ है।

प्रयोग—'बहुत करेगा, मार लेगा, गाली दे लेगा, चार आदमियों में फज़ीहत करेगा। बस ! इससे तो हद है। कोई फाँसी तो दे ही नहीं सकता ? मैं तो कौडी का देवाल हूँ नहीं ! कुछ यहीं तो नाल गडा नहीं है। अच्छे अच्छों के वतन छूट जाते हैं। अजी, जान है तो जहान और जर है तो दुनियाँ।

अभ्यास

निम्न-लिखित कहावतों का अर्थ लिखो और वाक्यों में प्रयोग करो—

अगसर खेती अगसर मार, घाघ कहैं ये कबहुँ न हार।

अन्धा बाँटे शीरनी अपने ही को दे।

अन्धों में काना सरदार।

अपना ही सोना खोटा हो तो परखनेवाले का क्या दोष?

अपनी-अपनी ढाफली, अपना-अपना राग।

आँख के अन्धे नाम नयनसुख।

आम के आम गुठलियों के दाम।

आम खाने हैं या पेड़ गिनने हैं?

ऊधो के लेना न माधो को देना।

एक का इलाज़ दो और दो का इलाज चार।

ऐसे कन्था घर रहे और ऐसे ही गये विदेस।

कडवी थी और चढ़ गयी नीम पर।

करैला और नीम चढा।

कौव्वा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया।

काँटो बुरो करील को, अरु बदरी को घाम।

सौति बुरी है चून की, औ साझे को काम॥

खेती करे न बंजे जाय, विद्या के बल बैठे खायँ।

गाँव का जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध।

गुरू गुड़ ही रहे, चेला शक्कर हो गये।

घर-घर मटियाले चूल्हे हैं।

घर में भूँजी भाँग नहीं।

चलती का नाम गाडी।

चार दिनों की चाँदनी, फेर अँधेरी रात।

चींटी पर तोप चलाना।

चूनी कहे मुझे घी से खा।

छछूँदर के सिर में चमेली का तेल।

छठी का दूध जवान पर आ गया।

छाँडे खाद जोत गहराई, तब खेती का मजा उठाई।

जमात से करामात।

जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना, जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना।

जन्म के दुःखी नाम चैनसुख।

जब तक साँस तब तक आस।

जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।

जिसका ऊँचा बैठना, जिसका खेत निचान।

उसका बैरी क्या करे, जिसका मीत दिमान॥

जी हाँ, बडे तीसमार खाँ हैं।

जैसे नागनाथ तैसे साँपनाथ।

जोगी जोगी लडें, खप्परों की हान।

जो धन दीखे जात, आधा लीजे बाँट।

तन पर नहीं लत्ता, पान खाय अलबत्ता।

तलवार की आँच बुरी होती है।

तुलसी सन्त सुअम्ब तरु, फूलि फलैं पर हेत।

देखिये, ऊँट किस करवट बैठता है?

धोबी का कुत्ता घर का न घाट का।

निज कारन दुख ना सहै, सहै पराये काज।

निर्धन के धन राम।

पर स्वारथ के कारने, सज्जन धरत शरीर।

परोपकाराय सतां विभूतय.।

फरा सो झरा और बरा सो बुताना।

मतलब से मतलब है।

मुख्य है दाल-रोटी और सभी बात खोटी।

मुल्ला की दौड़ मसजिद तक।

यार की यारी से काम, उसके फेलों से क्या काम?

सत मत छोडे सूरमा, सत छोड़े पति जाय।

साठ गाँव का चौधरी, बहत्तर गाँव का राव।

अपने काम न आवे तो भाड में जाव।

सावन सूखा न भादों हरा।

स्वारथ के सब ही सगे, बिन स्वारथ कोउ नाहि।

चौथा अध्याय

वाग्धारा अथवा मुहावरे

किसी वाक्य, वाक्यांश अथवा पद का शब्दार्थ न लेकर जब लाक्षणिक अर्थ लिये जायँ, उसे मुहावरा कहते हैं।

वास्तव में मुहावरे भाषा की जान है। छोटे-से मुहावरे में बहुत ज़्यादा भाव छिपा रहता है, गागर में सागर भरा रहता है। किन्तु मुहावरों के प्रयोग करने के लिये मुहावरेदार भाषा

के पढ़ने की नितान्त आवश्यकता है। मुहावरों को ठीक तौर से समझना चाहिए। अशुद्ध मुहावरे अथवा मुहावरों का अशुद्ध प्रयोग भाषा में तीर की तरह चुभता है। अत मुहावरों का प्रयोग समझकर करना चाहिए। यह भी आवश्यक नहीं कि मुहावरे हर जगह ही बाँधे जायें।

१. मुहावरा—रुपये फूँकना।
प्रयोग—उसने शराब में अपना सारा रुपया फूँक दिया।

२. मुहावरा—तार न टूटना।
प्रयोग—जब उन्हें देख लेता तो बातों में ऐसा लग जाता कि घंटों तक तार न टूटता।

३ मुहावरा—चिकने घडे पर पानी।
प्रयोग—इतना रोका था, धमकाया था, फटकारा था। पर सब चिकने घडे पर पानी की तरह ढल गया।

४. मुहावरा—दाँत खट्टे कर देना।
प्रयोग—जर्मन और अंग्रेजों में भारी युद्ध हुआ था। अंग्रेज जीत तो गये पर जर्मनों ने उनके दाँत खट्टे कर दिये।

५. मुहावरा—आग लग जाना।
प्रयोग-(१) मेरी उन्नति देखकर तो उनके आग लग जाती है।
(२) इतनी क्षुधा, अभी से तेरे पेट में आग लग रही है।

६. मुहावरा—मुँह लगना।

प्रयोग—क्यों आप छिछोरे आदमियों के मुँह लगते हैं?

७. मुहावरा—नाक का बाल।

प्रयोग—आजकल तो वह साहब की नाक के बाल हो रहे हैं। साहब बिना उनसे मशवरा किये कुछ करते ही नहीं।

अभ्यास

निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करो।

१. राग अलापना, २. मुँह की खाना, ३. अपने हाथों पैर में कुल्हाड़ी मारना, ४. ताँता बँध जाना, ५. फफोले पड़ना, ६ ईद का चाँद, ७. कान पर जूँ तक नहीं रेंगती, ८. घी के दिये बालना, ९. चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, १०. कुल में दाग़ लगाना, ११. हृदय का पिघल जाना, १२. कान काटना, १३. पतला पड़ना, १४. अब क्या, बस पौ बारह है, १५ पिंड छूटना, १६. इज्जत मिट्टी में मिल गयी, १७. फूलकर कुप्पा हो गया, १८. लम्बी तान ली, १९. लाल-पीला होना, २०. खाक छानना, २१. नाक-भौं चढ़ाना, २२. नौ-दो ग्यारह हुए, २३. आज दो एकादशी मना ली, २४. बाज़ार गर्म होना २५. आँखें निकालना, २६. खून पीना, २७. मिट्टी ख़्वार होना, २८. सिर पड़ना, २९. मुँह चलाना, ३०. हाथ मलना, ३१. हाथ निकलना, ३२. हाथ धोकर पीछे पड़ना, ३३. हाथ डालना, ३४. सिर लेना, ३५. पानी पड़ना, ३६. आँख मारना, ३७. दम भरना, ३८. हवा लगना, ३९. दिन काटना, ४०. नाच नचाना, ४१. मूसलधार पानी, ४२. हवाई महल, ४३. टकटकी बँधना, ४४. बात पकड़ लेना, ४५. अन्ततोगत्वा, ४६. मन बाग़-बाग़ होना।

पाँचवाँ अध्याय

२—वर्णनात्मक निबन्ध

अ—भौतिक पदार्थ

यद्यपि वर्णन करने योग्य प्रत्येक वस्तु का वर्गीकरण सम्भव नहीं, तो भी वर्णनात्मक निबन्धों का (अ) भौतिक पदार्थ, (क) प्राकृतिक दृश्य, (ख) मनुष्य-कृत वस्तुएँ और संस्थाएँ, तथा (ग) प्राणी—इनमें बाँटना सुविधाजनक है।

विषय—

यमुना, एक सोत, झरना, हीरा, मोती, कोयला, लोहा, नमक, ज्वालामुखी पर्वत, आम, वट, केला, गुलाब, कमल, भारतीय जंगल, अफ़ीम का पौधा, तम्बाकू, कुनैन और नीम।

उदाहरणार्थ ढाँचा

(अ) नमक—

१. महत्व और वर्णन —

विना नमक जीवन असम्भव।

'सोडियम' और 'क्लोरीन' से मिलकर बनता है।

तीन प्रकार—पानी से, चट्टान से और मिट्टी से निकाला जाता है।

२. निकास —

बहुत-सी खाद्य वस्तुओं में।

किन्तु खाने का नमक समुद्र, झील, पहाड़ या नमकीली मिट्टी से।

लङ्का के प्रान्तों में और दक्षिण के तट पर प्राकृतिक और कृत्रिम साधनों द्वारा।

समुद्र के पानी को उड़ाकर।

राजपूताने में साँभर झील से।

झेलम और शाहपुर में साँभर की पहाड़ियों में से।

मैसूर में नमकीली पृथ्वी से।

३. उपयोगिता.—

यह विष भी है और स्वास्थ्यकर भी है।

खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में प्रयुक्त होता है।

हड्डियों को सख़्त और रक्त को पुष्ट करता है।

राज्य के लिये इससे आर्थिक लाभ होता है।

(क) कमल—

१. महत्व और वर्णन—

भारत में सबसे सुन्दर पुष्प है।

संस्कृत और हिन्दी साहित्य में सुकुमारता, कोमलता आदि का परिचायक, जैसे—चरण-कमल, पद-पङ्कज, मुखारविन्द, कर-कमल, मुख-कमल, इत्यादि।

बहुत से नाम—वारिज, जलज, पङ्कज, पद्म, आदि।

पत्र, विरक्ति का परिचायक है, जैसे—कमलपत्र की तरह संसार में रहना, किन्तु फँसना नहीं।

धार्मिक ग्रन्थों में उल्लेख,—ब्रह्माजी की उत्पत्ति विष्णु की नाभि के कमल से।

२. उत्पत्ति —

जल में उत्पन्न होता है। बड़े-बड़े सरोवरों में पैदा होता है। पत्ते चौड़े, चिकने होते हैं। जल उन्हें छूता नहीं।

३. उपयोगिता —

मन को खुश करता है।

कमल से बनाया हुआ मधु आँख के रोगों के लिये लाभकारी है।

कमल की जड़, जिसे कमलगट्टा कहते हैं, औषधि है।

इसके पत्तों पर भोजनादि करते हैं।

उदाहरणार्थ ढाँचे का निबन्ध में रूपान्तर

गंगाजी—

१. भूमिका और वर्णन—

हिन्दुओं के लिये इसकी पवित्रता।

भारत में सबसे बड़ी नदी और समुद्र के निकट बहुत विस्तार।

इसका जल संसार में सबसे स्वच्छ है।

२. निकास:—

हिमालय के गङ्गोत्तरी पर्वत से निकलती है।

३ वहाव:—

उत्तरी भारत में वहती हुई वङ्गाल की खाड़ी में गिरती है।
इसके तटवर्त्ती नगर हरिद्वार, कानपुर, प्रयाग, काशी, आदि।

४. उपयोगिता —

युक्तप्रान्त, विहार और वङ्गाल की पृथ्वी को उपजाऊ वनाती है।
इसमें से निकली हुई नहरें आवपाशी का काम देती हैं।
इसके द्वारा वाणिज्य को सहायता मिलती है।
किनारों पर मेले होते हैं।
जल की स्वच्छता और उसका स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव।

५. महत्व —

हिन्दुओं के कितने ही सस्कार इसके किनारे होते हैं।
गङ्गा-लहरी, आदि हिन्दू-धर्म्म पुस्तकों में इसकी वड़ी स्तुति।
सव हिन्दू इसके तट पर समय समय पर एकत्र होते हैं,
अत एक प्रकार से सङ्गठन में सहायता देती है।
पूर्वपुरुषों का चिरस्थायी स्मारक है।
इसका आदर करना अपने ऊपर से इसका ऋण चुकाना है।

निवन्ध

कदाचित् ही कोई भारतीय हो जिसने गङ्गा का नाम न सुना हो। गङ्गाजी का प्रभाव हिन्दू-हृदय पर अकथनीय है।

धर्म के नाते वह उसे अपनी माता कहकर पुकारता है, कदाचित् इसलिये कि वह इस बात का सदैव इच्छुक रहता है कि मृत्यु के पश्चात् मेरा शरीरावशिष्ट गङ्गा की प्यारी गोद में जाकर सोये। वह गङ्गा को पतित-पावनी, पाप-मोचनी, भव-तारणी आदि नामों से सम्बोधन करता है। भारत में यह सबसे बड़ी नदी है और समुद्र के पास पहुँचते-पहुँचते इसका पाट बहुत बड़ा हो जाता है।

हिमालय पर्वत के पश्चिमोत्तर भाग से, जिसे गङ्गोत्तरी पहाड़ भी कहते हैं, गङ्गा निकलती है। जिस पर्वत के टुकडे से वह निकलती है, उसका आकार गोमुख-जैसा है। पुराणों में कहा गया है कि गङ्गा श्री विष्णु महाराज के पादारविन्द से निकलकर कैलाशस्थित श्री महादेवजी की जटाओं में गिरी और वहाँ से भरतखण्ड में आयी।

गङ्गा का नाम भागीरथी भी है। कहा जाता है कि अखण्ड तप करने के पश्चात् महाराज भगीरथ उसे कैलाश से अपने मृतक पुरुषाओं की आत्मा के कल्याण के लिये लाये थे। पुराणों की भाषा अधिकतर अलङ्कारयुक्त होती है। इसका तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि किसी समय महाराज भगीरथ अत्यन्त कष्ट सहनकर पर्वतों को काटते हुए गङ्गा को निकाल लाये उस समय की 'इञ्जीनियरिङ्ग' कला कितनी उन्नत होगी, अनुमान सहज ही में हो सकता है।

गङ्गा गङ्गोत्तरी पर्वत से निकलकर हरिद्वार,

प्रयाग, काशी, पटना आदि के किनारे से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। जैसे-जैसे यह बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे इसका पाट भी बढ़ता जाता है। प्रयाग में यमुना नदी इसमें मिल जाती है। कहा जाता है कि कभी सरस्वती नदी भी इसमें यहीं मिलती थी, इसी लिये यहाँ पर इसे त्रिवेणी कहा जाता है। किन्तु सरस्वती नदी अब लुप्त है। हरिद्वार के निकट इसका जल अत्यन्त स्वच्छ, रोग-नाशक और बुद्धि वर्धक है, किन्तु जैसे-जैसे अन्य नदी-नाले इसमें मिलते जाते हैं, इसका जल गन्दा होता जाता है।

गङ्गा के किनारे की भूमि देश भर में सबसे अधिक उपजाऊ है। पटने से आगे इसमें जहाज़ भी चलते हैं और वाणिज्य में इसके द्वारा बहुत सहायता मिलती है। इसमें से कितनी ही नहरें काटी गयी हैं, जो दूर तक पृथ्वी को उपजाऊ बनाती हैं।

गङ्गा के तट पर प्रति वर्ष बड़े मेले होते हैं, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु हिन्दू आते और स्नान करते है। प्रति बारहवें वर्ष प्रयाग और हरिद्वार में कुम्भ के मेले होते हैं, जहाँ सब तपस्वी और साधु काबुल तथा वर्मा तक के हिन्दू स्नानार्थ आते हैं। ऐसे अवसर पर वाणिज्य-वृद्धि भी होती है। कदाचित् इसी गङ्गा-स्नान में हिन्दुओं की श्रद्धा होने के कारण कितने ही बड़े-बड़े तिज़ारती नगर इसके तट पर बस गये है।

इसका जल अत्यन्त स्वच्छ है। इसमें वर्षों तक कीड़े नहीं

पड़ते। मृत्यु के समय भी हिन्दुओं के मुख में गङ्गाजल और तुलसी की पत्ती डाल देते हैं। शरीर-शुद्धि के लिये गगाजल छिड़कते हैं। वास्तव में इसके जल में पर्वतों पर उगनेवाली कितनी ही अमूल्य औषधियों का सार मिला हुआ आता है। इसके तट पर रहना स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है और इसका जल अत्यन्त पाचक और शोधक है। इसके तट पर साधु-महात्मा अपनी कुटी वनाये भगवद्भजन में लगे रहते हैं। किन्तु नहरों के निकलने से इसकी इस प्रकार की उपयोगिता कम होती जाती है।

हिन्दुओं के धर्म्म में गगाजी का स्थान बहुत ऊँचा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त गङ्गा पापतारिणी रहती है। बच्चों का मुण्डन-संस्कार गङ्गाजी के किनारे करते हैं और शव का दाह भी इसी के किनारे करते हैं। जिनके यहाँ से गङ्गा दूर हैं, वे अवशिष्ट अस्थियाँ गङ्गा में जाकर बहा देते हैं। इसे फूल बहाना कहते हैं।

भारतीयों और विशेषकर हिन्दुओं के लिये इसका महत्व इससे अधिक और क्या हो सकता है कि स्नान के बहाने दूर-दूर से हिन्दू लोग आकर एक दूसरे से मिलते हैं। ससार के सबसे बड़े मेले इसी के किनारे होते हैं। अत इसने हि॰ को थोडा-बहुत सघटित करने में सहायता अवश्य दी है।

गगा के किनारे हमारे पूर्व-पुरुषों ने तपस्या की के जल में स्नान करके उन्होंने अपने शरीर को

और ज्ञान के गहन तत्वों की खोज की थी तथा इसी के जल में उनकी अस्थियों का समावेश हुआ था। अहा! यह गंगा उन पूर्व-पुरुषों की पवित्र स्मृति का कैसा जीता-जागता स्मारक है! अत यदि हम इसको 'गंगा' न कह कर 'गंगाजी' कहते हैं और इसके जल में स्नान करना पुण्य मानते हैं, तो यह इसके प्रति कुछ ऋण चुकाना मात्र है।

ढाँचा बनाने के लिये निबन्ध

ज्वालामुखी—

ज्वालामुखी पहाड़ उसे कहते हैं जिसमें अग्नि से पिघले हुए पदार्थ बलपूर्वक ऊपर निकलते रहते हैं और एक गहरा मुँह बन जाता है, जिससे राख, धूँआँ और अन्य पिघले हुए पत्थर और धातुएँ निकलती रहती हैं। कुछ दिनों तक इस प्रकार के पदार्थों के निकलते रहने से वहाँ एक टीला सा बन जाता है, इसीलिये इसे पहाड़ कहते हैं। संसार में जहाँ तहाँ ऐसे स्थान वर्त्तमान हैं, जहाँ सर्वदा अथवा कभी-कभी पिघले हुए पत्थर, धातुएँ तथा कई प्रकार के वाष्पादि ऊपर निकलते रहते हैं। यह ज्वालामुखी पर्वत कभी-कभी समुद्र के अन्दर भी फूट निकलते हैं और अग्नि-वर्षा करते हैं।

किन्तु पृथ्वी के अन्दर से कैसे अग्नि निकल आती है? कहा जाता है कि पृथ्वी किसी समय सूर्य का एक भाग थी। उससे पृथक् होकर शनैः-शनैः यह ठण्ढी होने लगी और जीवों

के रहने योग्य बन गयी। किन्तु पृथ्वी का अन्तस्तल अभी तक अग्निरूप है, और कभी कभी जब पानी इन जलते हुए धातुओं के पास पहुँच जाता है, तब वाष्प की बड़ी मात्रा पैदा हो जाती है और यह भाप ऊपर निकलने का प्रयत्न करती है। भूचाल आदि भी बहुधा इसी कारण से आते हैं। पृथ्वी अथवा चट्टानें फट पड़ती हैं और वह भाप ऊपर निकलती है और जलते हुए पदार्थों को ऊपर फेंकती है। पिघला हुआ पत्थर भी जिसे 'लावा' कहते हैं, इधर-उधर बहकर इकट्ठा हो जाता है।

ज्वालामुखी पर्वत का फटना परमात्मा का भयंकर कोप है। ग्रामों के समूह और बड़े-बड़े नगर तक इसमें स्वाहा हो जाते हैं। पशुओं की कौन कहे, असंख्य मनुष्य जान से हाथ धो बैठते हैं और सहस्रों, बल्कि कभी-कभी लाखों मनुष्य बेघरबार हुए दर-दर मारे फिरते हैं। जापान देश में अधिकतर ज्वालामुखी पर्वत फूटते रहते हैं और भूचाल आते रहते हैं और बेचारे जापानी उसका शिकार होते रहते हैं। इससे बचने का कोई उपाय नहीं, सिवाय इसके कि देश छोड़ दें। किन्तु यह कैसे हो सकता है? यहाँ पर परमात्मा की महत्ता और मनुष्य की लघुता का अनुमान हो सकता है।

किन्तु परमात्मा की विचित्र रहस्यमयी सृष्टि में कोई बात हानि और लाभ से ख़ाली नहीं। ज्वालामुखी से लाभ भी है। इसका विशेष लाभ यह होता है कि यह चट्टानों को तोड़कर चूर कर देता है और वहाँ कुछ समय पश्चात् उप-

जाऊ पृथ्वी दिखायी देने लगती है। कभी-कभी उथले पानी में फटकर नये टापू बन जाते हैं।

श्रद्धालु हिन्दू ज्वालामुखी को देवी मानते हैं। कांगड़े में ज्वालामुखी देवी का विख्यात मन्दिर है, जहाँ प्रति वर्ष सहस्रों यात्री दर्शन के लिये जाते हैं। कहा जाता है कि एक बार सम्राट् अकबर ने ज्वालामुखी की लपटों को रोकने के लिये लोहे के तवे जड़वाये थे, किन्तु लपटें उन्हें तोड़कर निकलने लगीं। फलत उसे ज्वालामुखी देवी में श्रद्धा उत्पन्न हो गयी। यह मिथ्या भ्रम इसके विषय में लोगों में विद्यमान है। किन्तु हिन्दू तो प्रकृति के सुन्दर से-सुन्दर और भयङ्कर-से-भयङ्कर दृश्य में भी परमात्मा की विभूति देखते हैं। क्या आश्चर्य जो वह इसके पूजक बन गये!

इटली में एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी पहाड़ है जिसका नाम 'विसूवियस' है। इसके पास बहुत से ग्राम और नगर बसे हुए थे। अचानक एक बार वह फट पड़ा और 'लावे', राख और आग्नेय पदार्थों के बादल चारों ओर घिर गये। थोड़े ही समय में सैकड़ों ग्राम उजड़ गये। कई मास हुए, फिर यह अचानक फूट पड़ा और इसकी अग्नि-वर्षा की मार बहुत दूर तक हुई।

अभ्यास

१. 'नमक' और 'कमल' के दिये हुए ढाँचों को पूरे निबन्ध का रूप दो।

२. 'ज्वालामुखी' पर लिखे हुए निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

३. 'गंगाजी' के ढाँचे और निबन्ध को ध्यान में रखकर 'यमुना' पर ढाँचे सहित एक निबन्ध लिखो ।

४ किसी 'झरना विशेष', 'हीरा', 'कुनैन' और 'केले' पर ढाँचे तैयार करो ।

५ दिये हुए विषयों में से किसी तीन के ढाँचे तैयार करके निबन्ध लिखो ।

छठाँ अध्याय

१—वर्णनात्मक निबन्ध

क—प्राकृतिक दृश्य

दुर्भिक्ष का भयङ्कर दृश्य, बाढ़, भूचाल, प्लेग, इन्फ्लुएन्जा, आँधी, वर्षा, इन्द्रधनुष, एक पर्वतीय दृश्य, एक वर्षा का दिन, किसी पहाड़ी स्थान पर जाड़े का दिन, गङ्गा तट पर चाँदनी रात, ग्राम में अग्नि, अग्नि लगने का भयङ्कर दृश्य, सूर्योदय, ग्राम में सायङ्काल ।

उदाहरण के लिये ढाँचे

युक्तप्रान्त में बाढ़—

१ भूमिका और कारण —

मनुष्यों पर परमात्मा के प्रकोप का फल समझा जाता है, अधिक वर्षा अथवा बाँध के टूटने से ।

२. वर्णन —

गङ्गा और यमुना में ही बाढ़ का आना।

भारी सनसनी फैलना।

भयावनी घटनाएँ और हृदय को हिलानेवाले दृश्य।

३. जीवन-रक्षा और सहायता का काम —

कितनी ही सेवा-समितियों तथा व्यक्तियों द्वारा सहायता।

नावों पर चढ़कर मनुष्यों को बचाना, भोजन बाँटना, इत्यादि।

उदारता और त्याग के कितने ही उदाहरण।

४. परिणाम —

प्राणियों और सम्पत्ति की भारी क्षति।

वाणिज्य-व्यवसाय में बाधा।

किन्तु पृथ्वी का अधिक उपजाऊ हो जाना, यद्यपि उस समय फ़सल की क्षति।

५. विशेष कथन —

मनुष्य-जीवन कितना निस्सहाय और क्षणभगुर है।

इसके कारण मनुष्यों में उदारता, सहायता, सहानुभूति और त्याग दिखाने का अवसर।

उदाहरण के लिये ढाँचे का निबन्ध में रूपान्तर

चंद्रग्रहण—

१. भूमिका और महत्वः—

भारत, तिब्बत आदि में ग्रहण को बच्चा-बच्चा जानता है।

भारत में पर्व, गङ्गादि नदियों और सरोवरों में स्नान का माहात्म्य।

२. मिथ्या विश्वास—भारत में—

चन्द्र और सूर्य्य का राहु-केतु दानवों द्वारा ग्रस्त होना।

उन्हें छुड़ाने के लिये पूजा-पाठ, दान-पुण्य आदि किया जाना।

भंगियों का तुमुल ध्वनि करते हुए दान माँगना।

३ मिथ्या विश्वास—चीन में—

'साचामग्यु' नामक दैत्य द्वारा उनका निगला जाना।

उनके अन्य कृत्य।

४. वैज्ञानिक कारण—

पृथ्वी की छाया का चन्द्र पर आवरण—चन्द्र-ग्रहण।

चन्द्र का पृथ्वी और सूर्य की ठीक एक रेखा में आ जाना—सूर्य्य ग्रहण।

निबन्ध

कोई विरला ही मनुष्य होगा जिसने चन्द्र-ग्रहण और सूर्य्य-ग्रहण का नाम न सुना हो। इस देश में तो महीनों पूर्व लोग पञ्चांगों में देखकर मालूम कर लेते हैं कि ग्रहण कब होगा। ग्रहण के समय पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान के लिये लोग जाते हैं। अत ग्रहण-दिवस को भी एक पर्व मान लिया गया है।

भारत में ग्रहण के विषय में यह साधारण विश्वास है कि राहु और केतु नामक दैत्यों के चन्द्र और सूर्य्य को ग्रस्त

कर लेने से ग्रहण होता है। इसलिये कहा जाता है कि इस समय पूजा-पाठ और दान पुण्य का विधान है। इस दिन प्राय. सभी हिन्दू और बहुत से मुसलमान भी दान देते है। इस दिन भंगियों को दान का पात्र माना गया है। जिस समय भगियों की "धर्म्म करो!" "धर्म्म करो!" तुमुल ध्वनि और इसे सुनकर कुत्तों का भारी कोलाहल होता है, उस समय साधारणतया पता चल जाता है कि अब ग्रहण हो रहा है। स्त्री पुरुष अन्न-वस्त्र ले-लेकर घर के द्वार पर आ जाते है और दान देते हैं। एक बड़ा कोलाहल मच जाता है।

इस समय भोजनादि कोई काम नहीं किया जाता। यह परमात्मा की पूजा का समय माना जाता है। पक्वान्न, कहा जाता है, कि गह गया, अत. ग्रहण के पश्चात् ही लोग भोजनादि तैयार करते हैं। ग्रहण की समाप्ति पर स्नान किया जाता है, तब शुद्ध होकर भोजन करते है। यह दान, पूजा और पाठ इसलिये किया जाता है कि चन्द्र-सूर्य्य जो ससार के प्राण हैं, राहु-केतु के पंजे से मुक्त हो जायँ।

यह मिथ्या विश्वास केवल भारत में ही नहीं है। तिब्बत में भी ग्रहण के सम्बन्ध में विचित्र विचार हैं। वहाँ के निवासियों का विश्वास है कि 'साचामग्यु' नामक दैत्य चद्र को निगलना आरम्भ करता है। उस समय श्रद्धालु तिब्बतवासी शंख, घड़ियाल तथा नाना प्रकार के बाजे-गाजे बजाना आरम्भ करते हैं। साथ ही, अहिंसा-प्रेमी होते हुए भी बौद्ध लोग बैल, कुत्ते,

घोड़े आदि पशुओं को पीटना आरम्भ करते है। इसका कारण यह बतलाया जाता है कि वह दैत्य मनुष्यों के शब्द नहीं सुनता—उसे बाजे-गाजे और पशुओं का शब्द सुनाई देता है। वे अधिक शब्द इसलिये करते हैं कि जिससे शीघ्र ही वह चन्द्र अथवा सूर्य्य को अपने मुख में से निकाल दे।

इसके अतिरिक्त वहाँ लोग अपने इष्ट देवों को भी पूजते है। कहते हैं कि इसका फल अच्छा होता है। ग्राम के मन्दिरों में बड़े-बूढ़े लोग एकत्र होते हैं और ग्रहण तक मौन व्रत धारण किये रहते हैं। कहीं-कहीं पर उच्च स्वर से मन्दिरों में पूजा-पाठ भी होता है। इसके अतिरिक्त ज्यों-ज्यों ग्रहण बढ़ता जाता है, वैसे ही चिन्ता भी बढ़ती जाती है कि कहीं पूर्ण ग्रहण न हो जाय। पूर्ण-ग्रहण को अत्यन्त अशुभ मानते हैं। विद्वान् 'लामा' लोगों का विश्वास है कि वास्तव में 'साचामग्यु' चन्द्र को निगलता नहीं, वरन् उसका वस्त्र उसे ढक लेता है।

विश्वास कैसा ही हो, इससे एक लाभ तो अवश्य है। वह यह कि इसके बहाने निर्धनों को कुछ प्राप्ति हो जाती है और लोगों का मन भगवद्भजन में लग जाता है।

यह मिथ्या विश्वास बहुत शीघ्र नष्ट होता जा रहा है। विज्ञान-सूर्य का प्रकाश आज ससार के कोने-कोने में पहुँच रहा है और अज्ञानान्धकार भागता जाता है। चन्द्र-ग्रहण के विषय में वैज्ञानिक मत यह है कि पृथ्वी की छाया एक समय चद्र पर जा पड़ती है, उसी के आवरण को ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ

ज्योतिष में भी यही वैज्ञानिक कारण माना है; तभी तो वर्षों पूर्व ठीक समय ग्रहणादि का होना बतला देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यह मिथ्या विश्वास नहीं, लोगों की अलङ्कारमयी भाषा है, जिसका तात्पर्य आज लोग भूल गये हैं। वे कहते हैं कि पृथ्वी की छाया ही राहु-केतु आदि दानव हैं और उसका चन्द्र पर पड़ना ही उसे ग्रस्त करना है। कुछ भी हो, विज्ञान की उन्नति से सब मिथ्या विचार और कुरीतियाँ नष्ट होती जा रही हैं। थोड़े ही समय में भारत से यह विश्वास बिलकुल दूर हो जायगा।

ढाँचा बनाने के लिये निबन्ध

एक ग्राम में ग्रीष्म-दिवस—

सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से, इसी वर्ष, जून की पहिली तारीख़ को घूमता हुआ मैं एक ग्राम में अपने मित्र के यहाँ निकल गया। वह मेरे पुराने सहपाठी थे।

रात को पहुँचा था, कुछ थका हुआ भी था। भोजनादि करके नींद आ गयी। जब आँखें खुलीं, तब प्रातःकाल हो गया था। ४ बजे का समय होगा। तीव्र किन्तु ठण्डी हवा के झोंके मेरी चादर को उड़ाये लिये जा रहे थे। इस चादर की आवश्यकता तो न थी; परन्तु इसके बिना मच्छरों से रक्षा होना कठिन था। चादर को समेटा और तुरन्त ही शीतल वायु के मद भरे झोंकों की माधुरी आँखों में छा गयी। मैं फिर सो

गया। मेरे मित्र, जो आधी रात तक मच्छरों के काटने और गरमी के कारण छटपटा रहे थे, अब गाढ़ निद्रा में लीन थे।

साढ़े छः बजे के लगभग मेरी खाट के पास कुछ शब्द हुआ। मैं बैठ गया। देखा तो गाय-बैलों को लेकर ग्वाल जङ्गल को जा रहा था। अहा! ग्राम में वह कैसा सुहावना समय था! बछड़ों के गलों में हालों की टन-टन ध्वनि कैसी कर्णप्रिय मालूम होती थी! छोटी छोटी बछियाँ और बछड़े कैसे उछलते-कूदते फिरते थे। दूसरी ओर स्त्रियाँ सिर पर और बगल में घड़े और हाथ में डोल लिये कुओं की ओर पानी भरने जा रही थीं। पीछे छोटे-छोटे बच्चे रोते चले जाते थे। ग्राम में यही एक कुआँ था। चारों ओर कुएँ पर घड़े रखे थे। स्त्रियाँ पानी भरने के लिये आतुर थीं। कुएँ में पानी अधिक न था। कठिनता से डोल डूबता था। एक स्त्री कहती—"राम, इस वर्ष की जैसी गरमी तो कभी नहीं पड़ी।"—दूसरी कहती—"हाँ, मेरी याद में तो कभी नहीं पड़ी। चाची की याद में कभी पड़ी हो तो हो!' एक वृद्धा स्त्री बोल उठी,—"नहीं बेटी, गरमी तो बहुत पड़ी, पर ऐसी गरमी तो कभी नहीं देखी। देखो न, कुएँ तक में कीच हो गयी।"

मेरे लिये भी एक घड़ा गँदला पानी आ गया। शौचादि से निवृत्त होकर स्नान-पूजा की और एक सहदरी में, जिसके सामने एक फूस का उसारा था, लेट गया। मेरे मित्र मेरे लिये कुछ गुड़ और एक कटोरा मठा ले आये। अहा, कितना

स्वाद उस मठे में था! वास्तव में इसी मठे को वैद्यक में अमृत के नाम से पुकारा है।

पास ही आमों का एक बाग़ था। आम पकनेवाले थे। गाँव के कुछ लोग तो हल-बैल लेकर जमीन जोतने चले गये और कुछ उस पञ्चायती बाग़ में हुक्के ले लेकर जा बैठे। वहाँ गरमी की ख़ूब मीमांसा हो रही थी। कोई कहता—"भाई, अपना दुःख तो भरा जाय, इन वेचारे गूँगे पशुओं को क्या करें। जिस तालाब में भैंसें जाकर लोटती थीं, वह भी सूख गया। पीने तक को उन्हें पानी मिलता ही नहीं, दूध क्या ख़ाक दें!" दूसरा कहता—"बस जी, ईख तो सूख चली। अब हाथ पर हाथ धर के बैठना पड़ेगा। ज़मीन्दार को बाकी भी नहीं चुकेगी।" अब, दस बजे होंगे कि गाँव के सब पशु भी चरकर विश्राम लेने के लिये इस बाग़ में आ गये। यहाँ एक छोटी-सी कुइयाँ भी थी। इसका पानी बहुत खारा था। यही पानी इन पशुओं के भाग्य में आया। जो लोग हल-बैल लेकर गये थे, वे अभी तक नहीं लौटे थे। अहा! यही संसार के सच्चे सेवक हैं। एक चादर को सिर पर बाँधे हुए वह अभी तक ज़मीन जोत रहे हैं! धन्य है! तुम्हारे परिश्रम पर ही संसार का जीवन अवलम्बित है।

मैंने भोजन किया और कुछ देर तक अपने पुराने सह-पाठी के साथ बातें करता रहा। उन्होंने मेरे लिये छिड़काव भी कर दिया था, परन्तु गरमी में कमी कहाँ! कुछ नींद

आयी। फिर उचट गयी। कैसी गरम लू आती थी। बदन को काटती चली जाती थी। दरवाजा बन्द करो तो तमाम घुट! शरीर पसीने से नहा रहा था। हाथ का पखा अवश्य कुछ सहायता करता, किन्तु बहुत थोड़ी। अहा! कहाँ शहरों में इस समय ख़स की टट्टियों में की छन-छनकर, ठण्ढी हो-होकर वायु इच्छा न होते हुए भी मनुष्यों को लोरी दे-देकर सुलाती; और कहाँ गाँवों में गरम धूल से भरी लू सोने की इच्छा करते हुए भी मनुष्यों को नींद न आने देती थी।

सन्ध्या तक गरम हवा चलती रही। घर में से निकलने को जी न चाहता था। मुझे आज ही घर लौटना था। ६ बजे के लगभग मेरे मित्र ने मेरे लिये अच्छी बैलगाड़ी का प्रबन्ध कर दिया। मेरा नगर १० मील पर था। तीन घण्टे का मार्ग था। रात चाँदनी थी। अत आनन्द के साथ अपने मित्र से विदा होकर मैं गाडी में बैठकर नगर की ओर चल दिया।

अभ्यास

१. 'युक्तप्रान्त में बाढ़' के ढाँचे का पूरे निबन्ध में रूपान्तर करो।

२. दुर्भिक्ष का भयङ्कर दृश्य, प्लेग का प्रकोप, एक ग्राम में अग्नि का लगाना—इन विषयों के ढाँचे तैयार करो और उनमें से किसी दो पर निबन्ध लिखो।

३ गङ्गा तट पर चाँदनी, ग्राम में सायङ्काल और एक पर्वतीय दृश्य—इन विषयों पर निबन्ध लिखो।

४. 'एक ग्राम में ग्रीष्म दिवस' पर लिखे निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

सातवाँ अध्याय

ख—मनुष्य-कृत वस्तुएँ तथा संस्थाएँ

तुम्हारा स्कूल, देहली का कुतुब मीनार, आगरे का क़िला, अजमेर की दरगाह, ताजमहल, तुम्हारे नगर का पार्क, छापा-ख़ाना, ग्राम की पैंठ, गंगाजी के किनारे मेला, कोई भारतीय बाज़ार, हिन्दू विश्वविद्यालय, बिजली, बेतार की तारबर्क़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, क्लोरोफ़ार्म, भाप और उसके लाभ, हिन्दुओं का वर्णाश्रम-धर्म, गाँव की पञ्चायत, समाचार-पत्र, स्त्री-शिक्षा, वर्ण-व्यवस्था, स्त्रियों को सम्मति देने का अधिकार, दशहरा, मुहर्रम, एक हिन्दू की बारात, पदार्थ विज्ञान की उन्नति, किसी विशेष जाति के रीति-रिवाज, स्वदेशी और विदेशी खेल।

उदाहरण के लिये ढाँचा

पर्दे की प्रथा—

१. महत्व और वर्णन —

भारत में और मुसलमानी देशों में।

स्त्रियों का पुरुषों के सामने न आना, बुर्क़ा ओढना, घूँघट निकालना तथा आदमियों के साथ किसी काम में सम्मिलित न होना।

ऊँची और मध्यम श्रेणियों में।

२ इतिहास —

मुसलमानी रिवाज।

पुरानी हिन्दू पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख न होना।

बम्बई तथा मद्रास प्रान्तों में, जहाँ हिन्दू-सभ्यता अधिक है, पर्दे का न होना।

६०० वर्ष पूर्व स्त्रियों के स्वतन्त्रतापूर्वक पुरुषों में मिलने-जुलने से होनेवाली कुछ बुराइयों को दूर करने के लिये।

३ लाभ.—

स्वभाव से निर्बल और लज्जावती स्त्रियों की रक्षा का साधन।

पूर्णतया घरेलू, काम-काज में लगने के कारण अच्छा काम होना।

सामाजिक जीवन के झगडों और चिन्ताओं से बचना।

वस्त्रों में व्यय की बचत। भारत जैसे निर्धन देश में यह भी बडी बात है।

४ हानि —

स्त्री शिक्षा में बाधा।

स्वच्छ वायु के न मिलने से, चलना फिरना न होने से, शरीर का निर्बल हो जाना।

क्षयरोग से पीड़ित जनों में ७५ प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। स्त्रियों में भी पर्दा करनेवाली स्त्रियाँ अधिक हैं।

बच्चों का निर्बल होना।

उदाहरण के लिये ढाँचे का निबन्ध में रूपान्तर

समाचारपत्र—

१. परिचय —

प्रत्येक पढ़े-लिखे के लिये आवश्यक।

परिभाषा, सम्पादक और मैनेजर।

देशों में सम्बन्ध घनिष्ठ होने के कारण समाचारपत्रों की उन्नति।

२ उद्देश्य.—

समाज सम्बन्धी संवाद फैलाना, सुधार की पुष्टि करना अथवा न करना।

राजनीतिक विषयों को जनता तक पहुँचाना।

धर्म्म-प्रचार करना अथवा सम्प्रदाय-सुधार करना।

वाणिज्य सम्बन्धी बातों का प्रचार करना।

शिक्षा सम्बन्धी बातों के विषय में जनता को सूचित करना।

३. प्रकार —

दैनिक पत्र।

साप्ताहिक पत्र।

पाक्षिक पत्र।

मासिक पत्रिका।

अन्य।

४ लाभ —

देशों के और नगरों के अन्तर को घटा देना तथा 'कूप-मण्डूक' प्रवृत्ति को दूर करना।

देश, जाति तथा धर्म्म के कल्याण का सबको ध्यान होना।

दुःख, व्याधि आदि से पीडितों की सहायता।

विज्ञापन द्वारा वाणिज्य की उन्नति।

मनोरंजक।

५ हानि —

केवल सनसनी फैलानेवाले समाचारों को पढ़ने की रुचि।

झूठे विज्ञापनों के चक्र में फँस जाना।

बहुत से पत्रों का झगड़ों को बढ़ाना और अशान्ति उत्पन्न करना।

कठिन पुस्तकों के पढ़ने में रुचि की कमी।

निबन्ध

कहा जाता है कि यह समाचारपत्रों का युग है। जनता को शिक्षित करने के लिये समाचारपत्र इस युग का सर्वोत्तम साधन है। आजकल सब पढ़े-लिखे लोग, धनी हों अथवा निर्धन, ब्राह्मण हों अथवा शूद्र, पूँजीपति हों अथवा मज़दूर, समाचारपत्र पढ़ना आवश्यक समझते हैं; किन्तु समाचार-पत्र है क्या वस्तु? यह वह छपे हुए कागज़ हैं जो नियत समय पर प्रकाशित होकर पृथ्वी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समाचारों को ले जाते हैं। इनका एक 'सम्पादक' होता

है, जो समाचार एकत्र करके छापता है और उनपर टीका-टिप्पणी करता है। एक मैनेजर अथवा प्रबन्ध-कर्ता भी होता है, जिसके हाथ में इसके आय-व्यय का हिसाब होता है।

आजकल रेल, जहाज़ और हवाई जहाज़ों के आविष्कार के कारण ससार के देश एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं। एक स्थान की बातें दूसरे स्थानवालों को रुचिकर होती है। वास्तव में एक प्रकार से समस्त पृथ्वी ही एक देश बन गयी है। अत समाचारपत्रों की ऐसी दशा में उत्तरोत्तर उन्नति होना स्वाभाविक ही है।

समाचारपत्रों के उद्देश्य भिन्न होते हैं। किसी का उद्देश्य होता है कि वह समाज की सेवा करे। किन्तु समाज की सेवा कैसे हो सकती है? इसी प्रकार कि समाज में जो कुरीतियाँ आ गयी हैं, जो कुप्रथाएँ फैलती जाती हैं, उनके सुधार के साधन समाज के सामने उपस्थित करे। जीवित रहने के लिये कभी-कभी समाज को कितनी ही नयी बातें धारण करनी पडती हैं, इनको अपनाने के लिये समाज को प्रेरणा करें।

आजकल बहुत से पत्रों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक हो रहा है। समाचारपत्र शासन-सम्बंधी बहुत-सी बातों की सूचना जनता को देते रहते हैं। राज्य के क़ानून पर उचित विचार करते हैं। कभी शासकों को उसके उचित संशोधन का परामर्श देते हैं, कभी नयी व्यवस्था की आवश्यकता बतलाते हैं। अपना कर्त्तव्य-पालन न करनेवाले अधिकारियों के विषय में टिप्पणियाँ लिखते हैं।

इसी प्रकार धर्म्म का प्रचार करने के लिये बहुत से समाचारपत्र निकाले जाते हे। उनमें अधिकतर ऐसी ही सूचनाएँ होती हैं जो धर्म्म-प्रचार से सम्बन्ध रखनेवाली हों। धर्म्म के तत्वो का विवेचन भी रहता है और शङ्काओं का समाधान भी।

बहुत से साम्प्रदायिक पत्र भी है। अपने-अपने सम्प्रदाय की उन्नति के लिये यह पत्र निकाले जाते हैं। सम्प्रदाय को कैसे सुसघटित किया जाय, कैसे उसकी बुराइयाँ दूर की जायँ, सम्प्रदायवालों की सहायता किस प्रकार की जाय, इन्हीं बातों का इन पत्रों में विचार रहता है।

कुछ पत्र वाणिज्य-सम्बन्धी बातों पर विचार करने के लिये और इस विषय का उचित ज्ञान फैलाने के लिये होते हैं। कहाँ पर कृषि की क्या दशा है, किस चीज का कहाँ क्या भाव है, इत्यादि बातों की इन पत्रों में सूचना होती है।

बहुत से पत्र शिक्षा के प्रश्न को लिये हुए होते हैं। किन सिद्धान्तों पर शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ-कहाँ और क्या-क्या शिक्षा के नये सिद्धान्तों के नये प्रयोग हो रहे हे, इत्यादि बातों की सूचना और शिक्षा-सम्बन्धी अन्य विषयों की मीमांसा इन पत्रों में रहती है।

समाचारपत्रों के कई प्रकार है। कोई प्रति दिन निकलते हैं, कोई दिन में दो बार, कोई प्रति सप्ताह, कोई सप्ताह में दो बार, कोई मास में और कोई मास में दो बार। कोई-कोई

पत्र तीन मास, छ मास और वर्ष भर में भी निकलते हैं। एक मास और इससे अधिक काल के अनन्तर से निकलनेवाले पत्र, पत्रिकाएँ कहलाती है। जो पत्र प्रतिदिन निकलते हैं वे दैनिक, जो सप्ताह में दो वार वे अर्द्ध-साप्ताहिक, जो सप्ताह में एक वार वे साप्ताहिक और जो पक्ष में वे पाक्षिक समाचारपत्र कहलाते हैं। मास में एक वार निकलनेवाली पत्रिका मासिक-पत्रिका कहलाती है।

समाचारों को पढकर दूर-दूर के देशों का ज्ञान, वहाँ के रहनेवालों के साथ सहानुभूति और समय पड़ने पर उनकी सहायता करने की इच्छा पैदा होती है। अकेलापन अथवा 'कूप-मण्डूक' प्रवृत्ति समाचारपत्र पढ़ने से जाती रहती है। समस्त संसार अपना ही देश ज्ञात होने लगता है।

देश की क्या क्या आवश्यकताएँ है, देश-वासियों के क्या कर्तव्य हैं, अपने धर्म्म की कैसी दशा है, धर्म्म के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्त्तव्य है और दूसरे देशवासी अपने देश और धर्म्म की सेवा में क्या-क्या त्याग कर रहे है, इन सब बातों का बोध समाचारपत्रों को पढने से होता है।

यदि किसी स्थान में अथवा किसी देश में कोई दुर्भिक्ष पड़ जाय, अथवा किसी अन्य व्याधि द्वारा लोग पीडित हो जायँ तो समाचारपत्रों में इसकी सूचना होती है, उनके लिये अपीलें छपती है और इस प्रकार से उनकी सहायता हो जाती है।

प्रत्येक पत्र-पत्रिका में विज्ञापन रहते हैं। यदि विज्ञापन किसी पत्र में न छपे तो किसी उद्योग के विषय में, किसी नयी तैयार की हुई वस्तु के विषय में, लाभकारी औषधियों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के विषय में कुछ भी ज्ञात न हो। फलत कोई वाणिज्य-व्यवसाय, कोई उद्योग-धन्धा इतना सफल न हो, जितना कि अब है।

बहुत से पत्रों में कुछ साहित्यिक लेख, कुछ गल्पें और बहुत-सी मनोरंजन की सामग्री दी हुई होती है। इन्हें पढ़कर पाठक कुछ समय के लिये खुश हो जाते हैं और उनका जी लग जाता है। इस प्रकार से इसका मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।

किन्तु दुर्भाग्य से समाचारपत्र के सम्पादकों को सनसनी फैलानेवाले समाचार देने और पाठकों को इन्हें पढ़ने की आदत पड़ गयी है। बहुत से पाठक तो ऐसे समाचार पढ़ने के लिये ही समाचारपत्रों के ग्राहक बनते हैं।

इसके अतिरिक्त इन्हीं समाचारपत्रों के कारण सहस्रों आदमी धोखेबाज विज्ञापन दाताओं के चक्र में पड़ जाते हैं और अपना रुपया लुटाते हैं। दुर्भाग्य से आजकल पत्रों में झूठे विज्ञापनों की ही बहुतायत रहती है। कुछ सच्चे विज्ञापन भी रहते हैं। किन्तु सच्चे और झूठे विज्ञापनों में पहिचान कौन कर सकता है।

सबसे बड़ी हानि जो समाचारपत्र करते हैं, वह यह है

कि ये आपस के झगड़े बढ़ाते हैं। मुसलमानों के पत्र इस्लाम का प्रचार और हिन्दुओं का विरोध तथा हिन्दुओं के पत्र हिन्दू-हितों की ही रक्षा और मुसलमानों के हितों का घात करना ही अपने कर्तव्य का मुख्यांश समझे रहते हैं। कुछ पत्र अंग्रेज़ों और भारतीयों में द्रोह बढ़ाते हैं और कुछ देशों में अशान्ति पैदा कर देते हैं। हाल ही में श्री बैल्डविन, इंग्लैण्ड के भूतपूर्व प्रधान-मंत्री ने ६६ वें समाचारपत्र सम्मेलन में कहा था—"अमेरिका निवासियों और अंग्रेज़ों में कोई अन्तर नहीं। उनके हृदय पवित्र हैं। इन देशों में दो ही झगडों के मूल हैं, एक तो राजनीतिक नेता और दूसरे समाचारपत्र।"

इसके अतिरिक्त समाचारपत्रों के पढ़ने से पाठकों में कठिन पुस्तकों को पढ़ने की रुचि नहीं रहती। बहुत सा समय वे समाचारपत्रों की आवश्यक बातों के पढ़ने में बिता देते हैं और जब कभी कठिन पुस्तकें पढ़ने का ध्यान आता है, तब इच्छा नहीं रहती। इसीसे कुछ विचारकों का मत है कि विद्यार्थियों को अधिक समाचारपत्र न पढ़ने चाहिएँ।

ढाँचे में रूपान्तर करने के लिये निबन्ध

बाल-विवाह—

कदाचित् संसार भर में भारत ही ऐसा अभागा देश है, जहाँ पर बाल-विवाह जैसी प्राण-घातक प्रथा प्रचलित है। कहते हैं कि प्राचीन काल में यह प्रथा भारत में न थी। होती

भी कैसे, जब २५ वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य्य धारण करके गुरु-कुल में रहकर विद्याभ्यास करने का विधान था! स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी और स्वयं तो युवतियाँ ही वरण कर सकती हैं, न कि कन्याएँ। किन्तु आज! आज, छोटे-छोटे बच्चों का विवाह करना धर्म्म समझा जाता है और बड़ी अवस्था में अधर्म्म। १०—११ वर्ष की कन्याओं का विवाह तो अधिकतर होता है। परन्तु इससे कम अवस्था में भी विवाह हो जाता है। कभी-कभी तो जन्म लेते ही विवाह का गँठ-जोड़ा बँध जाता है।

किन्तु यह बाल विवाह की प्रथा भारत में कब से चली और क्यों चली? कहा जाता है कि मुसलमान आक्रमणकारियों के हाथों यहाँ की हिन्दू-कन्याओं की मान-मर्यादा रक्षित न थी। ऐसी अवस्था में हिन्दुओं ने यही उचित समझा कि उनका विवाह उनकी किशोर-अवस्था में ही कर दिया जाय, जिसमें मुसलमान लोग उन्हें ले जाकर अपनी पत्नी न बनावें। कहा जाता है कि इसी कारण पं० काशीनाथ ने 'शीघ्र बोध' में बाल विवाह की महिमा वर्णित की थी।

किन्तु इसका केवल यही उपर्युक्त कारण नहीं। हिन्दुओं में सन्तानोत्पत्ति एक धार्मिक कृत्य है। पुत्र पिता का श्राद्ध तर्पण करनेवाला है। पुत्र के पश्चात् यह कार्य्य पौत्र करता है अतः पौत्र का होना उतना ही इष्ट है जितना पुत्र का। मृत्यु के समय शव पर पौत्र के द्वारा चँवर का डुलाया जाना

अत्यन्त पुण्यकर कार्य माना जाता है। कदाचित् इसीलिये हिन्दुओं के मन में यह इच्छा हुई और यह स्वाभाविक भी है कि उनके बच्चे का शीघ्र विवाह हो जिससे वह शीघ्र ही पोत्रों का मुख देख सकें, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, कब समाप्त हो जाय !

तीसरा कारण इसका यह भी है कि हिन्दू लोगों में मिश्रित कुटुम्ब की प्रथा है। घर में चाचा, ताऊ, भाई-भतीजे और उनका परिवार एक ही साथ रहते हैं। उन सबकी सम्पत्ति और पूँजी एक होती है। यदि उनमें से एक के बच्चे का विवाह हुआ और उसे २०००) के आभूषण मिले तो दूसरे बच्चों के माता-पिता की यह स्वाभाविक ही इच्छा होगी कि हम भी शीघ्र अपने बच्चों का विवाह कर दें जिससे हमारे भाग्य में भी २०००) के आभूषण आ जायँ, कौन जानता है कि कल क्या हो !

बाल-विवाह का चौथा कारण माता-पिताओं की मूर्खता है। वे यह नहीं समझ सकते कि इससे हानि क्या है, अत केवल विनोद के लिये और तुच्छ लाभ के लिये वे अपने बच्चों को निर्बलता, व्याधि और शीघ्र मृत्यु की जंजीर में बाँध देते हैं। उन्हें अपने बच्चों को विद्वान् और विदुषी बनाने की इच्छा नहीं, क्योंकि यदि यह इच्छा होती तो इस मार्ग में बाधक बाल-विवाह वह कभी न करते।

पाँचवाँ कारण यह भी है कि माता-पिता अपनी सतान का और विशेषकर अपनी पुत्री का विवाह करना अपना

कर्त्तव्य समझते हैं। यह उनके सिर पर एक बड़े भार के रूप में रखा रहता है। अत जितना शीघ्र वह अपने इस ऋण के चुकाने से—कन्यादान करने से मुक्त हो जायँ, उतना ही अच्छा, क्योंकि जीवन का इस समय कोई भरोसा नहीं। जिस समय तक मिथ्या कर्त्तव्य-पालन का यह भ्रान्तिकारक विचार दूर न होगा, तब तक बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित ही रहेगी।

बाल-विवाह से होनेवाली हानियों को सब कोई जानते हैं। इसका सब से बुरा परिणाम विवाहित बच्चों के स्वास्थ्य पर पडता है। कच्ची अवस्था में ही जिनके ऊपर गृहस्थी का भार आ गया, जिनका ब्रह्मचर्य्य खण्डित होना आरम्भ हो गया, वह क्या निरोग रहेंगे और क्या चिरायु होंगे?

इसके अतिरिक्त उनके बच्चों पर भी इसका बुरा परिणाम होता है। परिपक्व अवस्था को न प्राप्त हुए बच्चों के बच्चे क्या वीर पुरुष हो सकते हैं? फल यह होता है कि उनमें जीवन-शक्ति निर्बल रहती है और वे छोटी से-छोटी बीमारी का ग्रास बन जाते हैं। आज भारतवर्ष में बच्चों की मृत्यु की औसत सबसे अधिक है। प्रति ४ बच्चों में, एक वर्ष के भीतर ही एक बच्चा मर जाता है।

बाल-विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा में बाधा पडती है। गृहस्थी का बोझ पडते ही लड़कों की शिक्षा बन्द हो जाती है और उनकी रुचि भी इस ओर नहीं रह सकती।

कन्याओं की शिक्षा का बन्द होना तो आवश्यक ही है, क्योंकि विवाह के पश्चात् उन्हें पर्दे में रहना पड़ता है और पर्दे में रह कर विद्या-लाभ कहाँ?

इसी बाल विवाह का दुष्परिणाम है कि यहाँ बाल-विधवाओं की सख्या कितनी भयंकर है। एक-एक और दो-दो वर्ष की अवस्था की बाल-विधवाएँ विद्यमान है। इन विधवाओ का जीवन कितना दु खमय है और कितनी ही अपने धर्म का पालन भी नहीं कर सकतीं!

किन्तु यह सन्तोष की बात है कि चारों ओर से अब बाल-विवाह को रोकने की आवाज़ आ रही है। इस ओर आर्य्य-समाज का प्रचार सराहनीय है। दूसरे भी सुधारक समाज स्थापित हैं और अब स्वय हिन्दू-सभा में भी इसका घोर विरोध हो रहा है।

युक्तप्रान्त और राजपूताना के तथा पंजाब के शिक्षा बोर्ड ने अपना यह नियम बना लिया है कि कोई विवाहित लड़का किसी स्कूल से हाई-स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसका अच्छा प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

आजकल एक बिल बड़ी व्यवस्थापिका-सभा में भी इसी विषय के विचार के लिये उपस्थित है। आशा है, यह शीघ्र ही पास हो जायगा और क़ानून से बाल-विवाह रोक दिया जायगा। कई रियासतों में, जैसे मैसूर और बड़ौदा में, बाल-विवाह के विरुद्ध क़ानून पास हो चुका है।

अभ्यास

१. 'बाल विवाह' पर लिखे हुए निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

२. 'पर्दे की प्रथा पर दिये हुए ढाँचे को पूरे निबन्ध का रूप दो।

३. 'तुम्हारा स्कूल', 'बिजली' तथा 'दशहरा' पर ढाँचे सहित निबन्ध लिखो।

४. 'पदार्थ विज्ञान की उन्नति', 'हिन्दुस्थानी मेला' और 'देशी-विदेशी खेल'—इन विषयों के ढाँचे तैयार करो।

५. दिये हुए विषयों में से किसी दो विषयों के ढाँचे तैयार करो और निबन्ध लिखो।

आठवाँ अध्याय

ग—प्राणी

मुसलमान, ईसाई, मराठा, सिक्ख, राजपूत, पारसी, बंगाली, जापानी, अंग्रेज़, चिट्ठीरसाँ, एक गाँव का जुलाहा, पुलिसमैन, भारतीय किसान, सँपेरा, बाज़ीगर, हिन्दू-साधु, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सिंह, मैना, तोता, मोर, मधुमक्खी, चींटी, रेशम का कीड़ा, सर्प।

उदाहरण के लिये ढाँचा

हिन्दू—

१. परिभाषा.—

फ़ारसी का शब्द, इसका अर्थ चोर।

आजकल जो भारत के धर्मों को मानते हैं, वे हिन्दू है।

२ जाति का इतिहास'—

आर्यों के भारत में आने से आरम्भ, द्रविडादि से मिलना।

समय-समय पर धर्म्म में परिवर्तन, अन्य जातियों का समावेश।

३ धार्मिक और सामाजिक जीवन —

बहुत से सम्प्रदाय, मुख्यत वेदों को माननेवाले।

अहिंसा धर्म्म का प्राण। गो-पूजा। चोटी और यज्ञोपवीत।

आत्मिक उन्नति, प्रधान लक्ष्य।

४. गुण.—

सहनशील, नम्र और दयालु।

स्त्रियाँ विशेषरूप से ,आत्म-संचय करनेवाली और साध्वी।

लोग इस ससार को तुच्छ समझते हैं।

५. दोष —

वचपन का विवाह, अस्पृश्यता, पर्दे की प्रथा, आदि।

मन्दिरों की बुराइयाँ।

संघटन की कमी।

रुपया जोड़ना।

उदाहरण के लिये ढाँचे का निबन्ध में रूपान्तर

नागा-सम्प्रदाय—

१. महत्व:—

रहन-सहन में अद्वितीय।

२. उदय और जीवन —

ब्रह्मचर्य्य पर विशेष बल तथा संसार से मोह-त्याग।

सम्प्रदाय की विशेषताएँ।

श्रद्धालु हिन्दुओं का नागों को दान में पुत्र देना।

३. रहन-सहन तथा भरण-पोषण —

वस्त्र नहीं पहिनते।

हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर नागों के जत्थे।

मठों के मालिक हैं और हिन्दुओं के दान पर रहते हैं।

४ गुण —

ब्रह्मचर्य्य-व्रत का पालन।

योग की आसनादि क्रियाओं का साधन।

इस संसार से विरक्ति और ईश्वर में लय लगाना।

५. दोष —

शीतादि से बचने के लिये चरस, गाँजे और सुल्फ़े का सेवन।

संख्या-वृद्धि के लिये कभी बच्चों को भगा ले जाना, तथा इनमें से बहुतों का भोले-भाले हिन्दुओं को ठगना।

निबन्ध

वैसे तो संसार में सैकड़ों सम्प्रदाय हैं, किन्तु नागा-सम्प्रदाय अपनी अपूर्व विशेषता रखता है। कदाचित् संसार का कोई सम्प्रदाय सिद्धान्तों और रहन-सहन में इसकी तुलना नहीं कर सकता। लोग आश्चर्य्य करते है कि जीवन और वृद्धि का कुछ साधन न होते हुए भी यह सम्प्रदाय कैसे जीवित चला जाता है। किन्तु वह जीवित है और भारतीय दृष्टि-कोण का एक विचित्र उदाहरण है।

इस देश में ब्रह्मचर्य्य पर प्राचीन काल में अधिक बल दिया जाता था और अब भी दिया जाता है, किन्तु केवल मौखिक। पारमार्थिक जीवन-निर्माण ही मुख्य ध्येय समझा जाता था और इस संसार की वस्तुओं को घृणा की दृष्टि से देखने की प्रथा-सी पड़ गयी थी। मालूम होता है, ऐसे समय में इस नागा-सम्प्रदाय का उदय हुआ।

इस सम्प्रदाय की दो विशेपताएँ हैं, एक तो ब्रह्मचर्य्य-धारण और दूसरे सांसारिक वस्तुओं से मोह का परित्याग। इस सम्प्रदाय के साधु विवाह नहीं करते, गृहस्थ नहीं होते और वस्त्रादि का, शीत से रक्षा के लिये न कि सभ्यता के विचार से, शरीर पर प्रयोग करते हैं। सारांश, यह संसार से विरक्त

साधुओं का सम्प्रदाय है और इस सम्प्रदाय की जीवन-भित्ति ब्रह्मचर्य्य पर स्थित है।

फिर प्रश्न होता है कि इस सम्प्रदाय की वृद्धि कैसे होती है? वृद्धि के लिये उत्तरदायी श्रद्धालु हिन्दू हैं। कितने ही युवक ससार के मोह को छोडकर इनमें आ मिलते हैं और कितने ही श्रद्धालु हिन्दू अपने पुत्रों को इनकी भेंट करते हैं। यह कैसे? नागे गुरु जहाँ-तहाँ विचरण किया करते हैं और जहाँ जाते हैं, अपनी धूनी जमाकर बैठ जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनके बहुत से मठ भी हैं, जहाँ इनके झुण्ड-के-झुण्ड रहते हैं। इन स्थानों पर हिन्दू लोग इनके पास आते हैं और उनमें से बहुत से नि सन्तान स्त्री-पुरुष इनसे सन्तान याचना करते हैं, और यह वचन देकर कि यदि मेरे इतने पुत्र हुए तो एक आपकी सेवा में छोड दूँगा, चले जाते हैं। इस प्रकार से बच्चों के मिलने पर इनकी सम्प्रदाय-वृद्धि होती है।

यह लोग वस्त्र नहीं पहनते। वर्षा हो या शीत, सदा नग्न ही रहते हैं, यहाँ तक कि धोती तक का भी प्रयोग नहीं करते। यह बहुधा अपनी जननेन्द्रिय में एक मुद्रा डाले रहते हैं जो इनके ब्रह्मचर्य्य व्रत की परिचायक है।

यदि इन्हें देखना हो तो हरिद्वार में कुम्भ के मेले पर देखना चाहिए। बलिष्ठ नागे अखाड़े बनाकर सहस्रों की संख्या में निकलते हैं। इनके महन्त चाँदी के हौदेवाले हाथियों पर चढ़े बाजे-गाजे के साथ निकलते हैं। पताका

और झण्डे इनके अखाड़ों को सुशोभित करते हैं। स्वय नागे अखाड़ों में पटा, तलवार, वल्लम आदि के खेल खेलते ह और अपने वल तथा अभ्यास का परिचय देते हैं। यह लोग बड़े हठी होते हैं और प्राय सदा वैरागियों (साधुओं का एक अन्य सम्प्रदाय) से इनका झगड़ा होता है।

नागों के पास कितने ही मठ हैं, जहाँ इनके महन्त रहते हैं। इन मठों के नाम बहुत-सी जागीरें होती हैं, जिनसे इन लोगों का उदरपोषण होता है। इसके अतिरिक्त यह घूम घूमकर अपना 'कर' वसूल करते हैं।

वास्तव में इस प्रकार से जीवन-व्यतीत करना अर्वाचीन समय में बड़ी कठिन वात है। यह ब्रह्मचर्य पर इतना बल देते हैं, जब कि चारों ओर ब्रह्मचर्य्य का ह्रास ही देखने में आता है। इसके अतिरिक्त यह योग के आसनों का भी अभ्यास करते ह, जिससे ऋषियों की योग की शिक्षा के कितने ही अंशों को कार्य्यात्मक रीति से इन्होंने अपना रखा है।

इस संसार के चक्र में फॅसकर परमात्मा के स्मरण में लीन रहना भी इनका एक गुण है। जव कि आजकल अधिकतर मनुष्य संसार के कीचड़ में फँस रहे है, इनका ससार में रहकर भी पृथक् रहना सराहनीय है।

किन्तु इनमें आजकल कितने ही अवगुण आ गये हैं। शीतादि से अपने तप द्वारा वचने के स्थान में यह लोग सुलफे, चरस और गॉजे का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार अपने

शरीर को निर्बल तथा प्रवृत्तियों को तामसिक बना लेते हैं।

अपने सम्प्रदाय को बढ़ाने के लिये यह कभी-कभी बच्चों को चुरा लेते हैं और उन्हें भगा ले जाते हैं। इस प्रकार के कितने ही उदाहरण देखने में आये हैं। सन्तान देने के बहाने कभी-कभी भीषण पाप भी कर बैठते हैं, तथा उदरपोषण के लिये यह कितना ही झूठ बोलकर, भोले-भाले हिन्दुओं का धन हरते हैं।

ढाँचे में परिणत करने के लिये निबन्ध

पुलिसमैन—

पढ़े-लिखे हों अथवा मूर्ख, धनी हों अथवा निर्धन, पुलिस शब्द में डराने का जादू सबके लिये भरा हुआ है। पुलिस विभाग वह शासन-विभाग है, जिसका काम प्रजा के जीवन और धन की रक्षा करना है और देश में शान्ति-स्थापना करना इसका मुख्य ध्येय है। पुलिसमैन इस विभाग का सबसे छोटा अधिकारी है।

पुलिसमैन के कर्त्तव्य अनेक हैं। कभी सड़क के चौराहों पर खड़ा होकर आने जानेवाली गाड़ी मोटरों की सुव्यवस्था रखता है। उन्हें सुचारु-रूप से चलाता है और यदि कोई आज्ञा न माने तो उसकी रिपोर्ट करता है। कभी बाजारों, सड़कों और नगर में घूमकर शान्ति स्थापन का काम करता है और शान्ति भंग करने वालों की रिपोर्ट करता है, और कभी रात्रि में

मुहल्लों में 'गश्त' लगाकर सोती हुई प्रजा की चोरों और डकैतों से रक्षा करता है।

पुलिसमैन का कर्त्तव्य अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण और जोखिम से भरा हुआ है। प्रति समय उसे जान पर खेलकर काम करना होता है। बड़े-बड़े खूनियों को पकड़ना, चोरों को गिरफ्तार करना, डकैतों का सामना करना साधारण काम नहीं है। वास्तव में पुलिसमैन प्रत्येक राज्य के हाथ-पाँव हैं।

पुलिसमैन की वर्दी (वस्त्र) सब प्रान्तों में एक सी नहीं होती। उसका निकर, कमीज़ और पट्टियाँ खाकी रंग की होती हैं। किन्तु सिर के साफ़ों का रंग भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न होता है। युक्तप्रान्त में साफ़ा लाल रंग का होता है, पञ्जाब में ख़ाकी और नीला। इसी प्रकार से सब प्रान्तों में अन्तर हो जाता है। पुलिसमैन के पास एक डण्डा उसकी कमर की पेटी में बँधा होता है और एक सीटी भी रहती है।

दुर्भाग्य से पुलिस का विभाग साधारण-रूप से और पुलिस के सिपाही विशेष-रूप से बदनाम हैं। सिपाहियों का वेतन कम होता है, अब तो पहले से कुछ बढ़ गया है। ऐसे थोड़े वेतन में ऐसा उत्तरदायित्वपूर्ण काम करनेवाला कैसे गुज़र कर सकता है? इसके अतिरिक्त यह सिपाही बहुधा बेपढ़े-लिखे लोग रहते थे, जिनका नैतिक आचरण विश्वसनीय नहीं हो सकता। किन्तु अब पढ़े-लिखे लोग भी कांस्टेबल बनते जा रहे हैं।

अत इन लोगों में सुधार दो ही प्रकार से हो सकता है, एक तो उनका वेतन बढ़ जाय जिससे उन्हें अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिये कोई आर्थिक चिन्ता न रहे और दूसरे पढ़े-लिखे लोगों का लेना। पञ्जाब-प्रान्त में तो कई एन्ट्रेन्स पास लोग भी कान्स्टेबिल बन गये हैं। यदि इस ओर विभाग ध्यान दे तो इसके नीचे का भाग बदनामी के कलङ्क से शीघ्र ही मुक्त हो जाय।

अभ्यास

१. उपर्युक्त 'पुलिसमेन' के निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

२. 'नागा-सम्प्रदाय' पर लिखे हुए निबन्ध और ढाँचे को ध्यान में रखकर अंग्रेज, मारवाड़ी, जापानी और सिक्खों पर निबन्ध लिखो।

३. 'हिन्दू' पर तैयार किये हुए ढाँचे को पूरे निबन्ध में परिणत करो।

४. 'रेशम का कीड़ा' और 'मधुमक्खी' पर ढाँचे सहित निबन्ध लिखो।

५ 'पुलिसमैन' पर निबन्ध को ध्यान में रखकर, 'चिट्ठीरसाँ' और 'किसान' पर निबन्ध लिखो।

नवाँ अध्याय

१—विवर्णात्मक निवन्ध

अ—ऐतिहासिक तथा घटनात्मक

विवर्णात्मक निवन्ध (अ) ऐतिहासिक तथा घटनात्मक, (क) जीवन-सम्बन्धी और (ख) वास्तविक अथवा काल्पनिक अनुभवात्मक होते हैं।

(अ)

प्रथम रेलवे का भारत में चलना, सन् १९११ का दर्बार, संसार से गुलाम-प्रथा का टूटना, सन् १८५७ का विद्रोह, रेल की कोई दुर्घटना, अपने नगर की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव, एक हॉकी-मैच, अपने नगर के पुस्तकालय का शिलान्यासोत्सव, इस वर्ष का स्कूल का टूर्नामेंट, रामायण काल का दिग्दर्शन और वर्त्तमान समय, पास के ग्राम में एक भीषण डकैती।

उदाहरण के लिये ढाँचा

भारत वर्तमान समय में और प्राचीन समय में—

१ भूमिका —

सारी पृथ्वी पर भारी परिवर्तन। भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और शिक्षा-सम्बन्धी अवस्था।

२ राजनीतिक:—

पहले एक आदमी का राज्य था, अब एक प्रकार से प्रजा

का राज्य है। अब क़ानून निश्चित है, पहले राजा की मर्ज़ी ही क़ानून थी। अब स्थान-स्थान पर कचहरियाँ खुल गयी हैं, पहले कचहरियाँ बहुत कम थीं।

३. सामाजिक —

अब जातियाँ आपस में ईर्ष्या और द्रोह रखती हैं, पहले ऐसा न था। आजकल स्त्रियों और शूद्रों को बराबर अधिकार दिये जा रहे हैं, पहले इनका स्थान बहुत नीचा था।

आजकल सती, शिशु-वध आदि कुप्रथाएँ, जो प्राचीन समय में प्रचलित थीं, बन्द हैं।

आजकल स्त्री-शिक्षा की वृद्धि हो रही है और मजदूरों में संघटन होता जा रहा है तथा छूआ-छूत घटती जा रही है।

४ आर्थिक —

प्राचीन काल में अनाज उत्पन्न करने के साधन साधारण थे, पर अब उनमें बहुत उन्नति हो गयी है।

आजकल लोगों के पास रुपया बहुत बढ़ गया है, पहले इतना न था। रुपये का मूल्य आजकल बहुत कम है, पहले अधिक था।

५ वैज्ञानिक —

इसे विज्ञान का युग कहा जाता है। विज्ञान का अध्ययन बढ़ता जा रहा है। कला-कौशल, मिलें और कारखाने दिन-पर-दिन बढ़ते जा रहे हैं, पहले इनका नाम भी न था।

आजकल तो रोशनी, खाना, कलें, पखे, सभी में बिजली लगती है। समाचार बात-की-बात में बेतार की तारबर्की द्वारा संसार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाते हैं। रेल, जहाज़ और हवाई जहाज़ों ने स्थान का अन्तर बिल्कुल उड़ा दिया। प्राचीन समय में यह बातें न थीं। चीरफाड़ में 'ऐक्सरेज़' द्वारा कितनी सहायता मिलती है! यह पहले कहाँ थी।

६. शिक्षा-सम्बन्धी —

आजकल शिक्षा में बड़ा व्यय होता है, फीस बहुत अधिक है। प्राचीन काल में शिक्षा निःशुल्क थी।

प्राचीन काल में विद्या इतनी अधिक न थी, जितनी आज-कल है। प्राचीन काल में धार्मिक शिक्षा का प्रबन्ध था, आज-कल धार्मिक शिक्षा घटती जाती है।

७. अन्तिम शब्द —

यद्यपि कुछ बातों में वर्तमान समय उन्नति कर गया है, परन्तु दूसरी बातों में यह पिछड़ भी गया है।

उदाहरण के लिये ढाँचा और निबन्ध

हमारे स्कूल की रजत-जयन्ती—

१ प्रयोजन और परिभाषा —

सफल-जीवन के २५ वर्ष की समाप्ति पर आनन्दोत्सव।

२ खेल —

मैच, बालचरों के खेल भाग-दौड और कूद-फाँद।

३ सभाएँ —

भूतपूर्व विद्यार्थी सम्मेलन।

सभा—स्कूल की रिपोर्ट, एक नाटक का दृश्य, गायन, पारितोषिक-वितरण, बच्चों में मिठाई बँटना तथा सभापति का अन्तिम भाषण।

निबन्ध

आज प्रातःकाल ही से स्कूल में चहल-पहल है। सम्पूर्ण स्कूल का भवन और द्वार रंग बिरंगे कागजों की झंडियों से सजे हुए हैं। स्थान स्थान पर अभिभावक 'मोटो' और 'स्वागत' शोभा को बढ़ा रहे हैं। स्कूल भवन के सामने एक विशाल सभा-मण्डप तैयार हुआ है। अभी तक इसके द्वार पर फूल-पत्तियाँ लगायी जा रही हैं। द्वार पर कागज के बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है—रजत-जयन्ती।

योगिता बढ़ावे, तो इससे बढ़कर उस संस्था को चलानेवालों के लिये हर्ष की बात और क्या हो सकती है? आज इस संस्था को जन्म लिये पूरे पचीस वर्ष समाप्त हो गये। इसीलिये आज यह हर्ष समारोह है, चारों ओर कोलाहल है और यह सारी सजावट है।

अब प्रात काल के ७ बजे हैं। विद्यार्थी-समुदाय एकत्र हो गया। अध्यापकगण भी आ पहुँचे। सब छात्रों की उपस्थिति भी ली जाने लगी। अहा! कैसा सुन्दर दृश्य है! लगभग ४०० विद्यार्थी जाफ़रानी साफ़ा बाँधे, सफ़ेद कोट और पायजामा पहिने स्कूल-सीमा में पङ्क्ति बाँधे अपने-अपने अध्यापकों सहित खेल के मैदान की ओर जा रहे हैं। इस समय भाग-दौड़ आरम्भ होनेवाली है। सीटी बजी—एक, दो, तीन! अब लगभग बीस विद्यार्थी एक मील की दौड़ के लिये दौड़ पड़े। चारों ओर से अपनी-अपनी रुचि के अनुसार लोग साहस बढ़ाने लगे। एक, . दो , तीन , चार , यह अन्तिम चक्कर है। "चलो।" "शाबाश, रामप्रसाद, शाबाश!" की ध्वनि चारों ओर दर्शकों से आने लगी। रामप्रसाद प्रथम था। लोगों ने उसे उठा लिया।

फिर सीटी बजी और लम्बी कूद आरम्भ हुई। इसके पश्चात् ऊँची कूद और सौ गज़ की दौड़। इसके अनन्तर एक फुटबाल की मैच! यह मैच भी उल्लेखनीय है। इसका नाम था 'विचित्र वस्त्र फुटबाल मैच' (Fancy dress Football)।

किसी दो खेलाड़ी के एक से वस्त्र न थे। यदि एक सरहदी पठान के रूप में था तो दूसरा बंगाली भाशा की कुर्त्ता-धोती के वेष में। यदि एक सवेरे के कपड़े आदि पहिने था तो दूसरा ब्युगल बजानेवाले के, यदि एक ख़ानसामाँ की पोशाक पहिने था तो दूसरा सक्के की, यदि एक हँसोड़ बना हुआ था तो दूसरा एक नवाब का मुसाहब,—सारांश यह कि इस मैच का बड़ा कुतूहल रहा। दर्शक हँसते-हँसते लोट पोट हो गये। दूसरी मैच भी विचित्र थी। यह हाकी की मैच थी। एक ओर अध्यापक थे और दूसरी ओर पुराने छात्र। इसमें दौड़ना मना था। जब गेंद लेकर खेलाड़ी वेग से चलते तो कभी कभी दौड़ने भी लगते। इसे देखकर भी बड़ा आनन्द आया।

अब दस बज गये। एक घण्टी बजी। विद्यार्थी और अन्य दर्शक दो घण्टे के लिये अपने-अपने स्थान को भोजनादि के लिये चले गये।

अब बारह बज गये। पुराने छात्रों का सम्मेलन आरम्भ हो गया। सभापति प्रो० चरणसिंह मनोनीत हुए। उनका भाषण हुआ। उन्होंने पुराने छात्रों से अपील की कि वह इस स्कूल की धन और मन से सेवा करें और शीघ्र ही स्कूल को कॉलेज के रूप में लाने का उद्योग करें। इसके पश्चात् कई मनोरञ्जक व्याख्यान हुए। सबने अपने अपने समय की बातों को, अपने नटखटपन को बड़ी सुन्दर भाषा में रखा। इसके पश्चात् वर्ष भर के लिये अधिकारियों का चुनाव हुआ और सम्मेलन विसर्जित हुआ।

अब दो बज चुके थे। पचासों गाड़ियाँ, कितनी ही मोटरें और साइकिलें एक ओर को खड़ी हुई थीं। सब लोग एक ओर एकत्र थे। स्कूल की प्रबन्धकारिणी-समिति के सदस्य एक ओर और स्कूल के अध्यापक अपनी 'गान' में एक ओर खड़े थे। स्कूल के दरवाज़े से सभा-मण्डप के द्वार तक सुन्दर मार्ग के दोनों ओर छात्रों की पंक्तियाँ खड़ी थीं। द्वार पर बालचरों ने अपने दण्डों से एक महराब बनायी। उधर बैण्ड बजने लगा। डाइरेक्टर महोदय आ पहुँचे। चारों ओर करतल-ध्वनि होने लगी। हेड-मास्टर और समिति के प्रधान ने समिति के सदस्यों और अध्यापकों से परिचय कराया। फिर नगर के मान्य सज्जनों से मिले। तब पण्डाल में पहुँचे। साथ ही, भिन्न मार्ग से श्रोता समुदाय भी अपने-अपने स्थान पर बैठ गया था।

ईश्वर-स्तुति के पश्चात् कार्य्यारम्भ हुआ। हेड मास्टर ने रिपोर्ट पढ़ी। उसमें संस्था का २५ वर्ष का विवरण था। इसे कैसा-कैसा ऊँचा-नीचा समय देखना पड़ा। उसी के साथ सभा-पति का भी अभिनन्दन-पत्र पढ़ा गया और उन्हें समर्पण किया गया। पुनः कई कविताएँ पढ़ी गयीं, गायन हुआ और नाटक के दृश्य दिखलाये गये। कार्य्यकारिणी समिति के प्रधान और मंत्री के दो छोटे-छोटे व्याख्यान हुए। इसके पश्चात् सभापति के कर-कमलों द्वारा पारितोषिक वितरण हुआ। सभापति का अन्तिम भाषण हुआ। उन्होंने कार्यकारिणी समिति तथा हेड-मास्टर और अध्यापक-वर्ग की खूब प्रशंसा की। सभापति

को धन्यवाद दिया गया और उच्च करतल-ध्वनि में सभा का विसर्जन हुआ।

इसी रात को सत्यहरिश्चन्द्र नामक नाटक भी खेला गया, जिसमें पुराने छात्रों ने खूब भाग लिया था।

ढाँचा बनाने के लिये निबन्ध

इस बार का कुम्भ-मेला—

हिन्दुओं के लिये हरिद्वार अत्यन्त पवित्र स्थान है। युक्त-प्रान्त के जिला सहारनपुर में यह एक बड़ा तीर्थ है। इसका उल्लेख संस्कृत के बहुत प्राचीन ग्रन्थों में भी पाया जाता है। इसकी प्राचीनता प्रसिद्ध है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुम्भ का मेला होता है। हिन्दू लोग इस पर्व को बहुत पवित्र मानते हैं और दूर दूर से हर की पैड़ियों पर श्री गङ्गाजी में स्नान के लिये आते हैं।

इस बार के कुम्भ के मेले के लिये पूरे एक वर्ष से तैयारियाँ होने लगीं। मेलों के समय हैजा आदि रोगों का फैलना साधारण-सी बात है। इसके अतिरिक्त उचित प्रबन्ध न होने से मेले के समय सैकड़ों मनुष्य दबकर मर जाया करते हैं, पचासों बच्चे खो जाते हैं और रेल की सवारी का महान कष्ट रहता है। इसीलिये सरकार ने पहले से ही इस प्रकार का प्रबन्ध करने का निश्चय किया, जिससे कोई कष्ट न हो।

स्थान को साफ कर रखने के लिये कितने ही जिलों

से भंगी लोग बुलाये गये और उन्हें उनके काम बाँट दिये गये। जितनी सड़कें थीं और जो नयी सड़कें बनाई गयीं, उनमें इस प्रकार का प्रबन्ध रखा गया कि एक भी जूठा पत्ता गिर जाय तो वह तुरन्त उठा लिया जाय। शौच के लिये टट्टियाँ बहुत संख्या में बनी थीं और प्रत्येक समय फ़िनायल के द्वारा साफ़ रखी जाती थीं।

पुलीस का प्रबन्ध पहले ही से हो गया। सिपाहियों की संख्या बहुत काफ़ी थी। स्थान-स्थान पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। पुलीस के कई सौ आदमी 'मेला-अफ़सर' को सहायता पहुँचाते थे। सडकों पर पुलिस ने कितनी ही रोक थाम कर रखी थी। आने और जाने के मार्ग भिन्न थे। हर की पैड़ी के निकट एक पुल बनाया गया और उस पर मेले के अफ़सर कितने ही अन्य अधिकारियों के साथ देख-भाल करने के लिये खड़े रहते। किन्तु हिन्दुओं के आपत्ति करने पर कि नीचे स्त्री-पुरुष स्नान करते है, ऊपर इनका खडा रहना ठीक नहीं, यह लोग हट गये। पास ही एक ऊँचा स्थान बना था, जिस पर एक पुलीस का अधिकारी केवल निरीक्षण करने के लिये कि कहीं गड़बड़ तो नहीं, खड़ा रहता था। यदि कहीं कुछ गड़बड़ हुई कि उसकी सीटी बजी और तुरन्त सिपाहियों ने जहाँ-के-तहाँ आदमियों को रोक दिया।

पुलीस की सहायता के लिये सेवा-समितियाँ अपने पूरे बल से कार्य्य कर रही थीं। प्रयाग की सेवा-समिति का कार्य्य, जो

पं० श्रीराम वाजपेयी और प० हृदयनाथ कुँजरू की अध्यक्षता में था, विशेष रूप से प्रशंसनीय रहा। पंजाब और युक्तप्रान्त के कई सहस्र स्वयंसेवक थे, जो अपनी जान पर खेल कर यात्रियों की सेवा करते थे। कई स्वयं-सेवकों की प्राणाहुति भी उनके कर्त्तव्य-यज्ञ में हो गयी।

इस बार ईस्ट-इण्डियन रेलवे कम्पनी की ओर से गाड़ियों की अच्छी सुविधा कर दी गयी थी। समय-विभाग इस सौन्दर्य से रखा गया था कि प्रति दिन ५०-६० गाड़ियाँ आवें और चली जायँ। यात्रियों को कुछ भी असुविधा न हुई। टिकट-घर भी दर्जनों थे, जिसमें टिकट खरीदने में किसी को असुविधा न हो।

इन सब सुव्यवस्था और प्रबन्ध का फल यह हुआ कि मेले में कोई रोग न फैला, न बहुत-सी जानें धक्का-पेल में नष्ट हुईं। हाँ, एक बार भीड़ का सँभालना इसलिये दुष्कर हो गया कि एक ओर की बँधी हुई बाट टूट गयी और १३-१४ मनुष्य कुचल गये। किन्तु तुरन्त ही जनता जहाँ की तहाँ रोक दी गयी, और फिर शान्ति से लोग जाने लगे। इस बार बच्चों के खोने की भी बहुत रिपोर्ट नहीं मिली। जो खो गये, उन्हें स्वयंसेवकों ने सुरक्षित रखा और उनके माता पिता तक पहुँचा दिया। न बैरागियों और नागों में झगड़ा ही हुआ। सारांश, इस वर्ष का मेला इस बात का प्रमाण है कि सेवावृत्ति से काम करनेवाले किस प्रकार व्यवस्था रखने में समर्थ हो सकते हैं।

अभ्यास

१ 'कुम्भ के मेले' पर लिखे हुए निबन्ध का ढाँचा तैयार करो।

२. 'भारत वर्त्तमान समय में और प्राचीन समय में'—इस विषय पर दिये गये ढाँचे को निबन्ध का रूप दो।

३ 'हमारे स्कूल की रजत-जयन्ती' के ढाँचे और निबन्ध को ध्यान में रख कर 'हमारे नगर के पुस्तकालय का शिलान्यासोत्सव' पर लेख लिखो।

४. 'रेलवे दुर्घटना' और 'पास के ग्राम में डकैती'—इन विषयों पर दो निबन्ध लिखो। उनका ढाँचा भी हो।

५. दिये हुए विषयों में से किसी तीन का ढाँचा तैयार करो और उनमें से एक पर पूरा निबन्ध लिखो।

दसवाँ अध्याय

क—जीवन-सम्बन्धी

श्रीकृष्ण, महात्मा बुद्ध, अशोक, श्री शङ्कराचार्य, ह० मुहम्मद, मार्टिन ल्यूथर, राममोहन राय, स्वा० दयानन्द, बाल गङ्गाधर तिलक, गान्धी, कालिदास, तुलसीदास, तुम्हारे मत में संसार का सबसे बड़ा उपकारक, तुम्हारा आदर्श-पुरुष, भारत में तुम सब से महान् पुरुष किसे मानते हो, इतिहास में तुम्हें सबसे अच्छा चरित्र किसका मालूम होता है, तुमने जितने उपन्यास पढ़े हैं उनमें सबसे अधिक प्रिय तुम्हें कौन-सा

चरित्र लगता है, रामायण में किसका चरित्र तुम्हें आदर्श मालूम होता है।

निबन्ध के लिये उदाहरणार्थ ढाँचा

पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—

१. भूमिका —

भारत में उनका नाम सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं।

महान् परोपकारी और दयालु, सुधारक और विद्वान्।

२ जन्म —

१८२० ई० में मेदिनीपुर ज़िला के बीरसिंह ग्राम में प० ठाकुर-दत्त के घर।

यह दरिद्र थे, किन्तु पुत्र को विद्वान् बनाने की इच्छा थी।

३ चरित्र.—

(विद्यार्थी अवस्था)

पाँच वर्ष की अवस्था में ग्राम की पाठशाला में।

आठ-नौ वर्ष की अवस्था में कलकत्ते में आना। कॉलेज।

बीस वर्ष की अवस्था में कॉलेज छोड़ना और 'विद्यासागर' की उपाधि।

(कार्य्य काल)

फोर्ट विलियम कॉलेज में ५०) मासिक पर प्रधान पंडित, फिर प्रिन्सिपल।

५००) मासिक पर असिस्टेण्ट इन्सपेक्टर, तीन वर्ष पीछे नौकरी छोड़ना।

शेष जीवन देश-सेवा में तथा समाज-सुधार में।

४. उनके कार्य्य.—

महान् सुधारक, विधवा-विवाह के समर्थक, १८५६ ई० में क़ानून का बनवाना।

बॅगला साहित्य के सेवक, आधुनिक शैली के जन्मदाता, कितने ही ग्रन्थों के लेखक।

अपने स्थान पर विद्यालय और औषधालय।

कलकत्ते में एक कॉलेज की स्थापना।

१८९१ ई० में मृत्यु।

उदाहरणार्थ ढाँचा और निबन्ध

रवीन्द्रनाथ टैगोर—

१. भूमिका.—

भारत में सबसे बड़े कवि और विदेशों में सबसे अधिक विख्यात भारतीय।

२. जन्म.—

इनका जन्म १८६१ ई० में महर्षि देवेन्द्रनाथ के यहा हुआ।

इनके बाप-दादा।

३. चरित्र.—

इनके पिता का प्रभाव।

स्कूल का वायु-मण्डल हितकर न हुआ।

इन पर बड़ी विपत्ति, घर में कई मौतें।

विलायत-यात्रा ।

१९१३ ई० में 'नोबिल' पारितोषिक की प्राप्ति ।

यूरोपीय महायुद्ध का कवि पर प्रभाव और उनका शान्ति-प्रसार का प्रयत्न ।

४ इनके काम और काव्य —

गीताञ्जलि ।

इनकी कहानियाँ ।

इनका लक्ष्य पश्चिमी और पूर्वी सभ्यता का मिलना ।

शान्ति-निकेतन ।

निबन्ध

आज भारतवर्ष में ही क्या, संसार भर में कविवर श्री रवीन्द्रनाथ की बड़ी प्रतिष्ठा है, कीर्ति है । भारत ने इस समय दो ऐसे नर-रत्न उत्पन्न किये हैं जिनकी कृपा पर भारत क्या समस्त संसार मुग्ध है। उनमें से एक हैं महात्मा गान्धी और दूसरे प्रो. टैगोर। महात्मा गान्धी तो देश की अधोगति देख कर देश-सेवा में लीन हैं और रवीन्द्र संसार की अधोगति देख कर विश्व प्रेम में लय।

राजा राममोहन राय का बहुत प्रभाव था, अत रवीन्द्र का जन्म एक पुराने ब्रह्मोसमाजी कुटुम्ब में हुआ और आरम्भ से ही इन पर इस समाज के सुधार का प्रभाव था।

रवीन्द्र एक होनहार युवक थे। इनके पिता इन्हें अपने साथ हिमालय पर्वत पर ले गये। उसी समय कदाचित् कवि के हृदय का विकास आरम्भ हुआ। इनके पिता की सदाचार-वृत्ति का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। रवीन्द्र के मन पर अपने पिता की निर्भीक सत्य-प्रियता का बड़ा प्रभाव था। एक समय यह दोनों यात्रा कर रहे थे। रवीन्द्र के लिये आधा टिकट ख़रीदने पर टिकट कलक्टर ने इनसे कहा कि रवीन्द्र की अवस्था अधिक है, वह झूठ बोलते हैं। इस पर देवेन्द्र को क्रोध आ गया और रुपयों से भरे अपने बटुए को उन्होंने उसके मुँह पर फेंक कर मारा और कहा कि क्या कभी देवेन्द्र झूठ बोल सकता है। रवीन्द्र के मन पर उनकी सत्य-निष्ठा का बहुत प्रभाव पड़ा।

उनके लिये स्कूल का वायु-मण्डल हितकर न हुआ। विलायत भी गये तो बिना कोई डिग्री प्राप्त किये वापस चले आये। २३ वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। इनके पिता ने इन्हें शीलदा जागीर का प्रबन्ध करने के लिये भेज दिया। वहाँ पर कवि के हृदय की प्रतिभा ख़ूब चमकी और वहाँ पर रहकर उन्होंने कई उपन्यास लिखे। यह समय सत्रह वर्ष के लगभग रहा।

अब, उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आयी। उनकी धर्म-पत्नी, उनकी पुत्री और उनका सबसे छोटा पुत्र उनसे सर्वदा के लिये विदा हो गये। इससे उनकी आत्मा पर गहरी चोट लगी और उनकी वृत्तियों में अब से आत्मिकता और विश्व-प्रेम की झलक दिखायी देने लगी। यह वह समय था जब कि उन्होंने जगद्विख्यात् 'गीताञ्जलि' लिखी।

इसके पश्चात् वह विलायत गये। वहाँ उन्होंने याट्स (Yeats) के अनुरोध से अपनी कुछ कविताओं का अंग्रेजी में उल्था किया। सन् १९१३ ई० में उनको काव्य क्षेत्र में संसार का सबसे बड़ा पारितोषिक 'नोबिल-प्राइज़' मिला। इस समय से उनकी धवल कीर्ति संसार भर में फैल गयी।

अब यूरोपीय महायुद्ध आरंभ हो गया। कवि की आत्मा को इससे महान् दुःख हुआ और उन्हें विदित होने लगा कि संसार की जातियाँ उन्नति के बहाव में विनाश की ओर बढ़ी जा रही हैं और देश प्रेम रूपी विषैला कीड़ा उन्हें दिनभर निर्बल करता जा रहा है। वृद्धावस्था होते हुए भी रवीन्द्रनाथ युद्ध के पश्चात् शान्ति का सन्देश देश देश में पहुँचाने के लिये संसार भर में कई बार भ्रमण करते गये।

गीताञ्जलि उनकी कविताओं का एक सुन्दर संग्रह है। इस पुस्तक का उल्था संसार की प्राय प्रत्येक भाषा में हो गया है। श्री सी. एफ. एन्ड्रयूज ने इसके विषय में अपने भाव इस प्रकार प्रकट किये हैं—"आधी रात को जब चान्दनी एक ठण्ढे, गहरे सरोवर का चुम्बन कर रही हो तब उस सरोवर की लहरों का जैसा मद भरा कर्ण-मृदु शब्द हृदय को मुग्ध कर देता है, ऐसा ही मेरे हृदय पर वह वशीकरण प्रभाव था जो गीताञ्जलि के प्रथम श्रवण से हुआ। इसके पढ़ने से मनुष्य कुछ समय के लिये परमात्मा के बहुत निकट आ जाता है। वास्तव में इसे सबसे अधिक उन्नति चाहनेवालों को पढ़ना चाहिए।"

रवीन्द्रनाथ का उद्देश्य क्या है? थोड़े शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वह पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी सभ्यता के सद्‌गुणों की भित्ति पर भावी विश्व की सभ्यता का भाग निर्माण करना चाहते हैं। उन्होंने बोलपुर में शान्ति-निकेतन नामक विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जिसमें बहुत-सा धन लगाया है। वहाँ पर देश-देश से शिक्षक और छात्र जाते हैं। गाना, नाटक करना, चित्र बनाना आदि काव्य के प्रत्येक अंग की शिक्षा दी जाती है। वहाँ बच्चों को अपनी प्रकृति के अनु-सार उन्नति करने में सहायता दी जाती है। कोई शारीरिक दण्ड नहीं, जुर्माना नहीं। रवीन्द्रनाथ का यह जीता जागता स्वप्न है, जिसकी तुलना संसार की कोई संस्था नहीं कर सकती।

ढाँचा बनाने के लिये निबन्ध

सत्य-हरिश्चन्द्र—

आज भी कोई ऐसा हिन्दू नहीं है, जिसने सत्य-प्रतिज्ञ श्री महाराज हरिश्चन्द्र का नाम न सुना हो। उनके चरित्र का नाटक खेला जाता है, उनकी कथा को हिन्दू लोग बड़े चाव से पढ़ते और सुनते हैं। धन्य हो, हरिश्चन्द्र! तुमने कष्ट तो असह्य सहे, किन्तु अपनी कीर्ति की धवल ध्वजा संसार भर में सदा के लिये फहरा दी।

हरिश्चन्द्र सत्य-युग में सूर्य्यवंशी क्षत्रिय राजकुल में उत्पन्न हुए थे। वह महान् प्रतापी, उदार दानी और सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। उनकी रानी पतिभक्ता एवं कर्त्तव्यनिष्ठ थी और उनका अकेला पुत्र रोहिताश्व माता पिता का सेवक था।

एक बार राजा ने स्वप्न देखा कि एक ब्राह्मण मुझसे समस्त राज्य की भीख माँग रहा है। उन्होंने स्वप्न में ही उसे समस्त राज्य दान कर दिया। जागने पर सभा के समक्ष उसने इस अपूर्व स्वप्न को रखा। उसी समय विश्वामित्र उसी ब्राह्मण के रूप में आ गये। राजा ने कहा कि अवश्य मैंने इसी ब्राह्मण को सारा राज्य दिया था। ब्राह्मण ने कहा—"ठीक है, किन्तु तुम्हें दक्षिणा का प्रबन्ध भी कर लेना चाहिए।" दक्षिणा के लिये धन कहाँ से आवे! राजा ने कहा—"ब्राह्मण, हम सब को बेच दो, और दक्षिणा ले लो।"

इस प्रकार राजा हरिश्चन्द्र काशी में एक भंगी के हाथ बेच दिये गये और श्मशान-भूमि में अग्नि-दान का काम उन्हें सौंपा गया। रानी, रोहिताश्व सहित एक ब्राह्मण के हाथ बेच दी गयीं।

एक दिन ब्राह्मण की पूजा के लिये रोहिताश्व को पुष्प लेने जाना पड़ा। उसे वाटिका में सर्प ने डस लिया। उसके प्राण-पखेरू शीघ्र ही उड़ गये। बेचारी धन-हीना निस्सहाय माता क्या करे? उसके लिये 'कफ़न' भी कहाँ से आवे? रानी की साड़ी के एक भाग ने 'कफ़न' का काम दिया। वह विलाप करती हुई उसे श्मशान पर ले गयी। हरिश्चन्द्र से आग माँगी; किंतु इसके लिये उसे कुछ पैसे देने चाहिए थे। आग न मिली। "क्या इस रोहिताश्व को, अपनी आत्मा के अन्तिम संस्कार के लिये भी आग न मिलेगी? स्वामिन्, ऐसे कठोर न बनो!" किन्तु हरिश्चन्द्र के अब न तो कोई स्त्री थी और न पुत्र। वह तो केवल एक भंगी का नौकर था! उसे अपना कर्त्तव्य निबाहना था। बिना पैसे के दाह के लिये उसे आग कैसे दे सकता था?

इतने ही में कुछ लोग उस ओर आये और रानी के गले में एक चोरी किया हुआ हार डाल दिया। उसे राज-कर्मचारियों ने पकड़ लिया और प्राण घात का दण्ड मिला। हरिश्चन्द्र को आज्ञा मिली कि उसका वध करे। अहो! दुर्भाग्य-वत के दिन कैसे इकट्ठे होकर आते हैं। एक ओर प्यारे पुत्र रोहिताश्व की लाश पड़ी हुई है, दूसरी ओर हरिश्चन्द्र प्राणों

से प्यारी रानी का वध करने के लिये तैयार हैं। कर्त्तव्य! तेरा पालन संसार में बड़ा कठिन है। हरिश्चन्द्र ने हृदय पर पत्थर रखकर तलवार उठायी ही थी कि परीक्षा लेनेवाले विश्वामित्र प्रसन्न होकर आ पहुँचे और 'धन्य-धन्य' कहकर राजा का हाथ पकड़ लिया। रोहिताश्व जी उठा और फिर राजा को सारा राज्य मिल गया।

कर्त्तव्य-पालन भी संसार में कितना कठिन है; किन्तु साथ ही कितना आवश्यक है। आज इस कठोर कर्त्तव्य-पालन के कारण ही हरिश्चन्द्र सत्य हरिश्चन्द्र के नाम से प्रख्यात हैं और उनकी पुण्य कथा प्रत्येक हिन्दू के हृदय का हार बनी हुई है तथा सबको कर्त्तव्य पालन तथा अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने के लिये उत्साहित करती है।

अभ्यास

ग्यारहवाँ अध्याय

ख—अनुभवात्मक

अनुभवात्मक निबन्ध व्यक्तिगत अनुभवों, यात्रा, घूमने फिरने अथवा किसी के काल्पनिक अनुभवों से सम्बन्ध रखता है। अनुभव का वास्तविक अथवा काल्पनिक होना, लेख में कोई विशेष अन्तर नहीं डालता।

मेरी कलकत्ता से बम्बई तक की यात्रा, एक नदी तट पर संध्या-समय का घूमना, आमों के बाग़ में नौ रोज, तुमने ग्रीष्म-अनध्याय कैसे बिताया, सम्राट् की भारतवर्ष में यात्रा, यदि हवाई जहाज से विलायत जाते हुए मार्ग में तुम्हें अरब में छोड़ दें तो तुम क्या करोगे, कल्पना करो कि तुम किसी बाढ़ में फँस गये तब कैसे निकल कर आये, यदि तुम्हें कोई ५०००) देकर यूरोप भेजे तो इसे कैसे व्यय करोगे, यदि आज तुम्हें अपने स्कूल का हेड-मास्टर बना दें तो उसमें तुम क्या सुधार करोगे, ५० वर्ष पहले यदि तुम्हारा जन्म होता तो भारत की क्या दशा देखते, रुपये की आत्म-कथा, तुम्हारे छाते के अनुभव, घड़ी की आत्म कहानी, तुम्हारी हाकी-स्टिक के करनामे, एक नदी की आत्म-कथा।

इस प्रकार के निबन्धों को लिखते हुए विद्यार्थियों को अपने मस्तिष्क में किसी निबन्ध-विशेष का ढाँचा रखना आवश्यक

नहीं। उसे अपने ही अनुभव की भित्ति पर निबन्ध तैयार करना चाहिए। ऐसे निबन्धों में समय का विचार अवश्य रखना चाहिए। यह नहीं कि अभी तो आज सन्ध्या की बात कही और फिर आज प्रातःकाल की। छोटी-छोटी और महत्वहीन बातें न लिखनी चाहिएँ। कल्पित बातें तो लिखी जायँ, परन्तु असम्भव बातें नहीं। अर्थात् आप यह तो लिख सकते हैं कि कल रात को जब मैं सोया तब एक विचित्र स्वप्न देखा कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। न कि यह कि, 'कल रात को जब मैं आकाश में उड़ रहा था।' स्वप्न में उड़ना तो सम्भव है, किन्तु जागते हुए बिना किसी यंत्र के उड़ना सम्भव नहीं। ऐसे निबन्धों में 'मैं' या 'हम' का प्रयोग किया जा सकता है।

काल्पनिक निबन्ध लिखते समय उद्योग ऐसा होना चाहिए कि मानो कोई वास्तविक वर्णन हो रहा है। भूमिका में कोई ऐसी बात लिख देनी चाहिए जिससे विवरण वास्तविक मालूम हो। उदाहरण के लिये विचार करें कि आप एक रात्रि को लेटे हुए अपनी घड़ी की 'टिक-टिक' ध्वनि सुन रहे हैं और यह जानने का उद्योग कर रहे हैं कि क्या यह शब्द सार्थक है। आपको ज्ञात हुआ कि घड़ी का यह शब्द अर्थ-हीन नहीं, और ध्यान देने से पता लगा कि वह अपनी जीवनी आप सुना रही है। घड़ी कहने लगी . इत्यादि। इस प्रकार भूमिका बाँधने से रोचकता आ जाती है। पाठक इसका तात्पर्य यह निकालेंगे कि आपने घड़ी का यह आत्म कथा स्वप्न में सुनी।

उदाहरण के लिये ढाँचा

मेरी मसूरी की यात्रा—

१. उद्देश्य —

नीचे गरमी का अधिक होना और कितने ही मित्रों का जाने के लिये तैयार होना।

ग्रीष्म-अनध्याय होने से पर्याप्त समय मिलना।

२. यात्रा —

१० जून सन् १९२७ ई० का देहरा मेल से यात्रा का आरम्भ।

रात्रि होने से देहरादून तक मार्ग में किसी उल्लेख योग्य घटना का न होना।

देहरा से राजपुर तक मोटर द्वारा जाना। मोटर का मार्ग में ख़राब हो जाना। एक दूसरी मोटर में किराया अधिक देकर जाना।

राजपुर में एक मित्र का मिल जाना और एक दिन ठहरना।

वहाँ सहस्र-धारा नामक सुन्दर पहाड़ी का दृश्य देखना।

सहस्रों धाराएँ और गन्धक का चश्मा। वहाँ पर स्नान।

पुन वहाँ का युवक-आश्रम देखना। उसका वर्णन।

राजपुर से घोड़ा लेकर मसूरी को प्रस्थान। मार्ग का दृश्य।

१२ जून को मसूरी पहुँचना।

'हैपी-वैली' में एक मास के लिये एक बंगला किराया करना।

मसूरी में शीत, वहाँ की लाइब्रेरी और आबादी का वर्णन।

भ्रमण करने योग्य स्थान, कैम्परी झरने का कुछ वर्णन।
दुर्भाग्य से वहाँ पर चेचक का प्रकोप होना। घर से तार द्वारा बुलाया जाना।
स्वर्ग-तुल्य मसूरी से खिन्न-मन होकर लौटना।

आम के वृक्ष की आत्म-कथा—

१. भूमिका:—
एक दिन धूप में पाँच-छः मील की पैदल यात्रा। आम के एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठना।
तीव्र वायु के वेग से हिलकर पत्तियाँ 'सन सन' कर रही थीं। मैं सोचने लगा कि इस 'सन-सन' का कुछ अर्थ अवश्य है। जब मैं विश्राम करने लगा तो मालूम होने लगा कि वृक्ष अपनी कथा कह रहा है।

२. आत्म-कथा —
मेरा जन्म सैकड़ों मील दूर एक बाग में हुआ।
माता-पिता एक विशाल वृक्ष। उसकी गोद में फल के रूप में पकता रहा।
बाग के स्वामी के यहाँ एक अतिथि का आना। सत्कार में मुझे और मेरे भाइयों को हमारे पिता से पृथक् करके सौंप देना।
हमारी बड़ी आकृति, हरे और सुर्ख रंग को देख कर अतिथि का आनन्द।
मुझे और मेरे भाइयों को एक टोकरी में बन्द कर दिया। मेरा दम घुटा जाता था।

वह सज्जन मुझे अपने घर ले आये। टोकरी को खोला, मेरी जान में जान आयी।

उसने मुझे एक मित्र को दे दिया। उसने मेरा मान करने के लिये भूसे में दबा दिया। उस समय मेरी दशा बुरा थी। मेरे ठोस गठीले शरीर में अब झुर्रियाँ पड गयीं, रग पीला हो गया।

मुझे क्या पता था कि मुझे इससे भी अधिक कठोर दण्ड मिलनेवाला है। मेरा खून चूसा गया। हाय, मुझे कितना दु ख था।

अब अस्थिमात्र अवशिष्ट मुझे लेकर कहने लगे कि हम इसे पृथ्वी में गाड़ेंगे। हाय, कैसे बुरे कर्म किये थे, मुझे ज़िन्दा ही दफ़नाया गया।

परन्तु परमात्मा ने मुझे बल दिया और पृथ्वी के नीचे पड़ा-पड़ा मैं हरा भरा होने लगा और फलने-फूलने लगा।

मैंने अभी तक अपनी परोपकार-वृत्ति नहीं छोड़ी। आने वालों को छाया-दान देता हूँ और बहुधा फल भी।

किन्तु अब भी मेरी गोद में से नन्हें नन्हें बच्चों को दुष्ट मनुष्य पत्थर मार मार कर छीन ले जाते हैं। मुझे चैन नहीं। कभी-कभी आरा और कुल्हाडी लेकर जल्लाद मेरी ओर देखते और कहते हैं—'इससे तो खूब काम चलेगा।' मेरे प्राण सूख जाते हैं।

मैं इस वृत्त की आत्म-कथा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया

और सोचने लगा कि क्या मनुष्य वास्तव में इतना निष्ठुर है, निर्दय है।

उदाहरण के लिये ढाँचा और निबन्ध

एक शताब्दी पश्चात् भारत—

१ भूमिका —

एक साधु का मिलना और उनके द्वारा देश की दशा का वर्णन।

२ सामाजिक अवस्था —

वर्ण-व्यवस्था बदल जायगी।

पर्दा हट जायगा।

स्त्रियों को समान अधिकार मिल जायँगे।

छूत-अछूत का प्रश्न न रहेगा।

३ धार्मिक अवस्था —

सहनशीलता अधिक हो जायगी।

धर्म कम हो जायगा, अधर्म बढ़ेगा।

वैद्यक में उन्नति होने से बहुत से रोग जाते रहेंगे।

शारीरिक बल कम, आयु कम और मानसिक बल मे कम होगा।

६ औद्योगिक अवस्था —

बाहर से कपड़ा बिल्कुल न आवेगा।

कृषि की उन्नति हो जायगी।

पूँजीपतियों और मज़दूरों में झगड़ा रहेगा।

७. राजनीतिक —

देश में स्वराज्य होगा। इंग्लैण्ड से सम्बन्ध अधिक दृढ़ हो जायगा।

सब अपने आपको भारतीय कहने में अपना गौरव समझेंगे।

निबन्ध

कल प्रात काल मैं अपने बगीचे में पहुँचा। वहाँ क्या देखता हूँ कि एक सौम्य-मूर्त्ति, जटाजूटधारी, विशाल काय, रक्त-नेत्र, वस्त्र-हीन साधु बैठे हुए हैं। देखकर श्रद्धा उत्पन्न हुई। उनके पास गया, प्रणाम किया और हाथ जोड कर खड़ा हो गया। वे मुझे देखकर प्रसन्न हुए। बातचीत करने लगे और अपने बाल्यकाल के समय की देश की दशा सुनाने लगे। अब उनकी अवस्था लगभग ३०० वर्ष की थी। मैंने कहा—"महाराज, आपने २०० वर्ष पूर्व की बातें बतलायीं। आप कृपा करके एक सौ वर्ष आगे की भारत की दशा तो बतलाइये।" उन्होंने प्रसन्न होकर कहा—

"सुनो, आजकल की समाज की दशा बहुत कुछ बदल जायगी। वर्ण-व्यवस्था का पूरा रूपान्तर हो जायगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि शब्द ही न सुने जायँगे। विवाह के लिये अथवा खान-पान के लिये कोई जाति बन्धन न रहेगा।

समाज में तथा विशेषकर उच्च हिन्दुओं और मुसलमानों में जो पर्दा करने की प्रथा चल गयी है, वह बिलकुल दूर हो जायगी। पर्दे के उठ जाने से आचरण-शुद्धि में अवश्य कुछ अन्तर पड़ेगा, किन्तु उस समय आचरण पर अधिक बल न दिया जायगा। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे, और यदि न मिलेंगे तो पर्दा न होने से वह उनके लिये आन्दोलन करेंगी।

सम्मति देने का अधिकार स्त्रियों को मिल जायगा। उस समय स्त्रियाँ कौंसिलों में जायँगी, वकालत करेंगी, शिक्षण और न्याय का काम करेंगी। शासन का काम भी उन्हें सौंप दिया जायगा। डाक्टरी में तो अधिकतर इन्हीं का हाथ रहेगा।

अछूत लोगों का भी उस समय नाम सुनने में न आवेगा। छूत छात बिलकुल मिट जायगी। कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से उसकी जाति अथवा काम के कारण घृणा न करेगा।

देश की धार्मिक अवस्था भी बहुत कुछ बदल जायगी। धर्मों में आजकल के से लड़ाई झगड़े न होंगे। न उस समय एक धर्म में से दूसरे धर्म में मिलाने का उद्योग होगा। एक धर्मवाला दूसरे धर्म को अच्छा समझेगा।

वास्तव में उस समय धर्म्म का स्थान ही नीचा हो जायगा। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग धर्म्म होगा। चाहे किसी का कोई धर्म्म हो, उस पर समाज को कोई आपत्ति न होगी। परमात्मा में लोगों की श्रद्धा कुछ कम हो जायगी।

देश में स्वराज्य स्थापित हो जायगा। भारत की रियासतों और प्रान्तों में वैमनस्य न होगा। ब्रिटिश प्रान्त और रियासत मिलकर अपने-अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। वे प्रतिनिधि एक सभा में बैठेंगे; और प्रधान तथा सब विभागों के अध्यक्षों का निर्वाचन करेंगे। किन्तु इंग्लैण्ड का सम्बन्ध दृढ़ रहेगा।

उस समय विद्या का प्रचार बहुत अधिक हो जायगा। बिना पढ़े-लिखे कदाचित् ही कोई मिलें! ग्राम-ग्राम में विद्यालय और नगर-नगर में महाविद्यालय खुल जायेंगे। स्त्रियाँ भी विद्या में उतनी ही रुचि रखेंगी जितनी पुरुष। किन्तु साधारण मनुष्य समाचार पत्रों और उपन्यासों को ही अधिक पसन्द करेंगे। गम्भीर साहित्य को बहुत कम लोग पढ़ेंगे।

अंग्रेज़ों ने जो स्थान आज ले रखा है, वह न रहेगा। देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी होगी। अंग्रेज़ी भाषा को उस समय वह स्थान मिलेगा जो आज हिन्दी को मिला हुआ है।

विज्ञान का पढ़ना-पढाना उस समय अधिक हो जायगा। केवल विज्ञान पढ़ाने के लिये ही बहुत से विद्यालय स्थापित हो जायेंगे। कितनी ही उद्योग-शालाएँ खुल जायँगी। कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार होंगे, जिनसे समाज के बहुत से दुःख दूर होंगे।

इसके अतिरिक्त शिक्षा का उचित प्रचार होने से सफ़ाई का ध्यान भी खूब रहेगा। ग्रामों की सफाई का ध्यान पर्याप्त रखा जायगा। आजकल जैसी कूड़ियाँ और तालाब ग्रामों के पास न रह सकेंगे। नगरों में आबादी एक नियमानुसार रहेगी। मलेरिया आदि बीमारियों का समूल नाश हो जायगा।

वैद्यक में बहुत उन्नति होगी। कितने ही वैज्ञानिक साधन रोगों के कीड़ों को मारने के लिये और कितनी ही औषधियाँ चिकित्सा के लिये खोज की जायँगी। जर्राही की विशेष उन्नति होगी। चीर-फाड़ में कुछ भी कष्ट न होगा।

बिजली करेगी। आजकल की रेलगाड़ी का काम हवाई जहाज दिया करेंगे। यद्यपि दुर्घटनाएँ बहुत होंगी, तो भी सब लोग हवाई जहाज़ से ही यात्रा किया करेंगे।

किन्तु यह सब होते हुए भी कृषि की उन्नति में बाधा न पड़ेगी। नहरों का जाल चारों ओर बिछ जायगा। इससे खेती में आसानी होगी, किन्तु यह वैज्ञानिक रीति से होगी।

देश में ही क्या, संसार भर में पूँजीवालों और मजदूरों में झगड़ा रहेगा। कभी मज़दूर लोग बढ़ जायँगे और कभी पूँजी-वाले। आपस में एक दूसरे का कोई विश्वास न करेगा। मज़-दूरों की हड़तालों से जनता की बहुत हानि हुआ करेगी।

उस समय भारत में जातियों में ईर्ष्या द्वेष न होगा। सब अपने आपको भारतीय कहने में अपना गौरव समझेंगे। देश-प्रेम का भाव सबके हृदय में भरा रहेगा। आजकल के धार्मिक झगड़ों के दिनों को वे लोग जंगली समय कह कर स्मरण करेंगे।"

ढाँचे के लिये निबन्ध

पैरिस से याकुट्स्क के लिये स्थल-यात्रा*—

एक फ्रांसीसी यात्री श्री हैरीडेविन्ट (Harrydewindt) ने १९००० मील की यात्रा आठ मास में, सन् १९०२ ई० में

---

* Alfred I Ker के लेख के आधार पर।

समाप्त की थी । उस यात्रा-विवरण के कुछ भाग का वर्णन नीचे लिखा जाता है ।

वह १९ दिसम्बर सन् १९०१ ई० को पैरिस से चले और तीन दिन में मास्को, जो १८०० मील के अन्तर पर है, पहुँचे । यह नगर बहुत सुन्दर है और अच्छी ऋतु हो तो यह बहुत सुहावना मालूम होता है। इसके गुम्बज, मीनार और विशाल भवन देखने से पूर्व की शिल्प-कला के सौन्दर्य का अनुभव होता है। परन्तु उस समय वहाँ पर शीत अधिक था, इसलिये वहाँ कुछ ही सप्ताह ठहरकर ४था जनवरी को त्रिन्ट और उसके साथी वहाँ से विदा हुए और "ट्रान्स-साइबेरियन-रेलवे" द्वारा आगे चल दिये ।

सब देश और जाति के लोग रहते थे। वहाँ ठहरने पर व्यय तो बहुत था; किन्तु सामान बहुत ही ख़राब मिला। चारपाइयों से बदबू बहुत आती थी। कमरे गन्दे और अँधेरे थे। खाना निकम्मा था। नगर गन्दा था और जान की भी जोखिम थी। अतः पाँच दिन ठहर कर यहाँ से याकुट्स्क (Yakutsk) के लिये रवाना हुए।

इस स्थान को जाने के लिये एक विचित्र प्रकार की गाड़ी में, जो बहुत दु ख देनेवाली थी, जाना पड़ा। मार्ग जंगलों में होकर जाता था। मार्ग में लेना नदी मिली। यहाँ से आगे जो मार्ग था, वह नदी की बर्फ़ीली सतह पर था। यहाँ पर डण्डों से बर्फ़ को रौंदते हुए चलना आवश्यक था, क्योंकि कहीं-कहीं बर्फ़ के नीचे गरम पानी का सोता बहता था, जिसके कारण ऊपर का बर्फ़ बहुत पोला रहता था। यहाँ पर पैर पडा नहीं कि बर्फ़ नीचे खसका और घोड़े तथा उनकी सवारी सब नीचे! सर्दी इतनी थी कि जलता हुआ सिगार सुलगा न रह सकता था।

ठहरने के लिये पन्द्रह से तीस मील की दूरी पर मञ्जिलें बनी थीं। यहाँ पर घोड़े बदले जाते थे। एक दिन में हमलोग लगभग २३० मील चलते थे। मार्ग इतना बुरा था कि कहीं-कहीं पर तो हमारे घोड़े गिर पड़ते थे और फिर उन्हें उठाने में घण्टों लग जाते थे। यहाँ कहीं ठहरने को जी नहीं चाहता था, क्योंकि बने हुए मकान गन्दे, बदबूदार और अँधेरे होते थे। इसलिये रात-दिन चला ही करते थे। यहाँ पर रात्रि का समय

बड़ा सुहावना होता। अहा! गाड़ी में लेटे हुए आकाश की ओर मुँह करके नक्षत्र-मण्डल की शोभा को निहारना कैसा भला मालूम होता था!

जब यह लोग विटिम्स्क (Vitimsk) में पहुँचे तो एक अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना हुई, जिसका उल्लेख करना आवश्यक है। एक व्यक्ति सिर से पैरों तक फ़र (बालोंवाली खाल) ओढ़े हुए मंजिल पर आया। वह उतरा और विएट की ओर बढ़ा, और कहने लगा—'अहो, क्या हेरॉडेविएट तो नहीं हैं।'

४. 'तुम्हारे छाते के अनुभव', 'घड़ी की आत्म-कहानी' और 'नदी की आत्म-कथा' पर ढाँचे सहित निबन्ध लिखो।

५. 'तुमने ग्रीष्म-अनध्याय कैसे बिताया' तथा दिये हुए अन्य विषयों में से किसी दो पर ढाँचे सहित निबन्ध लिखो।

बारहवाँ अध्याय

४. विचारात्मक निबन्ध

वैसे तो कोई निबन्ध ऐसा नहीं हो सकता जिसमें विचार की आवश्यकता न हो; किन्तु यहाँ विचारात्मक निबन्धों से तात्पर्य उन निबन्धों का है जिनमें विचार मुख्य रीति से और वर्णन तथा विवरण गौण रीति से प्रयुक्त हों। यह निबन्ध साधारणतया ऐसे विषयों पर लिखे जाते हैं जिनका सम्बन्ध सूक्ष्म विचारों से है, जो दृश्य पदार्थों के विषय में बहुधा नहीं होते, जहाँ पर स्मरण-शक्ति की इतनी आवश्यकता नहीं और जो आलोचनात्मक तथा विवादग्रस्त हैं। ऐसे निबन्ध लिखते हुए लेखक को चाहिए कि वह अपनी बात का प्रमाणों से और कभी-कभी उदाहरणों से समर्थन करे। यदि कोई आपत्ति ध्यान में आवे तो उसे दूर करे। खण्डन या मण्डन के लिये यदि उचित समझे तो किसी के वाक्य भी उद्धरण करे अथवा थोड़े शब्दों में उनका सार दे देवे। यदि कोई परि-

ग्राम निकलता हो तो वह भी दे देवे। यदि किसी कहावत पर लेख लिखना हो तो आवश्यक नहीं कि जिस बात की पुष्टि कहावत में हो रही है, आप भी उसी की पुष्टि करे।

सदाचार ही भूषण है, सत्य न कि ताम्बूल मुख का भूषण है, बडे लोगों के कान होते है आँख नहीं, स्वारथ के सबही सगे बिनु स्वारथ कोउ नाहि, पर स्वारथ के कारने सज्जन धरत शरीर, तुलसी सत सु अम्ब तरु फूलि फरें पर हेत, 'परोपकाराय सतां विभूतयः', आधी छोड सारी को धावे आधी मिले न सारी पावे, जहाँ सुमति तहँ सम्पति नाना जहाँ कुमति तहँ विपति निदाना, तुम्हें कौन व्यवसाय अच्छा लगता है और क्यों, जातीय आचरण पर जल वायु का प्रभाव, परीक्षा में लड़कों की पढ़ाई की जाँच नहीं होती, समाचार-पत्रों के पढ़ने से लाभ ही लाभ है, उपन्यास न पढ़ने चाहिएं, पिछली शताब्दी में विज्ञान के चमत्कार, युद्ध से बहुत हानि होती है, देश प्रेम, ईश्वर-भक्ति, साहस, अहिंसा, स्त्री शिक्षा इस देश की प्रथम आवश्यकता है, मदिरा-पान की हानियाँ तथा ब्रह्मचर्य।

के समय में धर्म्म, ज्ञान, राजनीति आदि में जो सुधार से लाभ हुए हैं, वे बहुत हैं।

२ धार्मिक क्षेत्रः—

बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और शङ्कराचार्य के उदाहरण।

उन्होंने विना युद्ध किये ही संसार का कितना उपकार किया।

उनकी विजय सदा के लिये है।

३. विज्ञान का क्षेत्र —

शान्ति ही के कारण रेल, बिजली, तार और सैकड़ों प्रकार की दवाइयों के आविष्कार और इनसे लाभ।

४. राजनीतिक क्षेत्र —

देशों में उन्नति शान्ति के ही समय होती है।

नये-नये क़ानून, राज्य की सभाएँ, प्रजा के लिये हितकर बातें शान्ति ही के समय में।

५ परिणाम —

संसार में युद्ध रोकने का उपाय।

यदि सफल हो गये तो संसार में सदा के लिये शान्ति।

उदाहरण के लिये ढाँचा और निबन्ध

बच्चों की मृत्यु—

१ प्रश्न और उसकी महत्ता:—

भारत में प्रति वर्ष २० लाख बच्चे मरते हैं।

प्रति ४ बच्चों में, एक आयु के प्रथम वर्ष में ही मर जाता है।

घने बसे हुए नगरों में अधिक मृत्यु।

२. कारण.—

बचपन का विवाह।

माताओं की मूर्खता।

बुरे सामाजिक रीति-रिवाज।

ग्राम, नगर और घरों की दशा स्वास्थ्य को बिगाड़नेवाली।

आदमियों की भीषण निर्धनता।

३. सुधार —

सारे भारतवर्ष की मातृ तथा बाल-रक्षिणी सभाएं।

१९२३ ई० से बच्चों के सप्ताह का मनाया जाना।

पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं द्वारा स्त्री-शिक्षा की उन्नति।

ग्रामों और नगरों में सफ़ाई का प्रबन्ध।

निबन्ध

किन्तु बच्चों की मौत के कारण क्या हैं? इसके कारण एक नहीं, दो नहीं, बहुतेरे हैं। पहले तो बचपन का विवाह ही अपना भयङ्कर परिणाम दिखला रहा है। बच्चों के बच्चे क्या कभी स्वस्थ और बलवाले हो सकते हैं? जब माता पिताओं के ही शरीर परिपक्व नहीं तो उनकी सन्तान कैसे सबल हो सकती है। जिन बच्चों में जीवनी-शक्ति कम होती है, जो निर्बल और क्षीणकाय होते हैं, वह ज़रा-ज़रा से रोगों के ग्रास बन जाते हैं। जब तक बाल-विवाह को क़ानून द्वारा रोका न जायगा, तब तक बच्चों की मौतें होती ही रहेंगी।

इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ की माताएँ अधिकतर मूर्खा होती हैं। पर्दे में रहने के कारण विद्या-लाभ नहीं कर सकतीं और बचपन के विवाह के कारण उनमें विद्या-लाभ से अधिक रुचि सन्तानोत्पत्ति की हो जाती है। फल यह होता है कि वह मूर्खा ही बनी रहती हैं। ऐसी माताएँ रोग को नहीं समझतीं। उनका निदान और उनकी चिकित्सा नहीं जानतीं तथा बच्चे उनकी मूर्खता के शिकार बनते हैं। कोई तकलीफ हुई नहीं कि इन्हें प्रथम विचार होता है कि बच्चे को नजर लग गयी, अथवा यह कि झपटा हो गया और किसी को बुलवा कर भूत-प्रेत को झड़वाती हैं, मानो सारे संसार के भूत-प्रेतों ने मिल कर यह निश्चय कर लिया है कि हम भारतवर्ष के बच्चों को ही अधिक पसन्द करते हैं। इनके इलाज बेसिर-पैर के होते हैं। यह बीमारियों को माता बनाकर उन्हें

पूजती है। ऐसी अवस्था में जितने बच्चे मरें, उतने ही थोड़े।

हमारे बहुत रीति-रिवाज इतने बुरे हैं कि उनके कारण बहुत से बच्चे मर जाते हैं। बच्चा होने के समय अत्यन्त गरिष्ठ भोजन दिया जाता है। माता के अंग अत्यन्त शिथिल रहते हैं, भारी खाना कैसे पचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उससे कितनी ही पूजाएं करायी जाती हैं। कभी सती पुजवाने और दूसरे देवता को पुजवाने ले जाया जाता है। छठे सातवें दिन घर भर का ध्यान बिरादरी और नगर-मुहल्ले की ज्योनार की ओर लग जाता है। बच्चे को सब भूल जाते हैं। घर भर में सबसे अंधेरी कोठरी, सबसे ज्यादा टूटी चारपाई, ओढ़ने बिछाने के लिये सबसे खराब कपड़े बेचारी माता के लिये दिये जाते हैं। क्या ऐसे स्थान में यह आशा की जा सकती है कि बच्चे निरोग और स्वस्थ रहेंगे।

गाँव से मिले हुए ही कच्चे तालाव रहते हैं, जिनमें गाँव भर के लिये मलेरिया के कीड़े पलते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीयों की निर्धनता भी वच्चों की मौत का कारण है। जब इतना धन ही पास नहीं कि माता अच्छे और पुष्ट पदार्थ खा सके तो वह बच्चे के लिये कैसे पुष्टिकारक दूध उत्पन्न कर सकेगी। यहाँ तो पेट भरना भी कठिन है, फिर उत्तम-उत्तम पदार्थों के सेवन का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वच्चों के लिये भी फलादि का मिलना अत्यन्त कठिन है। न उन्हें पर्याप्त दूध ही मिल सकता है। चार-पाँच मास का वच्चा हुआ नहीं कि माताएँ उसे भोजन पर लगा देती हैं।

किन्तु सौभाग्य से भारतीयों की और भारत-सरकार की आँखें खुली हैं। जो कुछ थोड़ा-वहुत एक निर्धन जाति अपने वच्चों की रक्षा के लिये कर सकती है, वह कर रही है। सारे भारतवर्ष में मातृ तथा वाल-रक्षिणी सभाएँ स्थापित हैं। सन् १९२३ ई० से वच्चों के सप्ताह भी मनाये जाने आरम्भ हो गये थे। इन वच्चों के सप्ताह (Baby-weeks) द्वारा भी माताओं में पर्य्याप्त जागृति हुई है। यह प्राय प्रत्येक नगर में मनाये जाते हैं। वच्चों को किस प्रकार रखना चाहिए, इस पर व्याख्यान होते हैं एवं प्रसूतालय के नमूने दिखाये जाते हैं। सिनेमा में भी स्वस्थ वच्चों की तसवीरें और इसी प्रकार की वातें दिखलायी जाती हैं। वच्चे दिखलाये जाते हैं और तन्दुरुस्त वच्चों को इनाम मिलते हैं।

बच्चों के रोगों को और उनसे बचाने के उपायों पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी जा चुकी है। बच्चों को निरोग और स्वस्थ रखने के विषय में माता-पिताओं को शिक्षित करने के लिये पत्र पत्रिकाएं निकल रही हैं।

स्त्री-शिक्षा की उन्नति होती जा रही है। जितनी ही इनमें विद्या आवेगी, उतना ही वह अपने बच्चों को ठीक रखना, बड़ी अवस्था में विवाह करना, आदि जानेंगी। इस एक सुधार पर ही सब दूसरे सुधार अवलम्बित है।

सड़कों की स्वच्छता है। यह साधारण अनुभव है कि माताएं अपने घर को साफ़ रखने के लिये अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देती हैं और वह सड़क ख़राब करते हैं। उन्हें यह ध्यान नहीं होता कि सड़क के ख़राब होने से सारे मुहल्ले की स्वच्छता जाती रहेगी और इसके कारण सारे मुहल्ले को ही बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा।

ढाँचा बनाने के लिये निबन्ध

भारत में कृषि ही की उन्नति करनी चाहिए—

भारतवर्ष सदा से कृषि-प्रधान रहा है। यह अब भी कृषि-प्रधान ही है। यहाँ के ७५ प्रतिशत लोग ग्रामों में बसते हैं और ग्रामों का कृषि ही प्रधान उद्योग है। यह कैसे आश्चर्य और दुःख की बात है कि जहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ हो, जहाँ गो-धन—जो कृषि के लिये अत्यन्त आवश्यक है—पूजा जाता हो, जहाँ कृषकों की संख्या इतनी अधिक हो, वहाँ नित्य प्रति उदर-पोषण के लिये गेहूँ और चीनी के जहाज़-के-जहाज दूरवर्ती देशों से आते हों, और यदि आने बंद हो जायँ तो यहाँ के निवासियों को फ़ाके करने पड़ें।

भारत में आज उद्योग-धन्धों की उन्नति करने के लिये एक लहर चल रही है। कुछ लोगों का विचार है कि जितनी जल्दी हो सके, यहाँ कपड़ा बुनने, रूई कातने आदि की कलें लगायी जायँ। उनका मत है कि कृषि का व्यवसाय भारत को

सदा के लिये आर्थिक दासता में जकड़े रहेगा। यदि इस देश की उन्नति करनी है तो संसार के बाज़ारों को अपनाना चाहिए, जैसे कि पश्चिमी देशों ने किया है और कर रहे हैं। यह एक मत है।

किन्तु यह मत ठीक नहीं। यहाँ मशीनों के लिये, कारखानों के लिये पर्याप्त लोहा और कोयला नहीं मिल सकता। विदेशों से कोयला और लोहा मँगाकर यहाँ के कल-कारखाने नहीं चलाये जा सकते। वास्तव में प्रत्येक देश की अपनी विशेषता होती है। कहीं एक बात की सुविधा होती है तो कहीं दूसरी की। इङ्गलैण्ड में लोहा कोयला बहुत है, चीन में रेशम के लिये कीट पलते हैं, मलाया प्रायद्वीप में मसाले बहुत हैं। ऐसे ही भारत-वर्ष की भी अपनी विशेषता है, यहाँ उपजाऊ धरती बहुत है। इसलिये भारत को प्रकृति ने मशीनों की उन्नति के लिये नहीं बनाया।

ओर खिंचा है। हाल ही में एक कृषि का कमीशन नियुक्त हुआ था। उसने सारे भारतवर्ष में भ्रमण किया, लोगों की सम्मति ली और थोड़े ही दिन हुए अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। उन्होंने कृषि की उन्नति के कितने ही आवश्यक और उपयोगी साधन बतलाये हैं। उनका विचार है कि भारतवर्ष में कृषि की उन्नति का क्षेत्र बहुत है। अच्छी खेती के लिये हमें पुराने ढर्रे के हल आदि साधनों पर निर्भर न रहना चाहिए। आजकल के हल पृथ्वी को अधिक गहरा नहीं खोद सकते, इसलिये पौधों की जड़ बहुत गहरी नहीं जा सकती। आजकल नये उपयोगी हल आदि तैयार हो रहे हैं। अब, हमें इस वैज्ञानिक युग में सहस्रों वर्ष की पुरानी बातों के पीछे न पड़ा रहना चाहिए।

इसके साथ ही, खेतों में खाद की बहुत आवश्यकता है। दुर्भाग्य से यहाँ गोबर के अतिरिक्त दूसरी खाद डालना ही नहीं जानते। यहाँ के लोगों को खाद का विज्ञान जानने की बड़ी आवश्यकता है। भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की खादों की आवश्यकता होती है। यह खाद वास्तव में पौधों का भोजन है, इसलिये उत्तम खाद तैयार करनी चाहिए।

कृषि के लिये समय पर पानी की बहुत आवश्यकता है। जब से पञ्जाब में नहरें निकली हैं और वहाँ की आबपाशी बढ़ी है, तब से वहाँ दुर्भिक्ष नहीं सुने जाते। नहरों के द्वारा आबपाशी का प्रबन्ध होना चाहिए। किन्तु सब स्थानों पर

नहरें अपना पानी नहीं भेज सकतीं, इसलिये स्थान-स्थान पर नलों के द्वारा आबपाशी करनी चाहिए। यह नल एञ्जिनों से चलेंगे और जितने पानी की आवश्यकता होगी, पृथ्वी से निकाल सकेंगे। अच्छी खेती के लिये पानी की ओर से निश्चिन्त होना बहुत आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त हल आदि चलाने के लिये अच्छे बैल भी चाहिएँ। दुर्भाग्य से यहाँ बैलों के लिये अच्छे चारे का प्रबन्ध नहीं किया जाता। न यहाँ नसल बनाने की ओर ध्यान रहता है। फलत कम शक्ति के छोटे-छोटे बैल होते हैं, जो थोड़े ही परिश्रम से थक जाते हैं। इसलिये कृषि की उन्नति में बैलों के थान का सुधार और उनकी नसल का बनाना भी आ जाता है।

'ब्रह्मचर्य्य'—इन विषयों पर ढाँचे बनाकर निबन्ध लिखो।

४. 'परस्वारथ के कारने सज्जन धरत शरीर' और 'सदाचार ही भूषण है'—इन विषयों पर निबन्ध लिखो और ढाँचे भी बनाओ।

५ 'उपन्यास न पढ़ने चाहिएँ', 'मदिरा-पान की हानियाँ' और 'अहिंसा'—इन विषयों के ढाँचे तैयार करो।